[2020] 1 एस. सी. आर 185

एस. के. एम. डी. रैफिक्यू

वी.

समिति का प्रबंधन, CONTAI RAHAMANIA HIGH

मद्रासा और अन्य

(2017 का सिविल अपील सं. 5808 आदि)

6 जनवरी, 2020

[अरुण मिश्रा और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कला. 30 (1) - सहायता प्राप्त मदरसा (एक अल्पसंख्यक संस्थान)पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 के तहत गठित आयोग में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया-एस की वैधता। 8 , 10 , 11 और अधिनियम के 12 को चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया कि यह अपने स्वयं के शिक्षकों को चुनने के अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकारों का उल्लंघन करता है-एकल न्यायाधीशउच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एस. 8 , 10 , 11 और अधिनियम के 12 अधिकार से बाहर थे-फैसले को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था - उच्चतम न्यायालय में अपील-आयोजितः कला का सार। 30 (1) बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच समान व्यवहार सुनिश्चित करना है-राष्ट्रीय हित में बनाया गया एक विनियमन सभी संस्थानों पर लागू होना चाहिए, चाहे वे अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक हों।विनियमन, यदि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करते हुए संस्थानों के उत्कृष्टता के मानकों को सुनिश्चित करना चाहता है, तो इसकी अनुमति है।यह अधिनियम विशेष रूप से मदरसों और मदरसों के लिए बनाया गया है। राज्य विधानमंडल में शिक्षा प्रणाली ने इस बात का ध्यान रखा है कि आयोग की संरचना मदरसा में शिक्षा प्रदान करने के लिए चुने जाने वाले शिक्षकों की अनुकूलता सुनिश्चित करेगी। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रबंधन शिक्षा प्रणाली मदरसा समिति आयोग द्वारा की गई नियुक्ति में त्रुटि की ओर इशारा कर सकती है और यह कि मदरसा को आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार की नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार है, इस प्रकार अधिनियम शिक्षा में 'उत्कृष्टता' प्राप्त करने का प्रयास करता है और अल्पसंख्यक संस्थान के हित को भी बढ़ावा देता है-इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है, अधिनियम की धारा 8,10,11 और 12 वैध और संवैधानिक हैं-इसलिए, सभी नामांकन वैध और संवैधानिक हैं। इस अधिनियम के तहत बनाए गए शिक्षकों में से कई वैध और संचालित पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008-एस हैं। 8 , 10 , 11 और 12 पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग भर्ती (शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए व्यक्तियों का चयन और सिफारिश) नियम, 2010 आर। 8 .

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. पाँच घटनाओं में से जो एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का गठन करती हैं, जैसा कि उल्लेख किया गया है टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में, छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार को एक पूर्ण और अयोग्य अधिकार नहीं माना गया है। पी. ए. में निर्णय। इनामदार के मामले से पता चलता है कि पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों या उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में योग्यता आधारित चयन को राष्ट्र के हित में और राष्ट्रीय कल्याण को मजबूत करने के लिए लिया गया है। मेधावी छात्रों के चयन को राष्ट्रीय हित में स्वीकार किया गया है। एक अल्पसंख्यक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार के नाम पर पेशेवर और उच्चतर के संबंध में छात्रों के योग्यता या योग्यता आधारित चयन की अवहेलना नहीं कर सकता है।शिक्षा. कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अधिकार को भी अयोग्य अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। * टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के मामले में ही कहा गया है कि एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में भी एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए औरविचार करने के लिए उपयुक्त न्यायाधिकरण का गठन किया जाना चाहिए शिकायतों और तब तक न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश के पद के न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा सकती थी। निर्णय * टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले को देखते हुए जब तक उसमें निर्धारित सिद्धांत संतुष्ट हैं, तब तक किसी भी नियम की अनुमति है। अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को संरक्षित करते हुए संस्थानों के उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करना। [पैरा 45] [300-डी-एच; 301-ए]

2. जब शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार की बात आती है, तो टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में निर्धारित कानून के संदर्भ में, एक विनियमन बनाया गया है। राष्ट्रीय हित में सभी संस्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए, भले ही वे बहुमत या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित हों क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का सार समान एस. के. सुनिश्चित करना है। एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रासअल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित। लेकिन अगर शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना एक नियामक व्यवस्था के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत है और शिक्षकों के चयन का तंत्र संस्थानों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, तो मामला पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा हो सकता है। [पैरा 46] [301-बी-सी]

3. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में स्वीकार किए गए परीक्षण और दो उद्देश्यों के बीच संतुलन पर अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है संस्थानों की दो श्रेणियों का संदर्भ; एक ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिसका सीधा उद्देश्य किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय की विरासत, संस्कृति, लिपि और विशेष विशेषताओं के संरक्षण और संरक्षण से संबंधित हो; जबकि दूसरी श्रेणी के संस्थान वे हो सकते हैं जो आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के रूप में जाने जाते हैं। जब पहली श्रेणी के संस्थानों की बात आती है, तो जो शिक्षक धार्मिक विचारधारा या संबंधित अल्पसंख्यकों की विशेष विशेषताओं में विश्वास करते हैं, वे अकेले ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों में आत्मसात करने में सक्षम होंगे, जिन्हें अल्पसंख्यक संरक्षित करना, स्वीकार करना और प्रचार करना चाहते हैं। लेकिन, यदि पाठ्यक्रम में विषय विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं, तो इसका मतलब है,अंकगणित, बीजगणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान जैसे विषय या भूगोल का उद्देश्य सर्वोत्तम संभव शिक्षकों का लाभ उठाते हुए शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए।

पहली श्रेणी में, संबंधित अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंधन को अधिकतम अक्षांश दिया जा सकता है क्योंकि उन्हें आम तौर पर सबसे अच्छा न्यायाधीश माना जाएगा जो संबंधित अल्पसंख्यकों की विरासत, संस्कृति, लिपि या ऐसी विशेष विशेषताओं या विशेषताओं की रक्षा और संरक्षण में उनकी मदद करेगा। हालाँकि, जब संस्थानों की दूसरी श्रेणी की बात आती है, तो शासी मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए कि सबसे अनुकूल वातावरण बनाया जाए जहाँ संस्थान उत्कृष्टता प्राप्त करे और सर्वोत्तम संभव प्रदान करे। शिक्षा. [पैरा 47] [301-डी-एच]

4. नियम जो छात्रों के हितों की पूर्ति करेंगेइसी तरह नियम भी जो शिक्षकों [2020] 1 एस. सी. आर. के हितों की पूर्ति करेंगे। अच्छे प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण हैं; कि संस्थानों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए शिक्षकों की दक्षता के हित में नियम आवश्यक हैं; और यह कि शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।संस्थाएं। यह बहुत स्वाभाविक है कि गुणात्मक रूप से बेहतर शिक्षक उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे औरउत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। किसी संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की उत्कृष्टता सीधे शिक्षण कर्मचारियों की उत्कृष्टता पर निर्भर करेगी और बदले में शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। [पैरा 48] [303-ए-सी]

अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी और एक अन्य बनाम। गुजरात राज्य और एक अन्य (1974) 1 एस. सी. सी. 717: [1975] 1 एससीआर 173; फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल कर्मचारी ' एसोकेशन वी। भारत संघ और अन्य (1986) 4 एससीसी 707 [1987] 1 एस. सी. आर. 238-अनुसरण किया गया।

5. इस प्रकार, यदि उद्देश्य शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना है, तो क्या यह पर्याप्त होगा यदि संबंधित शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार के प्रयोग के नाम पर न्यूनतम अपेक्षित योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त करना, जबकि संस्थानों की दूसरी श्रेणी में शिक्षा प्रदान करने के लिए बेहतर योग्य शिक्षक उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी शिक्षक की नियुक्ति के लिए उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए योग्यता प्रतिशत सूचकांक 50 होना आवश्यक है, और यदि शिक्षक इस मूल आधार से कहीं अधिक और उससे अधिक योग्यता रखते हैं।सूचकांक उपलब्ध हैं, क्या एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के लिए बेहतर योग्यता वाले शिक्षकों की उपेक्षा करते हुए कम सूचकांक वाले शिक्षकों का चयन करना उचित अभ्यास होगा? क्या यह शिक्षा में उत्कृष्टता की खोज को कम करेगा? यह समझा जा सकता है कि नियामक व्यवस्था के तहत जो उम्मीदवार अन्यथा कम योग्य हैं, उन्हें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में नामित किया जा रहा है और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बेहतर योग्य उम्मीदवारों की वरीयता में ऐसे कम योग्य उम्मीदवारों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं या नहीं।उम्मीदवार। ऐसे मामलों में, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान निश्चित रूप से इस मुद्दे पर आंदोलन करने और बेहतर शिक्षक चुनने के अधिकार का दावा करने के अपने अधिकार के भीतर हो सकता है। लेकिन अगर उम्मीदवार जो एसके हैं।विनियामक व्यवस्था के तहत चुने गए और नामित किए गएजो शिक्षा विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष है, वे बेहतर योग्य हैं, क्या अल्पसंख्यक संस्थान को केवल पसंद के अधिकार के प्रयोग के नाम पर इस तरह के नामांकन को अस्वीकार करने का अधिकार होगा? इस तरह से किया गया चुनाव उत्कृष्टता की खोज में नहीं होगा। क्या इस तरह के विकल्प को स्वीकार किया जा सकता है? यदि सही यू/आर्ट। 30 पूर्ण और अयोग्य माना जाता

है, तो निश्चित रूप से इस तरह के विकल्प को मान्यता दी जानी चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन, यदि अधिकार को पूर्ण और अयोग्य स्वीकार नहीं किया गया है और राष्ट्रीय हित हमेशा व्याप्त और लागू होना चाहिए, तो उत्कृष्टता और योग्यता होनी चाहिएशासी मानदंड। योग्यता और उत्कृष्टता की अवधारणा से कोई भी विचलन एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में जो विचार किया गया है उसे प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी वाहन नहीं बनाएगा। इसके अलावा, यदि योग्यता एकमात्र और शासी मानदंड नहीं है, तो अल्पसंख्यक संस्थान उनके साथ कदम मिलाने के बजाय गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों से पीछे रह सकते हैं। [पैरा 49] [302 डी-एच; 303-ए-बी]

6.अधिकारियों द्वारा किए गए नामांकन को अस्वीकार करने का अधिकार निश्चित रूप से उसके अधिकार के भीतर होगा, लेकिन यदि प्रदान करने के लिए नामित व्यक्ति शिक्षा अन्यथा बेहतर योग्य और उपयुक्त है, अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा इस तरह के नामांकन की किसी भी अस्वीकृति से ऐसी संस्था को उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी मदद नहीं मिलेगी और इस तरह की कोई भी अस्वीकृति संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत संरक्षित अधिकार के सही दायरे में नहीं होगी। [पैरा 50] [303-ई-एफ]

7. पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में, आयोग में एकसभापति और चार सदस्य। आयोग के अध्यक्ष को एक प्रख्यात शिक्षाविद् होना चाहिए जिसे इस विषय में गहन ज्ञान हो। किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में बारह वर्ष से कम की अवधि के लिए शिक्षण का अनुभव। यह सच है कि धारा 4 (ii) के उत्तरार्द्ध में राज्य सरकार के एक ऐसे अधिकारी की बात की गई है जो संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष के कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निर्वहन, यहां तक कि राज्य सरकार के एक अधिकारी को इस्लामी संस्कृति में गहन ज्ञान वाला व्यक्ति होना चाहिए। अध्यक्ष के अलावा, चार सदस्य हैं जिन्हें आयोग अधिनियम की धारा 4 (iii) के अनुसार नियुक्त किया जाना है। इन चार सदस्यों में से एक को इस्लामी धर्मशास्त्र और संस्कृति में गहन ज्ञान रखने वाला एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होना चाहिए, जबकि अन्य दो सदस्यों को अन्य बातों के साथ-साथ किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक या किसी कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कम से कम दस साल की अवधि के लिए शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। चौथा सदस्य एक गैर-शिक्षाविद् हो सकता है, लेकिन वह सार्वजनिक जीवन में या कानूनी या प्रशासनिक सेवा में प्रतिष्ठित पद पर रहा होगा। प्रमुखता से इस प्रकार आयोग की संरचना शिक्षाविदों की है और उनमें से दो को इस्लामी में गहन ज्ञान वाले व्यक्ति होने चाहिए।संस्कृति और इस्लामी धर्मशास्त्र। [पैरा 52] [303-जी-एच; 304-ए-डी]

8. इस प्रकार आयोग अधिनियम के प्रावधान विशेष रूप से मदरसों और मदरसा शिक्षा प्रणाली के लिए तैयार किए गए हैं।जिनका मदरसा शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने के लिए चयन किया जाएगा, जिस पर उद्देश्यों और कारणों के विवरण में भी जोर दिया गया है। [पैरा 52] [304-डी-एफ]

9. यह सच है कि आयोग द्वारा की गई शिक्षकों की सिफारिशें या नामांकन अन्यथा संबंधित मदरसों की प्रबंध समितियों के लिए बाध्यकारी हैं, लेकिन आयोग अधिनियम की धारा 10 के दूसरे प्रावधान के संदर्भ में, यदि कोई त्रुटि है, तो संबंधित मदरसे की प्रबंध समिति के लिए यह खुला है कि वह ऐसी त्रुटि को हटाने के लिए इसे आयोग के संज्ञान में लाए। 'त्रुटि' की अवधारणा में ऐसे मामले भी शामिल होने चाहिए जहां संबंधित मदरसा एस. के. की नियुक्ति कर सकता है।आयोग द्वारा नामित शिक्षक की तुलना

में बेहतर योग्य शिक्षक। यदि ऐसी कोई त्रुटि इंगित की जाती है, तो आयोग को निश्चित रूप से उस त्रुटि को सुधारना होगा और उसे दूर करना होगा। आयोग अधिनियम की धारा 12 द्वारा आगे की सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसके तहत संबंधित मदरसा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने से इनकार करने के अपने अधिकारों के भीतर हो सकता है यदि कोई बेहतर योग्य उम्मीदवार अन्यथा संबंधित मदरसा की प्रबंधन समिति के पास उपलब्ध है। इस तरह का इनकार अधिनियम की धारा 12 (i) में 'कोई भी उचित आधार' अभिव्यक्ति के भीतर भी आ सकता है। इस प्रकार विधायिका ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि अल्पसंख्यक संस्थानों के हितों का हमेशा ध्यान रखा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (i) सामान्य परिस्थितियों में आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों को नामित किया जाएगा और (ii) आयोग की ओर से कोई त्रुटि होने की स्थिति में, संबंधित प्रबंध समिति न केवल उस त्रुटि को इंगित कर सकती है जिसे आयोग द्वारा सुधार दिया जाएगा, बल्कि प्रबंध समिति द्वारा भी सुधार किया जाएगा।समिति धारा 12 (i) के संदर्भ में उचित आधार पर नामांकन को अस्वीकार करने के अपने अधिकारों के भीतर भी हो सकती है। [पैरा 53][304 - एफ-एच; 305-ए-सी]

10. राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित व्यवस्था इस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि आयोग में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हों।पूरे राज्य में प्रतिभाओं की जांच की जाएगी; एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी और विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा; और नामांकन करते समय भी, अल्पसंख्यक संस्थान के हितों को भी उचित महत्व दिया जाएगा और लिया जाएगाख्याल रखना। इस प्रकार सांविधिक प्रावधान शिक्षा में 'उत्कृष्टता' प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और अल्पसंख्यक संस्थानों के हितों को बढ़ावा देने का भी प्रयास करते हैं। प्रावधान परीक्षण को संतुष्ट करते हैं जैसा कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में इस न्यायालय के फैसले में बताया गया है। [पैरा 54] [305 - डी]

11. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, संबंधित प्रावधान,

इसलिए कहा जाए कि यह अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन है। आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित आयोग द्वारा शिक्षकों का चयन और उनका नामांकन राष्ट्रीय हित के साथ-साथ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हित को संतुष्ट करेगा और उक्त प्रावधान [ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए, धारा 8,10,11 और 12 आयोग अधिनियम वैध और संवैधानिक हैं। [पैरा 55 और 57] [305-ई-एफ; 306-ई]

12. आयोग द्वारा अनुसरण में किए गए सभी नामांकनआयोग अधिनियम के प्रावधान वैध और प्रभावी हैं। तथापि, यदि उच्च न्यायालय द्वारा मामलों के निपटारे के बाद संबंधित मदरसों द्वारा कोई नियुक्ति की जाती है, तो शिक्षकों की ऐसी नियुक्तियों को सभी उद्देश्यों के लिए वैध माना जाएगा। लेकिन आयोग इसके बाद आयोग अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न मदरसों में शिक्षकों का चयन और नामांकन करने में सक्षम होगा। [पैरा 58] [307-एफ-जी]

* टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2002) 8 एससीसी 481: [2002] 3 पूरक। एससीआर 587; पुनः: केरल शिक्षा विधेयक 1957 [1959] एस. सी. आर.

995; लिली कुरियन बनाम। सीनियर लेविना और अन्य (1979) 2 एस. सी. सी. 124: [1979] 1 एससीआर 820; सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम। दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) 1 एस. सी. सी. 558: [1991] 3 पूरक। एससीआर 121; * * P.A.Inamdar और अन्य वी। की स्थितिमहाराष्ट्र और अन्य (2005) 6 एससीसी 537: [2005]2 पूरक। एस. सी. आर. 603-अनुसरण किया गया।

गांधी फैज़-ए-एम कॉलेज, शाहजहांपुर बनाम।आगरा विश्वविद्यालय और एक अन्य (1975) 2 एस. सी. सी. 283 पर भरोसा किया।

सिंधी एजुकेशन सोसाइटी और एक अन्य वी। मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य (2010) 8 एस. सी. सी. 49 [2010] 8 एस. सी. आर. 81; चंदना दास (मालाकार) बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2015) 12 एस. सी. सी. 140; ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2004) 6 एससीसी 224: [2204] 2 पूरक। एससीआर 214 प्रतिष्ठित।

केरल राज्य, आदि। बहुत रेव. मदर प्रोविंशियल, आदि (1970) 2 एससीसी 417: [1971] 1 एस. सी. आर. 734; सचिव, मलंकारा सीरियाई कैथोलिक बनाम। टी. जोस और अन्य (2007) 1 एससीसी 386: [2006] 9 पूरक। एससीआर 644; रेव. सिद्धजभाई भाई और अन्य बनाम। बॉम्बे राज्य और एक अन्य एस. के.[1963] 3 एससीआर 837; रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट और अन्य।वी. बिहार राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 465;[1969] 2 एससीआर 73; डी. ए. वी. महाविद्यालय, आदि। पंजाब राज्यऔर अन्य [1971] पूरक। एससीआर 688; ऑल सेंट्स हाईस्कूल, हैदराबाद और अन्य बनाम। सरकार कीआंध्र प्रदेश और अन्य (1980) 2 एस. सी. सी. 478: [1980]2 एससीआर 924; बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड,पटना बनाम. मदरसा हनफिया अरबी महाविद्यालय, जमालिया और अन्य (1990) 1 एस. सी. सी. 428: [1989] 2 पूरक। एससीआर 399; माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण बोर्ड वी. जे. टी. लोक निर्देश निदेशक, सागर और अन्य स्कूल और अन्य (1998) 6 एससीसी 674: [1998] 1 पूरक।एस. सी. आर. 453; कन्या जूनियर हाई स्कूल, बाल विद्या मंदिर, एटा, यूपी बनाम। यू. पी. बुनियादी शिक्षा परिषद,अल्लाहाबाद, यू. पी. और अन्य (2006) 11 एस. सी. सी. 92 [2006] 4 पूरक। एस. सी. आर. 813-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1971] 1 एससीआर 734	संदर्भित किया गया है	पैरा 13
[1975] 1 एससीआर 173	पीछा किया।	पैरा 13
[2006] 9 पूरक। एससीआर 644	संदर्भित किया गया है	पैरा 13.
[2010] 8 एससीआर 81	प्रतिष्ठित	पैरा 13.
[2002] 3 पूरक। एससीआर 587	पीछा किया।	पैरा 16
[1959] एससीआर 995	पीछा किया।	पैरा 17

[1963] 3 एससीआर 837	संदर्भित किया गया है	पैरा 18
[1969] 2 एससीआर 73	संदर्भित किया गया है	पैरा 19
[1971] पूरक। एससीआर 688	संदर्भित किया गया है	पैरा 21
(1975) 2 एस. सी. सी. 283	उस पर भरोसा करें	पैरा 23
[1979] 1 एससीआर 820	पीछा किया।	पैरा 24
[1980] 2 एससीआर 924	संदर्भित किया गया है	पैरा 25
[1987] 1 एससीआर 238	पीछा किया।	पैरा 26
[1989] 2 पूरक। एससीआर 399	संदर्भित किया गया है	पैरा 27
[1991] 3 पूरक। एससीआर 121	पीछा किया।	पैरा 28
(1998) 8 एस. सी. सी. 555	संदर्भित किया गया है	पैरा 29.1
[1998] 1 पूरक। एससीआर 453	संदर्भित किया गया है	पैरा 29.2
[2004] 2 पूरक। एससीआर 214	संदर्भित किया गया है	पैरा 32
[2005] 2 पूरक। एससीआर 603	पीछा किया।	पैरा 33
[2006] 4 पूरक। एससीआर 813	प्रतिष्ठित	पैरा 56
[2010] 8 एससीआर 81	प्रतिष्ठित	पैरा 56
(2015) 12 एससीसी 140	प्रतिष्ठित	पैरा 37

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 5808 2017 से।

उच्च न्यायालय के 09.12.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2014 के ए. एस. टी. सं. 192 में कलकत्ता में।

के साथ

सिविल अपील सं। 6098 , 5809 , 5826 , 5817 , 5814 2017 की अवमानना याचिका (सी) सं। 583 , 846 2016 का, और अवमानना याचिका (सी) सं। 670 , 669 , 828 एस. एल. पी. में 2017 का (ग) 2016 की सं. 6661 और अवमानना याचिका (ग) सं. 1509 , 1798 2017 की अवमानना याचिका (सी) संख्या। 937 , 938 , 1219 , 1274 , 1669 , 1921-1922 2017 के सी. ए. सं. 5808 में 2018 का डब्ल्यू. पी. (ग) 2016 का सं. 723, डब्ल्यू. पी. (ग) 2017 की सं. 629।

जयंत भूषण, मोहन परासरन, सिद्धार्थ लूथरा, वाई. एस. नरूला, सलमान खुर्शीद, कल्याण बंदोपाध्याय, जयदीप गुप्ता, हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , जोहेब हुसैन, श्रीमती अदीबा मुजाहिद, अश्विन कुमार डी. एस., सुश्री अदिति दानी, केतन पॉल, शाहन उल्ला, विवेक गुरनानी, सुश्री सोनल मशनकर, अली चौधरी, अजीम कालेबुद्दे, अतरूप बनर्जी, अबू सोहेल, सुश्री अज़रा रहमान, अर्पित शुक्ला, अनिंदो मुखर्जी, चंचल कुमार गांगुली, श्रीमती सरला चंद्र, खैरुल आलम, रामेश्वर प्रसाद गोयल, पीजूश के. रॉय, श्रीमती काकली रॉय, राजन के. चौरसिया, सिद्धार्थ डेव, एम. आर. शमशाद, आदित्य समद्दर, सुश्री सारा हक, सुभाशीष भौमिक, अधिवक्ता। सुश्री जी. गोयल, अधिवक्ता। श्री दीपक कुमार जेना, अधिवक्ता। सुश्री मीनाक्षी घोष, जलभर दास, कुमार शौरिश, अभिजीत सेनगुप्ता,दिव्यद्युति बनर्जी, कुमार नीरज, बी. पी. यादव, रंजन मुखर्जी, कुणाल चटर्जी, सुश्री अनीता कानूनगो, दीपक कुमार जेना, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. ये अपीलें उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2014 के ए. एस. टी. सं. 192 और अन्य संबंधित मामलों को खारिज करते हुए पारित किए गए दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार पुष्टि होती हैंउच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का निर्णय 2013 की रिट याचिका No.20650 (W) में पारित किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 (संक्षेप में "आयोग अधिनियम") की धारा 8,10,11 और 12 को अधिकार से बाहर पाया गया था।

2. 2013 की उपरोक्त रिट याचिका No.20650 (W) कोंताई रहमानिया उच्च मदरसा की प्रबंध समिति द्वारा दायर की गई थी।आयोग अधिनियम की धारा 8,10,11 और 12 की वैधता को चुनौती देना यह प्रस्तुत करते हुए कि आयोग अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर, सहायता प्राप्त मदरसे में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया, जिसे अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी, को अपने हाथ में ले लिया गया और आयोग अधिनियम की धारा 4 के तहत नियुक्त आयोग को सौंपा गया; और यह कि आयोग को आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसी सिफारिशें करने का अधिकार दिया गया था जो सहायता प्राप्त मदरसे की प्रबंधन समिति पर बाध्यकारी होंगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि आयोग अधिनियम के प्रावधान एक अल्पसंख्यक संस्थान के अपने स्वयं के शिक्षकों को चुनने के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इस निवेदन को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और रिट याचिका द्वारा स्वीकार कर लिया गया थाअनुमति दी गई। नाराज, कुछ उम्मीदवार, जिनमें अपीलार्थी भी शामिल हैं, जिनके नामों की आयोग द्वारा सिफारिश की गई थीसहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों के रूप में नियुक्त, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 2014 की ए. एस. टी. संख्या 192 के रूप में अपील दायर की। 2014 का सी. ए. एन. सं. 3078 सचिव, पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग द्वारा दायर किया गया था, जबकि 2014 का एम. ए. टी. सं. 473 पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा एकल न्यायाधीश के उसी निर्णय को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि करते हुए डिवीजन बेंच द्वारा सभी अपीलों को खारिज कर दिया गया था।

3. एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के फैसलों ने अपीलों के वर्तमान समूह को जन्म दिया है जिसमें हस्तक्षेप की संख्या अधिक है।आवेदन भी किए जा चुके हैं।

सांख्यिकी प्रावधान

4. पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 1994, जिसे पश्चिम बंगाल में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था, और इससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए। "मदरसा", "मदरसा शिक्षा", "प्रबंध समिति" और "वरिष्ठ मदरसा" शब्दों को धारा 2 (च), (छ) में परिभाषित किया गया है।एन) और (पी) निम्नानुसार:

" 2 (च) "मदरसा" का अर्थ है शिक्षा प्रदान करने वाला एक शैक्षणिक संस्थान। मदरसा शिक्षा में शिक्षा;

(छ) "मदरसा शिक्षा" से ऐसी शिक्षा प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें अरबी, इस्लामी इतिहास और संस्कृति में शिक्षा दी जाती है, और धर्मशास्त्र, और शामिल हैं

(i) उच्च मदरसा शिक्षा प्रणाली, जो अरबी भाषा और इस्लामी इतिहास और संस्कृति को शामिल करने के अलावा, प्राथमिक शिक्षा सहित सामान्य शिक्षा प्रदान करती है। किसी विश्वविद्यालय या सरकार या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा स्थापित प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, और इसमें ऐसी अन्य प्रकार की शिक्षा शामिल है जो राज्य सरकार, बोर्ड के साथ परामर्श, निर्दिष्ट करें;

((ii) वरिष्ठ मदरसा शिक्षा प्रणाली जो अरबी भाषा और साहित्य, इस्लामी धर्मशास्त्र, इतिहास, संस्कृति और न्यायशास्त्र में शिक्षा प्रदान करती है और बोर्ड या विश्वविद्यालय या सरकार या किसी अन्य संस्थान के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री के लिए योग्य छात्रों को कुछ सामान्य शिक्षा प्रदान करती है। अन्य वैधानिक प्राधिकरण;

(ज) किसी संस्थान के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली "प्रबंध समिति" का अर्थ है उस समय के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय। संस्थान के मामलों के प्रबंधन के लिए सौंपा गया;

(पी) "वरिष्ठ मदरसा" का अर्थ है एक मदरसा जहां वरिष्ठ मदरसा शिक्षा प्रणाली का पालन किया जाता है।

4.1 अधिनियम का अध्याय 2 अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की स्थापना और गठन से संबंधित है जबकि धारा 18 बोर्ड के गठन से संबंधित है।प्रतिष्ठित समितियाँ। धारा 19 समितियों के कार्यों से संबंधित है जो इस प्रकार है:

(2) पाठ्यक्रम समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह पाठ्यक्रम, अनुसरण किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रमों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन की जाने वाली पुस्तकों और बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षाओं से संबंधित सभी मामलों पर बोर्ड को सलाह दे।

(3) बोर्ड को सलाह देना परीक्षा समिति का कर्तव्य होगा -

(क) बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षाओं के संबंध में नियुक्त किए जाने वाले पेपर सेटरों, मध्यस्थों, सारणीकारों, परीक्षकों, पर्यवेक्षकों और अन्य लोगों के चयन और उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक की दरों से संबंधित मामले;

(ख) ऐसी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस;और

(ग) ऐसी परीक्षाओं से संबंधित कोई अन्य मामला जिसे बोर्ड द्वारा सलाह के लिए भेजा जा सकता है।

बोर्ड का बजट और ऐसे मामलों पर बोर्ड को सलाह देना। वित्त से संबंधित जो बोर्ड द्वारा सलाह के लिए भेजा जा सकता है।

(5) (क) मान्यता प्राप्त संस्थानों की प्रबंध समितियों के निर्णयों के खिलाफ शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी अपीलों की सुनवाई और निर्णय अपील समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) खंड (क) के तहत अपील समिति के निर्णय अंतिम होंगे और किसी भी दीवानी या न्यायिक मामले में कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं होगी।

किसी भी मामले के संबंध में आपराधिक न्यायालय जो अपील के लिए निर्दिष्ट किया गया है या उसके द्वारा तय किया गया है

(ग) धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (च) के तहत गठित की जाने वाली किसी भी अन्य समिति या समितियों के पास ऐसी शक्तियां या कार्य होंगे जो बोर्ड प्रदान करे या लागू करे।ऐसी समिति या समितियों पर।

4.2 धारा 20 बोर्ड के कार्यों से संबंधित है:

[2020] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. बोर्ड के कार्य। – (1) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह दे। राज्य सरकार द्वारा इसे मदरसा शिक्षा के लिए संदर्भित किया गया है।

(2) राज्य सरकार के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश, इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, बोर्ड को आम तौर पर निर्देश देने की शक्ति होगी,

मदरसा शिक्षा का पर्यवेक्षण और नियंत्रण और विशेष रूप से,

शक्ति

मान्यता समिति की सिफारिशेंऐसे विनियमों के अनुसार जो इसमें बनाए जा सकते हैं

की ओर से:

(ख) मान्यता प्राप्त मदरसों का एक रजिस्टर बनाए रखना;

(ग) विनियमों द्वारा उपबंध करने के लिए, विचार करने के बाद पाठ्यक्रम समिति की सिफारिशें, यदि कोई हों, तो पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम या अध्ययन और पुस्तकें

परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययन किया जाना

बोर्ड द्वारा स्थापित;

(ई) मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए छुट्टियों की सूची, मान्यता प्राप्त मदरसों में उपयोग के लिए और बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षाओं के लिए अनुमोदित पुस्तकों की सूची बनाए रखना और प्रकाशित करना और ऐसी किसी भी सूची से ऐसी किसी भी पुस्तक का नाम हटाना;(ङ) समय-समय पर पंजीकरण प्रमाणपत्र, प्रवेश पत्र, मार्कशीट, माइग्रेशन को बनाए रखना, प्रिंट करना और जारी करना।

प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र और ऐसे अन्य कागजात जो वह सोच सकता है।

(च) विभिन्न मदरसा परीक्षाओं और ऐसी अन्य समान परीक्षाओं को स्थापित करना जो वह उचित समझे और इस संबंध में विनियम बनाना;(छ) बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षाओं के लिए खुद को प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को निर्धारित करना।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI MANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

(ज) पर विचार करने के बाद विनियमों द्वारा प्रावधान करना परीक्षा समिति की सिफारिशें, यदि कोई हों, तो पेपर-सेटर्स को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की दरें,

(i) बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को अनुमति देना या अस्वीकार करना और यदि वह इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार उचित समझता है तो ऐसी अनुमति वापस लेना;(जे) मान्यता प्राप्त मदरसों की प्रबंध समितियों के निर्णयों के खिलाफ शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अपीलों को भरने और निपटाने के लिए विनियमों द्वारा प्रक्रिया प्रदान करना;

(के) पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड निधि का प्रशासन करना;

(1) ऐसी भविष्य निधि को स्थापित और प्रशासित करना जो निर्धारित की जाए;

(एम) कर्मचारियों के सदस्यों के संबंध में आचरण, अनुशासन और अपील से संबंधित विनियम बनाना;

(एम. एम.) शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में आचरण और अनुशासन से संबंधित विनियम बनाना।बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान;

(एमएमएम) योग्यता निर्धारित करने वाले नियम बनाने के लिएप्रथम श्रेणी में शिक्षकों की भर्ती के लिए और उसकी विधि

वरिष्ठ मदरसा की चतुर्थ श्रेणी;

((न) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करना।

(3) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन। बोर्ड करेगा

इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के उचित प्रयोग के लिए किसी भी मामले के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति है।बशर्ते कि इस अधिनियम [2020] 1 एस. सी. आर. के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में बोर्ड द्वारा लिया गया कोई निर्णय या कार्रवाई या कोई आदेश।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि इस उप-धारा के तहत कोई विनियम नहीं बनाया गया है।(4) कोई भी विनियमन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है और राज्य सरकार,

इस तरह के अनुमोदन के अनुसार, इस तरह के परिवर्धन, परिवर्तन करें

या उसमें संशोधन जैसा वह उचित समझता है: बशर्ते कि ऐसा कोई जोड़, परिवर्तन या संशोधन करने से पहले राज्य सरकार बोर्ड को ऐसी अवधि के भीतर उस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देगी।

एक महीने से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य द्वारा निर्दिष्ट किया जाए

सरकार।

(5) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सभी विनियम होंगे -

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित "।

5. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 को अध्ययन करने और अतिरिक्त सुझाव देने के लिए एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने के लिए अधिनियमित किया गया था।पश्चिम बंगाल के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पश्चिम बंगाल की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को संरक्षित करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए तैयार करने की दृष्टि से। धारा 3 पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग के गठन से संबंधित है और धारा 4 की उप धारा (1) और (3) निम्नानुसार हैं:

" 4. आयोग के कार्य। - (1) आयोग करेगा

निम्नलिखित कार्यों को पूरा करना:

(क) पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना और नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। कार्यक्रम

राज्य सरकार की;

(ख) संविधान और संसद या राज्य द्वारा अधिनियमित कानूनों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के कामकाज की निगरानी करना।

(ग) हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।केंद्र सरकार या राज्य द्वारा प्रदान किए गए अल्पसंख्यकों की संख्या

सरकार; (घ) सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों पर ध्यान दें।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

अल्पसंख्यकों की ओर से और ऐसे मामलों को उपयुक्त लोगों के साथ उठाया जाए

अधिकारी;

(ई) राज्य सरकार को धार्मिक, भाषाई और जातीय समूहों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की सिफारिश करें, बशर्ते कि ऐसे समूहों को कोई संवैधानिक या वैधानिक लाभ या दर्जा न मिले। (च) इनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करने का कारण बने

अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई भी भेदभाव और उपायों की सिफारिश करनाउन्हें हटाने के लिए;

(छ. अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना।

(ज) किसी भी मामले पर राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट दें।

इसके तहत आयोग के किसी भी कार्य से संबंधित

अनुभाग।

.....

(3) आयोग की सलाह और, विशेष रूप से, अल्पसंख्यक के किसी भी अधिकार से वंचित होने या चूक द्वारा अल्पसंख्यक के किसी भी कल्याण के उल्लंघन से संबंधित आयोग के निष्कर्ष।

या कमीशन, आम तौर पर राज्य पर बाध्यकारी होगा

सरकार "।

6. पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 1997 (संक्षेप में 1997) को क्षेत्रीय सेवा आयोगों और एक केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग के गठन और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के प्रावधान के लिए अधिनियमित किया गया था। धारा 2 (एन) और (पी) में "स्कूल" और "शिक्षक" के अर्थ इस प्रकार हैं -

:

" (एन) "स्कूल" का अर्थ है एक मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी सहायता प्राप्त -

(क) उच्च माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे विद्यालय या संस्थान का भाग या विभाग, याऔर इसमें एक प्रायोजित स्कूल शामिल है।

व्याख्या I-अपनी व्याकरणिक विविधताओं के साथ "मान्यता प्राप्त",

किसी विद्यालय के संदर्भ में उपयोग किए जाने का अर्थ होगा -(ए) पश्चिम के तहत मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त माना जाता है

बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1963 या (ख) पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परिषद के तहत मान्यता प्राप्त

शिक्षा अधिनियम, 1975,

स्पष्टीकरण II-किसी विद्यालय के संदर्भ में उपयोग किए जाने वाले व्याकरणिक बदलावों के साथ "सहायता प्राप्त" का अर्थ होगा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त होना।बुनियादी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सरकार

उस स्कूल के शिक्षकों का वेतन। स्पष्टीकरण III-"मूल वेतन" का अर्थ किसी स्कूल के शिक्षक का मासिक वेतन होगा जो उस स्कूल में शिक्षक द्वारा रखे गए पद के वेतन के समय पैमाने के एक चरण के अनुरूप है।

स्पष्टीकरण IV-"माध्यमिक शिक्षा" का वही अर्थ होगा जो पश्चिम बंगाल बोर्ड की धारा 2 के खंड (1) में है।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1963।

स्पष्टीकरण वी-"उच्च माध्यमिक शिक्षा" में होगा -

पश्चिम बंगाल की धारा 2 के खंड (घ) में समान अर्थ

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1975।स्पष्टीकरण VI-"प्रायोजित विद्यालय" का अर्थ होगा एक विद्यालय।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रायोजित विद्यालय घोषित किया गया।

(पी) "शिक्षक" से एक सहायक शिक्षक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी विद्यालय का शिक्षण पद धारण करता है और बोर्ड या परिषद या मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसा भी मामला हो।

(लेकिन इसमें सहायक प्रधानाध्यापक या सहायक प्रधानाध्यापिका या प्रतिनियुक्ति, अवकाश या ग्रहणाधिकार के कारण अल्पकालिक रिक्ति वाले शिक्षक शामिल नहीं होंगे)।

6.1 धारा 3 आयोग और क्षेत्रीय आयोगों के गठन से संबंधित है। धारा 4 (4) की संरचना से संबंधित है

आदमी निम्नानुसार है:

कोष्ठक के भीतर शब्द पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा जोड़े गए थे।

के. एम. डी आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

“ (4) (क) सभापति का पद पूर्णकालिक होगा; दूसरा

सदस्य मानद होंगे।

(ख) अध्यक्ष और अन्य सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे [लेकिन पदेन सदस्य के मामले में ऐसा कार्यकाल

एक वर्ष का होगा]:

(ग) इस उप-धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के अन्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएं।

6.2 धारा 7 और 9 निम्नानुसार हैं:" 7. क्षेत्रीय आयोग के कार्य। – इसके बावजूद

तत्काल लागू किसी अन्य कानून में या किसी अनुबंध, प्रथा या इसके विपरीत उपयोग में निहित कुछ भी, यह होगा -

क्षेत्रीय आयोग का कर्तव्य व्यक्तियों की सिफारिश करनाअपने पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर स्कूल में शिक्षकों या गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति।

केंद्रीय आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर केंद्रीय आयोग।

9. आयोग की सिफारिशों का प्रभाव (1)

स्कूल में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों पर नियुक्तियां बोर्ड या तदर्थ समिति या बोर्ड के प्रशासक द्वारा लागू होने या इसके विपरीत किसी अनुबंध, प्रथा या उपयोग में होने पर की जाएंगी। क्षेत्रीय आयोग जिसका अधिकार क्षेत्र हो।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद की गई किसी शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी की कोई नियुक्ति अमान्य होगी और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा और इस तरह नियुक्त शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी खंड (पी) के अर्थ के भीतर शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी नहीं होंगे।

या धारा 2 का खंड (आई. ए.), जैसा भी मामला हो। 6.3 हालाँकि, धारा 15 की उप-धाराएँ (ए) और (बी) इस प्रकार निर्धारित की गई हैं -

:

" 15. कुछ विद्यालयों के संबंध में लागू नहीं होने वाला अधिनियम:

इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे -

यह अंदर है। 2001 के डब्ल्यू. बी. अधिनियम 5 द्वारा।

(क) अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित विद्यालय, या

धर्म या भाषा के आधार पर, या

((ख) किसी न्यास के अधीन एक विद्यालय, जिसकी स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, या...

7. 12.10.2007 पर जारी अधिसूचना द्वारा, पश्चिम सरकार

बंगाल, अल्पसंख्यक विकास और कल्याण और मदरसा शिक्षा विभाग ने सरकार के नियंत्रण में सभी मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त मदरसों को "अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों" का दर्जा घोषित और प्रदान किया। अधिसूचना का पाठ इस प्रकार था:

" पश्चिम बंगाल सरकार

अल्पसंख्यक विकास और कल्याण और मदरसा शिक्षा

विभाग

लेखकों की इमारतें, कोलकाता-700001

No.1465-एम. डी./07

तारीख: 12.10.07

सूचना

जहाँ मुसलमान को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई है

पश्चिम बंगाल राज्य और अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद के तहत अधिकार है

30 भारत के संविधान की स्थापना और प्रशासन के लिए

उनकी पसंद का शैक्षणिक संस्थान;

और जहाँ राज्य सरकार सक्षम है

किसी विशेष संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करें और जब तक ऐसा न हो

जब सरकार यह घोषणा करते हुए आदेश जारी करती है कि वह अल्पसंख्यक है

संस्थान वे अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में काम नहीं कर सकते हैं;

और जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि

सरकार सत्यापन और निर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है

के उद्देश्य के लिए एक शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति

भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 (1);

और सरकार। मान्यता प्राप्त मदरसे जिनमें शामिल हैं

हुगली सरकार। मदरसा और कलकत्ता मदरसा थे

मूल रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और लगातार

उस अल्पसंख्यक के सदस्यों द्वारा प्रशासित और

संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को बढ़ावा देना;

और ऊपर बताए गए मदरसे निश्चित रूप से थे

के. एम. डी. के लिए सरकार द्वारा देनदारियों के साथ मान्यता प्राप्त समय।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना और सत्यापन पर यह पता चला है कि 90 प्रतिशत से अधिक छात्र इन संस्थानों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और ये मदरसे अल्पसंख्यकों के सदस्य प्रतिनिधियों के साथ गठित डब्ल्यू. बी. मदरसा बोर्ड की देखरेख में काम कर रहे हैं।

संबंधित समुदाय।

और जहां राज्य सरकार। संतुष्ट होने के कारण

सभी मान्यता प्राप्त मदरसों की उपरोक्त पृष्ठभूमि, जो प्रवेश, चयन आदि से संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों द्वारा सहायता प्राप्त और निर्देशित हैं और संबंधित अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उनके निरंतर और निरंतर कामकाज के बारे में संतुष्ट हो गए हैं कि ये संस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के उद्देश्य से एक शैक्षणिक संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं।

और जहाँ सरकार। पश्चिम बंगाल राज्य में

इन मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त मदरसों और जिन्हें भविष्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता और सहायता दी जाएगी, उन्हें घोषित करने के लिए भी विचार किया गया।

अब, इसलिए, उपरोक्त के अनुसार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसरण में सरकार यह घोषणा करने के लिए प्रसन्न है कि इस सरकार के नियंत्रण में सभी मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त मदरसों और भविष्य में इसी तर्ज पर मान्यता प्राप्त मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में मान्यता दी जाएगी। इन संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा सहमति के अनुसार निम्नलिखित प्रभावों के लिए भी अनुमति दी जाएगी। i) उन्हें पहले की तरह वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।

राज्य सरकार

(ii) रोजगार आदि के लिए आरक्षण नीति लागू नहीं होगी।

इनमें शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति मदरसे।

iii) शिक्षकों का चयन पश्चिम बंगाल द्वारा जारी रखा जा सकता है।

विद्यालय सेवा आयोग अलग पैनल के माध्यम से।

राज्यपाल के आदेश से

(पवन अग्रवाल)

सरकार के सचिव।

पश्चिम बंगाल का "[2020] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 12.10.2007 के परिणामस्वरूप

सभी मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को "अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों" का दर्जा प्रदान करते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार, अल्पसंख्यक विकास और कल्याण और मदरसा शिक्षा विभाग द्वारा 28.12.2007 पर एक और अधिसूचना जारी की गई थी।

इस राज्य के मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त मदरसों के लिए शिक्षकों के चयन का मामला इस राज्य के मदरसों के दायरे से बाहर हो गया है। मौजूदा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग अधिनियम, 1997 "।

9. इसके बाद आयोग अधिनियम राज्य में मदरसा सेवा आयोग के गठन और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। आयोग अधिनियम के संबंध में उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार था:

" हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में घोषित करने के साथ, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग इन संस्थानों के पैनल की सिफारिश नहीं कर सकता है।

पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 1997 (1997 का पश्चिम बंगाल अधिनियम IV) की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए शिक्षक। इसलिए शिक्षकों के पैनल की सिफारिश करने के लिए एक अलग निकाय की स्थापना की आवश्यकता पैदा हो गई है

मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी सहायता प्राप्त में नियुक्ति के लिए

मदरसे। इसे देखते हुए पश्चिम की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

बेगल मदरसा सेवा आयोग।

2. प्रस्तावित आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती करके शिक्षकों के पैनल की तैयारी सुनिश्चित करेगा।

मदरसों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ।

3. उक्त आयोग राज्य में मदरसा प्रणाली में शिक्षकों की विशेष आवश्यकता पर भी विचार करेगा।4. विधेयक को उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

9.1 "मदरसा", "शिक्षक" और "खाली पद" शब्दों को आयोग अधिनियम की धारा 2 (के), (ओं) और (टी) में क्रमशः निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" (के) "मदरसा" का अर्थ है एक मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी सहायता प्राप्त वरिष्ठ मदरसा, कनिष्ठ उच्च मदरसा, उच्च मदरसा या उच्चतर। माध्यमिक मदरसा के. एम. डी. में शिक्षा प्रदान कर रहा है।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

(i) उप के अर्थ के भीतर उच्च मदरसा शिक्षा प्रणाली

खंड (i)

((ii) पश्चिम बंगाल की धारा 2 के खंड (छ) के उपखंड (ii) के अर्थ के भीतर वरिष्ठ मदरसा शिक्षा प्रणाली।

मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1994; या

((ग) उच्च माध्यमिक शिक्षा;

स्पष्टीकरण 1. - " अपनी व्याकरणिक विविधताओं के साथ मान्यता प्राप्त,

मदरसा के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, इसका अर्थ होगा(ए) मान्यता प्राप्त या माना जाता है कि इसके तहत पुनर्गठन किया गया है

पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1994,

या

(ख) पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1975 के तहत मान्यता प्राप्त

स्पष्टीकरण II। — " मदरसा के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली व्याकरणिक विविधताओं के साथ सहायता का अर्थ होगा मदरसा के शिक्षकों के मूल वेतन के लिए वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना।

उस मदरसे में शिक्षक द्वारा रखे गए पद के वेतन का समय-सीमा, स्पष्टीकरण IV-"मदरसा शिक्षा" का वही अर्थ होगा जो पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (छ) में है।

स्पष्टीकरण 5-"उच्च माध्यमिक शिक्षा" का वही अर्थ होगा जो पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खंड (घ) में है।

((ङ) "शिक्षक" से एक सहायक शिक्षक, या बोर्ड या परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे का शिक्षण पद धारण करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, अभिप्रेत है और इसमें प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका या अधीक्षक शामिल होंगे। (टी) "रिक्त पद" का अर्थ है एक रिक्ति, जिसके कारण

(i) राज्य सरकार द्वारा नए पद का सृजन, या [2020] 1 एस. सी. आर.

((ii) शिक्षक के पद से किसी भी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या बर्खास्तगी, पद स्वीकृत किया जा चुका है।

सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा,

लेकिन प्रतिनियुक्ति, छुट्टी के कारण एक अल्पकालिक रिक्ति शामिल नहीं होगी।

या ग्रहणाधिकार और अंशकालिक पद या सहायक का पद प्रधानाध्यापक या सहायक प्रधानाध्यापक "।

9.2 धारा 4 आयोग की संरचना से संबंधित है और प्रभाव को कम करने के लिए है:

" 4. ((i) आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे।

((ii) अध्यक्ष इस्लामी संस्कृति में गहन ज्ञान रखने वाला एक प्रख्यात शिक्षाविद् होगा और शिक्षा और शिक्षण अनुभव में अच्छी तरह से पारंगत होगा, या तो किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में, या किसी कॉलेज के प्राचार्य के रूप में, कम से कम बारह वर्ष की अवधि के लिए, या किसी कॉलेज के प्राचार्य के अलावा, कम से कम पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए, या राज्य सरकार के एक अधिकारी के रूप में।

संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं।

((ग) उप-धारा (1) के अधीन चार सदस्यों में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो शिक्षाविद् नहीं होने के नाते, राज्य सरकार की राय में, सार्वजनिक जीवन में या कानूनी या प्रशासनिक सेवा में किसी प्रतिष्ठित पद पर आसीन है या आसीन है।

इस्लामी में गहन ज्ञान रखने वाले प्ररख्यात शिक्षाविद्

धर्मशास्त्र और संस्कृति और अन्य में शिक्षण होगा।

अनुभव, या तो किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में, या किसी कॉलेज के प्राचार्य के रूप में, कम से कम दस साल की अवधि के लिए, या एक शिक्षक के रूप में, किसी कॉलेज के प्राचार्य के अलावा, या हेडमास्टर के रूप में या

मदरसा की प्रधानाध्यापिका या अधीक्षक, एक अवधि के लिए

पंद्रह साल से कम नहीं। "

9.3 आयोग अधिनियम की धारा 8,10,11,12,13 और 18 इस प्रकार हैं -

" 8. तत्काल लागू किसी अन्य कानून में या किसी अनुबंध, प्रथा या इसके विपरीत उपयोग में कुछ भी निहित होने के बावजूद, आयोग का कर्तव्य होगा कि वह चयन करे और

इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सिफारिश करना।

के. एम. डी आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

10. तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून या किसी अनुबंध, प्रथा या इसके विपरीत उपयोग में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्रबंध समिति, तदर्थ समिति या

प्रशासक, जैसा भी मामला हो, रिक्ति रिपोर्ट के अनुसार संबंधित मदरसे में शिक्षक के पद पर आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए बाध्य होगा।

प्रधानाध्यापिका या प्रभारी शिक्षक को उनके द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने का अधिकार है। आयोग। इस तरह के मामले को प्रबंध समिति, तदर्थ समिति या प्रशासक द्वारा अगली उपलब्ध बैठक में अनुमोदित किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो सकता है:

बशर्ते कि प्रबंध समिति, तदर्थ समिति, प्रशासक या प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका या प्रभारी शिक्षक, यदि सिफारिश में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो ऐसी त्रुटि को हटाने के लिए तुरंत आयोग के संज्ञान में लाएंगे।11. इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए इस अधिनियम के प्रारंभ पर

या उसके बाद की गई किसी भी शिक्षक की नियुक्ति अमान्य होगी और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा और इस तरह से नियुक्त शिक्षक धारा 2 के खंड (ओं) के अर्थ के भीतर शिक्षक नहीं होंगे।

12. (i) यदि प्रबंध समिति, तदर्थ समिति या मदरसा का प्रशासक, जैसा भी मामला हो, मना कर देता है, विफल हो जाता है।

या आयोग द्वारा सिफारिश पत्र में निर्धारित अवधि के भीतर आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने में देरी, बिना किसी उचित आधार के, राज्य सरकार बोर्ड को प्रबंध समिति या तदर्थ समिति को भंग करने का निर्देश दे सकती है, या प्रशासक को निर्वहन कर सकती है, जैसा भी मामला हो, या ऐसे मदरसे को सभी वित्तीय सहायता को रोक सकती है और इसके कारणों को दर्ज कर सकती है और यह भी जारी कर सकती है।

बोर्ड या परिषद को, यथास्थिति, ऐसे मदरसे की मान्यता या संबद्धता को वापस लेने का निर्देश।

[2020] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ii) उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने में विफलता के मामले में

अधीक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका या शिक्षक मदरसा का प्रभारी, वह इस तरह के अनुशासन के अधीन होगा।

कार्यवाही जो विहित की जाए।

13. इस अधिनियम में कहीं और कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले मदरसे के नियोजन में शिक्षकों की सेवा के नियम और शर्तें, जहां तक ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नियम और शर्तें हैं, उनमें अंतर नहीं किया जाएगा।

उनसे तुरंत पहले उनके द्वारा धारण किए गए पदों पर शिक्षकइस अधिनियम का प्रारंभ।

.....

18. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए।

(2) विशेष रूप से, और इसकी व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

अप्रचलित शक्ति, ऐसे नियम सभी या किसी के लिए प्रदान कर सकते हैं

निम्नलिखित मामले:

(अ)

अध्यक्ष की सेवा के नियम और शर्तें और

धारा 5 के तहत अन्य सदस्य;

(ख) धारा 6 के तहत अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने के लिए जिस तरह से जांच की जानी है;

((ग)

सचिव की सेवा के नियम और शर्तें

धारा 7;

(घ) व्यक्तियों के चयन का तरीका और दायरा

धारा 9 के तहत शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति;

(ई)

कोई अन्य विषय जो हो सकता है या होना आवश्यक है,

निर्धारित किया गया।

इसके तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम

(3)

अधिनियम बनाए जाने के तुरंत बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

10. पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग

अंत) अधिनियम, 2010 ने आयोग में कुछ संशोधन किए

संशोधन अधिनियम की धारा 2 निम्नलिखित प्रभाव से है:

एस. के. एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

" 2. पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 (जिसे इसके बाद प्रधान अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 8 में, "या गैर-शिक्षण कर्मचारी" शब्दों के बाद, शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण सहित स्थानांतरण की भी सिफारिश की गई है।

गैर-शिक्षण कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।

11. के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए

आयोग अधिनियम, पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग भर्ती (शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए व्यक्तियों का चयन और सिफारिश) नियम, 2010 (संक्षेप में "2010 नियम") जारी किए गए थे। 2010 का अध्याय-III नियम "चयन का दायरा, विधि और तरीका" विषय से संबंधित है और नियम 8 निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 8. चयन का तरीका (1) किसी भी पद के लिए चयन राज्य/क्षेत्र/क्षेत्र स्तर की चयन परीक्षा के परिणामों के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जा सकता है, जिसमें कोई भी, कुछ या सभी शामिल हो सकते हैं।

निम्नलिखित (जैसा भी मामला हो) - क) लिखित परीक्षा

ख) योग्यता का मूल्यांकन

(घ) योग्यता परीक्षणउम्मीदवारों का, जैसा भी मामला हो, जिस तरह से

अनुसूची III में निर्दिष्ट

(2) आयोग, अपने विवेकाधिकार पर, लिखित परीक्षा में या कुल मिलाकर या दोनों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित कर सकता है और दर्ज किए जाने वाले उचित आधारों पर योग्यता अंकों में ढील दे सकता है।

लिखना।

99

प्रतिद्वंद्वी निवेदन:

12. मदरसा सेवा आयोग ने आयोग अधिनियम और 2010 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार काम करना जारी रखा।समय-समय पर उत्पन्न होने वाले रिक्त पदों के विरुद्ध सिफारिशें। विभिन्न उम्मीदवारों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालाँकि, उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा रिट याचिका [2020] 1 एस. सी. आर. दाखिल करके एक चुनौती दी गई थी।

2013 का No.20650 (W) जैसा कि ऊपर बताया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि आयोग अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में, प्रबंध समिति या प्रशासक मदरसा सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के लिए बाध्य होंगे और इसका परिणाम यह होगा कि

इस तरह की सिफारिश का पालन करने पर धारा 12 में दिए गए दंड का सामना करना पड़ेगा और यह कि यदि रिट याचिकाकर्ता, एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में, अपनी पसंद की संस्था का प्रशासन करने का हकदार था, तो उसके पास एक संबंधित दंड होगा।अपने दम पर शिक्षकों का चयन करने का अधिकार और इस तरह के अधिकार से वंचित होना संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन होगा।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत, आयोग केवल मदरसों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का चयन और सिफारिश करेगा, लेकिन नियुक्ति संबंधित संस्थान द्वारा की जाएगी और ऐसे कर्मचारियों के संबंध में संबंधित संस्थानों की प्रबंध समितियों का समग्र नियंत्रण प्रत्यर्थियों द्वारा नहीं लिया गया था और मदरसों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि राज्य में मदरसों की संख्या 614 थी और मदरसों ने अरबी और उर्दू को छोड़कर सभी विषयों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान की; कि अधिकांश मदरसे राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित थे और इन मदरसों में शिक्षा लेने वाले छात्रों की संख्या लगभग 5,00,000 थी। निवेदन यह था कि राज्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षकों को खोजने में प्रबंध समितियों को आवश्यक सहायता और सहायता प्रदान कर रहा था और इस कानून के पीछे का पूरा उद्देश्य छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षण प्रदान करना था। एकल न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुतिकरण की व्याख्या इस प्रकार की गई थी:

" उत्तरदाताओं के लिए मुख्य रूप से उचित ठहराने वाले दो आधार हैं।

राज्य सरकार द्वारा पूरा किया गया। इसलिए यह निष्पक्ष और तुलनात्मक चयन के लिए भर्ती प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य है।शिक्षक। दूसरा, विवादित अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में आयोग केवल एक शिक्षक का चयन और सिफारिश करता है लेकिन ऐसे कर्मचारियों का समग्र नियंत्रण प्रबंधन समिति के पास होता है जहां सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। इस प्रकार आयोग की भूमिका केवल सरकार द्वारा नियुक्त एक अनुशंसक निकाय की है। ”

एस. के. एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

वर्तमान में उच्च न्यायालय के निर्णय

आवेदन 13. केरल राज्य आदि में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना बनाम। बहुत रेव. मदर प्रोविंशियल, आदि और अहमदाबाद सेंट जेवियर्स

कॉलेज सोसायटी और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य एकल न्यायाधीश ने कहा:

" उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना है कि किसी संस्थान को प्रशासित करने का अधिकार मुख्य रूप से चार प्रमुख पहलुओं से बना है। सबसे पहले,

अपने प्रबंधन या शासी निकाय को चुनने का अधिकार। ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक संस्थान के संस्थापकों को अपनी समिति या निकाय में विश्वास और विश्वास होता है जिसमें उनके द्वारा चुने गए व्यक्ति शामिल होते हैं। दूसरा, अपने आदर्शों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षकों को चुनने का अधिकार। तीसरा यह अधिकार है कि छात्रों को प्रवेश से इनकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। चौथा, अपनी संस्थाओं के लाभ के लिए अपनी संपत्तियों और परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार। इस प्रकार यह निर्णय स्पष्ट रूप से मान्यता देता है कि अपने शिक्षकों का चयन करने का अधिकार एक संस्थान को प्रशासित करने के अधिकार का एक हिस्सा है जिसे अनुच्छेद 30 ने उसे प्रदान किया है। इसके कारण हैं -

फैसले में भी बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया था

13.1 एकल न्यायाधीश ने सचिव, मलंकारा सीरियाई कैथोलिक बनाम टी. जोस और अन्य में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया और

सिंधी एजुकेशन सोसाइटी और एक अन्य बनाम मुख्य सचिव,

एन. सी. टी. दिल्ली सरकार और अन्य ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे:

" कि विनियामक उपायों की सीमित सीमा तक अनुमति है

न्यायिक रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन क्या इस कानून में आक्षेपित प्रावधान एक नियामक उपाय के रूप में पारित होने के योग्य है? विनियामक उपायों के अच्छी तरह से परिभाषित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए।

क्या यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र से शिक्षकों के चयन के अधिकार को छीनना भी मदरसे के मामलों को विनियमित करने और उसके प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने का एक कार्य है? इन प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक समाधान से संबंधित हैं

वर्तमान विवाद "।

4 (1970) 2 एससीसी 417 5 (1974) 1 एससीसी 717 6 (2007) 1 एससीसी 386 7 (2010) 8 एससीसी 49 [2020] 1 एस. सी. आर.

13.2 इसके अलावा, अहमदाबाद सेंट एर्स कॉलेज में निर्णय का उल्लेख करने के बाद एकल न्यायाधीश ने कहा:

.... राज्य उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए नियम निर्धारित कर सकता है।

संस्थान से। शिक्षा के लिए मानकों का निर्धारण

संस्थान अल्पसंख्यकों के अधिकार के खिलाफ विद्रोह नहीं करते हैं

संस्थाओं का प्रशासन करना। निर्देश, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि की दक्षता के सही हित में बनाए गए विनियम निस्संदेह लागू किए जा सकते हैं। इसमें है।

विशेष रूप से निर्धारित किए गए ऐसे विनियम उस अधिकार के निर्वाह पर प्रतिबंध नहीं हैं जिसकी गारंटी दी गई है। दूसरी ओर, वे मामलों में संस्थान के उचित कामकाज को सुनिश्चित करते हैं

शिक्षा से। अल्पसंख्यक संस्थानों को किसी शैक्षणिक संस्थान से अपेक्षित उत्कृष्टता के मानकों से नीचे या सामान्य पितृत्व का पालन करने से इनकार करने के प्रबंधन के विशेष अधिकार की आड़ में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

13.3 . एकल न्यायाधीश ने तब निष्कर्ष निकाला:

" इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि अधिनियम के विवादित प्रावधान अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के अनुसार संस्थानों का प्रशासन करने के लिए दिए गए संरक्षित अधिकार को छीन लेते हैं। इन संस्थानों के लिए शिक्षकों के चयन और उनकी सिफारिश करने का आयोग का अधिकार उन संस्थानों के प्रशासन के अधिकार में हस्तक्षेप करता हैएक संवैधानिक जनादेश को लगभग अप्रभावी बनाना। द.

एक प्रचलित सामाजिक वास्तविकता की धारणा व्यवस्थित रूप से नहीं हो सकती है।

संवैधानिक संरक्षण को दरकिनार करना।

इस प्रकार अधिनियम के विवादित प्रावधान न केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत संरक्षण के अनुरूप हैं, बल्कि निश्चित रूप से इसका अपमान करते हैं। अधिनियम की धारा 8 ऐसा नहीं कर सकती

अलग-थलग पढ़िए। बाद के प्रावधानों के साथ पढ़ें कि आयोग द्वारा की गई सिफारिश के प्रभाव में मजबूरी का एक तत्व है जो वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में गारंटीकृत स्वतंत्रता के खिलाफ है। उक्त अधिनियम की धारा 8 को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया है। में। याचिकाकर्ता की प्रार्थना से पहले क्या चर्चा की गई है

इसे ढाला गया है और अधिनियम की धारा 10,11 और 12 को भी संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया है।

14. आयोग द्वारा राज्य के साथ-साथ उन शिक्षकों द्वारा भी चुनौती दी गई जिनकी सिफारिश के. एम. डी. के प्रावधानों के तहत की गई थी।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा मिशन अधिनियम को खारिज कर दिया गया था। डिवीजन बेंच वेद:

" वर्तमान अधिनियम का राज्य द्वारा संस्थानों को धन देने के आधार पर बचाव करने की मांग की गई है और यह राय है कि यह केवल अनुशंसा प्रक्रिया है और समग्र रूप से हस्तक्षेप नहीं है।

संस्थाओं का प्रशासन। हमें डर है कि सिफारिशों की प्रकृति जो भी हो, यह निश्चित रूप से उन पर प्रभाव डालेगी

अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा अपने संस्थानों का प्रशासन करते समय हर पहलू में प्रशासनिक अधिकार या नियंत्रण का प्रयोग करना।

और सम्मान क्योंकि संस्थानों के पास इस तरह की सिफारिशों से परे व्यक्तियों को चुनने का विकल्प नहीं होगा। इसलिए, अधिनियम की योजना नियामक होने के बजाय, अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने स्वयं के कर्मियों का चयन करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। दिशानिर्देश आदि प्रदान करके नियुक्ति की प्रक्रिया को विनियमित करना एक बात है, हालांकि अल्पसंख्यक संस्थान को किसी भी उम्मीदवार को चुनने से प्रतिबंधित करके उनकी पसंद के अधिकार को रोकना पूरी तरह से अलग है।

द्वारा अनुशंसित लोगों को छोड़कर अन्यथा पात्र

आयोग। चूंकि जहां तक शिक्षा की गुणवत्ता का संबंध है, शिक्षकों आदि की नियुक्ति बहुत प्रासंगिक है, यदि कोई दुर्भावनापूर्ण वैधानिक दुर्बलता राज्य सरकार के ध्यान में लाई जाती है क्योंकि यह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, तो यह राज्य सरकार के लिए वित्तीय सहायता वापस लेने के लिए खुला है यदि शिक्षण कर्मचारियों आदि के चयन की ऐसी प्रक्रिया में दुर्भावनापूर्ण/अवैधता पाई जाती है। अल्पसंख्यक संस्थानों या अन्य संस्थानों की परवाह किए बिना ऐसा अधिकार हमेशा राज्य सरकार के पास होता है।

जहाँ तक वर्तमान अधिनियम का संबंध है, हम विद्वान एकल न्यायाधीश की राय से विचलित नहीं हो सकते हैं कि ऐसा कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के संदर्भ में संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई राय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं और तदनुसार अपील खारिज किए जाने के योग्य हैं।

हमने विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों को भी सुना है जो कुछ शिक्षकों की ओर से पेश हो रहे हैं जो हैं पहले से ही नियुक्त हैं और पिछले पांच वर्षों से सेवा में हैं या सूची में सूचीबद्ध शिक्षकों की नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

2008 के अधिनियम के बाद से, हमारे अनुसार यह संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अल्पसंख्यक संस्थान, यह विशेष रूप से संबंधितों पर छोड़ दिया जाता है

मदरसा या तो ऐसे शिक्षकों के तर्क को स्वीकार करें, जो पहले से ही सेवा में हैं और उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दें और/या

द्वारा सूचीबद्ध उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए

आयोग ऐसी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है।

इन टिप्पणियों के साथ, अपीलों का निपटान किया जाता है।

कनेक्शन अनुप्रयोगों के साथ।

15. हमने श्री मोहन परासरन, श्री कल्याण बनर्जी, श्री मोहन परासरन, श्री कल्याण बनर्जी, श्री मोहन परासरन, श्री कल्याण बनर्जी, श्री मोहन परासरन, श्री कल्याण बनर्जी, श्री मोहन परासरन, श्री कल्याण बनर्जी, श्री मोहन परासरन, श्री कल्याण बनर्जी, श्री मोहन परासरन, श्री कल्याण बनर्जी, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री कल्याण बनर्जी, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री कल्याण बनर्जी, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री कल्याण बनर्जी, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री मोहन परासरन, श्री कल्याण बनर्जी, श्री कल्याण बनर्जी, श्री मोहन परासरन

वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफा अहमदी, श्री जयंत भूषण, श्री जयदीप गुप्ता, श्री सलमान खुर्शीद और श्री पी. एस. पटवालिया उपस्थित हुए।

विभिन्न पक्षों और अन्य विद्वान अधिवक्ताओं के लिए जिन्होंने हमें इस क्षेत्र में प्रासंगिक निर्णयों के माध्यम से ले जाया और विभिन्न वैधानिक प्रावधानों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। चूँकि प्रस्तुतियाँ, कुछ हद तक, अतिरंजित थीं, इसलिए हम विद्वान वकील द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों पर विचार नहीं कर रहे हैं।

16. विचार के लिए उत्पन्न होने वाले बुनियादी मुद्दे हैं कि क्या

आयोग अधिनियम की धारा 8,10,11 और 12 उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित अधिकार से परे हैं और क्या ये प्रावधान आयोग अधिनियम के तहत गारंटीकृत अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

भारत का संविधान। इन अपीलों में उठाए गए बुनियादी मुद्दों से निपटने से पहले, संविधान द्वारा गारंटीकृत अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की सीमा को छूते हुए विभिन्न निर्णयों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। चूंकि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामलों में इस न्यायालय का निर्णय ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था, इसलिए हमने चर्चा को तीन शीर्षकों के तहत विभाजित किया है जिसमें प्रासंगिक निर्णय शामिल हैं:

क) टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन तक के निर्णय; ख) टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में निर्णय; और

ग) टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के बाद के निर्णय।

ए) टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन तक के निर्णय

17. इन रे: केरल शिक्षा विधेयक, 1957%, एक सात न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने राष्ट्रपति द्वारा दिए गए एक संदर्भ पर विचार किया8 (2002) 8 एस. सी. सी. 481

9 (1959) एससीआर 995 के. एम. डी.

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]केरल संघ विधेयक, 1957 के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत। विधेयक की कुछ मुख्य विशेषताओं को एस. आर. दास, सी. जे. और ए. आर. द्वारा दी गई बहुमत की राय में प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि वर्तमान मामले का संबंध है, प्रासंगिक चर्चा थी:

" खंड 9 सरकार के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वह सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी शिक्षकों का वेतन सीधे या स्कूल के प्रधानाध्यापक के माध्यम से दे और सहायता प्राप्त स्कूलों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन भी दे। यह सरकार को गैर-शिक्षण में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति देता है।

सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थापना, उनके वेतन, योग्यता और सेवा की अन्य शर्तें। सरकार, उपखंड (3) के तहत, प्रबंधक को ऐसी दरों पर रखरखाव अनुदान का भुगतान करने के लिए अधिकृत है जो निर्धारित की जाए और उपखंड (4) के तहत किसी सहायता प्राप्त स्कूल की भूमि, भवन या उपकरण की खरीद, सुधार और मरम्मत के लिए अनुदान देने के लिए। खंड 10 सरकार से उन योग्यताओं को निर्धारित करने की अपेक्षा करता है जो उनके पास होनी चाहिए -

सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति और

निजी विद्यालयों में जिनका, परिभाषा के अनुसार, अर्थ सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय। राज्य लोक सेवा आयोग है

शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार

खंड 11 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालय। संक्षेप में, प्रक्रिया यह है कि प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले लोक सेवा आयोग प्रत्येक जिले के लिए शिक्षकों की रिक्तियों की संभावित संख्या को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग उम्मीदवारों का चयन करेगा जो वर्ष के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, कि इस तरह से चुने गए उम्मीदवारों की सूची राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और यह कि प्रबंधक केवल सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति उस जिले के लिए करेगा जिसमें स्कूल स्थित है, इस परंतुक के अधीन कि -

प्रबंधक, पर्याप्त कारण से, आयोग की अनुमति से, किसी अन्य जिले के लिए चुने गए शिक्षकों की नियुक्ति कर सकता है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति भी की जानी है।

इस प्रकार प्रकाशित उम्मीदवारों की सूची से बनाया गया। चयन में

आयोग को उम्मीदवारों को प्रावधानों का ध्यान रखना होगा

कला के खंड (4) के तहत सरकार द्वारा बनाया गया। 16 संविधान का, अर्थात, अनुसूचित जातियों या जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को शैक्षिक सेवा में प्रतिनिधित्व देना -

प्रावधान जिसकी विद्वान वकील [2020] 1 एस. सी. आर. द्वारा कड़ी आलोचना की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एंग्लो-इंडियन और मुस्लिम समुदायों के लिए दिखाई देता है।

(जोर दिया गया)

17. 1 जिस शिकायत को उठाया गया था, वह इस प्रकार है:

प्रबंधक को वार्षिक विवरण (सी. एल.) प्रस्तुत करना होगा। 5)। सहायता प्राप्त विद्यालयों की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है और इसके अलावा उनसे निपटा नहीं जा सकता है।अधिकृत अधिकारी (सी. एल.) की अनुमति से। 6)। सहायता प्राप्त विद्यालय की कोई भी शैक्षिक एजेंसी अपनी पसंद के प्रबंधक की नियुक्ति नहीं कर सकती है।

और प्रबंधक पूरी तरह से अधिकृत अधिकारी के नियंत्रण में है, क्योंकि उसे उसी तरीके से लेखा रखना चाहिए जिस तरह से उसे करने के लिए कहा जाता है और समय-समय पर उनका निरीक्षण करना चाहिए।

स्कूल खातों को अधिकृत अधिकारी (सी. एल.) को सौंपा जाना चाहिए। 7)। एकत्रित सभी शुल्क आदि सरकार (सी. एल.) को सौंपने होंगे। 8 (3)) . सरकार शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन

देने का काम करेगी (खंड 9)। सरकार शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करेगी (खंड 10)। स्कूल अधिकारी अपनी पसंद के एक भी शिक्षक को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन

लोक सेवा आयोग (खंड 11) द्वारा तय किए गए पैनल में से व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा। स्कूल अधिकारियों को शिक्षकों को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता और न ही किया जा सकता है।

अधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना एक शिक्षक को निलंबित कर दें (खंड 12)।

(जोर दिया गया)

17. 2 बहुमत की राय देखी गई:

" इस प्रकार हम काफी जटिलता की समस्या का सामना कर रहे हैं जिसका समाधान करना स्पष्ट रूप से कठिन है। एक तरफ, कला के तहत अल्पसंख्यक अधिकार हैं। 30 (1) अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना और सरकार का कर्तव्य

दूसरी ओर, कला के तहत शिक्षा को बढ़ावा देना राज्य का दायित्व है। 45 नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा शुरू करने का प्रयास करना। हमें इन दोनों परस्पर विरोधी बातों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। हित और यदि संभव हो तो दोनों को प्रभावी बनाना और दोनों के बीच एक संश्लेषण लाना। निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज या ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए, जैसा कि हमारे पास के. एम. डी. है।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

कहा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करें। हम पहले ही उस कला को देख चुके हैं। 30 (1) अल्पसंख्यकों को दो अधिकार देता है, (1) अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और (2) प्रशासन करने के लिए। प्रशासन के अधिकार में स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का अधिकार शामिल नहीं हो सकता है प्रशासित करें। अल्पसंख्यक निश्चित रूप से किसी भी सक्षम शिक्षक के बिना, अस्वस्थ परिवेश में उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान के लिए सहायता या मान्यता की मांग नहीं कर सकते हैं।

योग्यता, और जो शिक्षण के उचित मानक को भी बनाए नहीं रखता है या जो विद्वानों के कल्याण के प्रतिकूल मामलों को पढ़ाता है। अत: यह तर्कसंगत है कि उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान को प्रशासित करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।

आवश्यक रूप से राज्य के दावे के खिलाफ इस बात पर जोर देने के लिए कि सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए उचित विनियम

निर्धारित कर सकता है। विद्वान महान्यायवादी स्वीकार करते हैं कि सहायता या मान्यता के लिए एक शर्त के रूप में राज्य द्वारा निश्चित रूप से उचित नियम लगाए जा सकते हैं।

..... खंड 6,7,9,10,11,12,14,15 और 20 निम्नलिखित से संबंधित हैं -

सहायता प्राप्त विद्यालयों का प्रबंधन। इनमें से कुछ प्रावधानों, जैसे 7,10,11 (1), 12 (1) (2) (3) और (5) को आसानी से सहायता प्रदान करने के लिए उचित विनियमों या शर्तों के रूप में माना जा सकता है। खंड 9,11 (2) और

12 (4) हालाँकि, अनुमेय सीमा से बहुत अधिक जाने पर आपत्ति जताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि फीस आदि के संग्रह को अपने हाथ में लेकर और शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने का वचन देकर सरकार वास्तव में स्कूल के कोष को जब्त कर रही है और स्कूल की प्रतिष्ठा को छीन रही है, क्योंकि कोई भी स्कूल प्राधिकरण की परवाह नहीं करेगा। इसी तरह खंड 11 प्रबंधन के एक स्पष्ट मद को हटा देता है, क्योंकि प्रबंधक किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकता है।लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाले पैनल के अलावा शिक्षक, जो ऐसे कर्तव्यों को निभाने की अपनी शक्ति के सवाल के अलावा, ऐसे शिक्षकों का चयन करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हो सकता है जो धार्मिक संप्रदायों के लिए स्वीकार्य होंगे और विशेष रूप से उस खंड का उपखंड (2) आपत्तिजनक है क्योंकि यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों पर जोर देता है।

अनुसूचित जातियाँ जिन्हें अपने धर्म के सिद्धांतों का कोई ज्ञान नहीं हो सकता है और अन्यथा वे शैक्षिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। बर्खास्तगी, हटाने, पद में कमी या निलंबन की शक्ति प्रबंधन के अधिकार का एक सूचकांक है और जिसे खंड 12 (4) द्वारा हटा लिया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये प्रशासन के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण हैं। और खतरनाक रूप से उस अधिकार का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन विचार करें।

कि वे प्रावधान सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होते हैं

और यह कि सी. एल. एस. के विवादित भाग। 9 , 11 और 12 के लिए डिज़ाइन किया गया है

राष्ट्र की सेवा करने और पिछड़े वर्गों की रक्षा करने में,जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हम इन खंड 9 पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

11 (2) और 12 (4) अनुमेय विनियमों के रूप में जो राज्य कर सकता है

अल्पसंख्यकों को सहायता प्रदान करने की शर्त के रूप में उन पर अधिरोपित करना

शैक्षणिक संस्थान। हालाँकि, हम इसका समर्थन करना असंभव पाते हैं। सीएलएस। 14 और उक्त विधेयक का 15 मात्र विनियमों के रूप में। प्रावधान

कला की। 30 (1) संविधान से। राज्य के लिए विद्वान वकीलकेरल इस बात को स्वीकार करता है। 14 और विधेयक का 15 समाप्त हो सकता है।

अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार

विषय-प्रश्न 2 का विषय। लेकिन, जैसा कि पहले ही समझाया जा चुका है, सभीसहायता या मान्यता की मांग करने वाले नव स्थापित स्कूल खंड द्वारा हैं

3 (5) , अधिनियम के सभी प्रावधानों के अधीन किया गया। अतः ए.

खंड 3 (5) की संवैधानिक वैधता के बारे में चर्चा

विधेयक के अन्य खंडों की वैधता प्रासंगिक हो जाती है,

एक अलग वस्तु के रूप में नहीं बल्कि वैधता निर्धारित करने में खंड 3 (5) के प्रावधान। हमारी राय में, के उपखंड 3

खंड 8 और सीएलएस। 9 , 10 , 11 , 12 और 13 केवल नियामक कार्य है

कला का अपमान न करें। 30 (1) , लेकिन खंड के उपखंड (5) के प्रावधान 3 सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को सी. एल. एस. के अधीन बनाकर। 14

और 15 सहायता प्रदान करने की शर्तों के रूप में अनुच्छेद के खिलाफ अपराध करते हैं।30 (1) संविधान "।

(जोर दिया गया)

18. रेव. सिद्धजभाई भाई और अन्य बनाम। बम्बई राज्य

एक अन्य, इस न्यायालय के छह न्यायाधीशों की एक पीठ को बुलाया गया था

निम्नलिखित विवादः

" याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत को एक रिट के लिए स्थानांतरित किया

मैंडमस या बॉम्बे राज्य को निर्देशित करने वाली अन्य रिट और

53) 3 एससीआर 837 एसके।

एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

प्रशिक्षण में 80 प्रतिशत या कोई भी सीट "सरकार द्वारा नामित शिक्षक" के लिए आरक्षित करना और न ही समाज को मजबूर करना और याचिकाकर्ताओं को नियम 5 (2), 11,12 और 14 के प्रावधानों का पालन करने और कॉलेज की मान्यता वापस लेने या रोकने के लिए नहीं

नियम 14 के तहत या अन्यथा सहायता प्रदान करें।

18.1 याचिकाकर्ता, एक धार्मिक संप्रदाय के सदस्य और एक धार्मिक अल्पसंख्यक का गठन करने के लिए एक प्रशिक्षण कॉलेज चला रहे थे

सभी गैर-सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षक और 80 प्रतिशत सीटें

"सरकार द्वारा नामित शिक्षकों" के लिए आरक्षित किए जाने का निर्देश दिया गया था ताकि ऐसे प्रशिक्षित शिक्षकों को जिला विद्यालय या नगरपालिका बोर्डों द्वारा संचालित राज्य के प्राथमिक और बुनियादी विद्यालयों में शामिल किया जा सके।

18.2 राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा संचालित स्कूल राज्य से अनुदान प्राप्त कर रहा था, इसलिए राज्य कोउपरोक्त के रूप में सीटों के प्रत्यक्ष आरक्षण के अपने अधिकारों के भीतर। इस न्यायालय के निर्णय का पुनः उल्लेख करने के बादः केरल शिक्षा विधेयक मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" अनुच्छेद 30 (1) में प्रावधान है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। 30 (2) राज्य को निर्देश देता है कि वह शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने के लिए किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव न करे कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। खंड (2) संविधान के गैर-भेदभाव खंड का केवल एक चरण है और खंड (1) में किए गए प्रावधानों का अपमान नहीं करता है। खंड को नकारात्मक शब्दों में ढाला गया हैः राज्य को इस आधार पर शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में भेदभाव नहीं करने का आदेश दिया गया है कि -

संस्थान का प्रबंधन अल्पसंख्यक, धार्मिक या भाषाई लोगों के हाथों में है, लेकिन रूप इस निष्कर्ष के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है कि राज्य अन्यथा भेदभाव करने के लिए सक्षम है ताकि अल्पसंख्यकों, धार्मिक या अन्य लोगों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के सार पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

भाषाई। कला के विपरीत। 19 , कला के खंड (1) के तहत मौलिक स्वतंत्रता। 30 , शर्तों में निरपेक्ष है; इसे प्रकृति के किसी भी उचित प्रतिबंधों के अधीन नहीं बनाया गया है-मौलिक स्वतंत्रताएँ।

कला में वर्णित। 19 अधीन किया जा सकता है। सभी अल्पसंख्यक, भाषाई [2020] 1 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या कला द्वारा धार्मिक है। 30 (1) स्थापित करने का पूर्ण अधिकार और

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करना; और कोई भी कानून या कार्यकारी निर्देश जो उसके सार का उल्लंघन करना चाहता है

कला के ठीक नीचे। 30 (1) उस हद तक शून्य होगा। हालांकि, यह

यह कहना नहीं है कि यह राज्य के लिए विनियम लागू करने के लिए खुला नहीं हैइस अधिकार के प्रयोग पर। मौलिक स्वतंत्रता यह है कि

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासनः यह अधिकार है कि वास्तव में जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी स्थापना और प्रशासन करना,

ऐसे संस्थान जो नागरिकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, या

उसके अनुभाग। दक्षता के वास्तविक हित में बनाया गया विनियमन शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था

और इस तरह के आरोप निस्संदेह लगाए जा सकते हैं। इस तरह के हैं नियम

अधिकार के सार पर प्रतिबंध नहीं है जिसकी गारंटी है : वे मामलों में संस्थान के उचित कामकाज को सुरक्षित करते हैं।

शैक्षिक।

(जोर दिया गया)

18.3 री में राय का प्रभावः केरल शिक्षा

निम्नलिखित रूप में माना गया थाः

जो कला के तहत मौलिक स्वतंत्रता है। 30 (1) आश्वासन दिया गया था,यह कानून द्वारा या कार्यकारी निर्देश द्वारा राज्य के लिए खुला था

उचित विनियमन लागू करें। हालांकि, अदालत ने यह नहीं कहा कि

विनियमन की तर्कसंगतता के किसी भी परीक्षण को कम करें। अदालत ने किया

यह तय नहीं करते कि सार्वजनिक या राष्ट्रीय हित ही एकमात्र उपाय था या तर्कसंगतता की परीक्षा ने यह भी तय नहीं किया कि एक विनियमन

न्यायालय द्वारा विनियमन का परीक्षण करने की मांग की गई थी।केरल शिक्षा विधेयक मामला, इसलिए, एक प्राधिकरण नहीं है

अतिरिक्त महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि

सभी विनियामक उपाय जो विनाशकारी या विनाशकारी नहीं हैं

अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्था के चरित्र का,बशर्ते नियम राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित में हों,

वैध "।

कला द्वारा स्थापित अधिकार। 30 (1) एक घोषित मौलिक अधिकार है निरपेक्ष रूप से। गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रताओं के विपरीत

कला द्वारा। 19 , यह उचित प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। इसका उद्देश्य के. एम. डी. है।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

अधिकार का उद्देश्य प्रभावी होना है और इसके द्वारा कम नहीं किया जाना है तथाकथित विनियामक उपायों की परिकल्पना हित में की गई है न कि

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, लेकिन जनता या राष्ट्र के रूप में

पूरा। यदि प्रत्येक आदेश जो औपचारिक चरित्र को बनाए रखते हुए

न्यायोचित माना जाता है क्योंकि यह सार्वजनिक या राष्ट्रीय हित में है, हालांकिएक शैक्षणिक संस्थान के रूप में इसके हित में नहीं, अधिकार की गारंटी

कला द्वारा। 30 (1) यह केवल एक "चिढ़ाने वाला भ्रम", अवास्तविकता का वादा होगा।

विनियम जो विधायी रूप से विधायी द्वारा अधिरोपित किए जा सकते हैंया अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में कार्यकारी कार्रवाई या

मान्यता को बनाए रखते हुए संस्थान बनाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में इसका चरित्र एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में प्रभावी है

तर्कसंगतता, और यह परीक्षण कि यह शैक्षिक का नियामक हैसंस्थान का चरित्र और संस्थान बनाने के लिए अनुकूल है।

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा का एक प्रभावी साधन या

अन्य लोग जो इसका सहारा लेते हैं "।

(जोर दिया गया)

18.4 आखिरकार, यह आयोजित किया गया था,

निजी प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ तक वे आरक्षण से संबंधित हैंसरकार के आदेशों के तहत उसमें सीटों की संख्या और दिए गए निर्देश

इसके अनुसार 80 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के संबंध में औरमहाविद्यालय की अनुदान सहायता और मान्यता को रोकने की धमकी,

याचिकाकर्ताओं को दी गई मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है

कला के तहत। 30 (1) . "

19. रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट और अन्य में। बनाम बिहार राज्य

अन्य, इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ को राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1960 की धारा 48-ए सहित कुछ प्रावधानों की वैधता पर विचार करने के लिए कहा गया था। उक्त धारा 48-ए के संदर्भ में, कोई इरादा, बर्खास्तगी, निष्कासन और सेवा की समाप्ति या कटौती नहीं।

किसी भी कॉलेज के शासी निकाय द्वारा शिक्षकों की संख्या निर्धारित की जा सकती है।

विश्वविद्यालय सेवा आयोग की सिफारिशें।

1969 एससी 465 = (1969) 2 एससीआर 73 [2020] 1 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिक्षक का पद, वरीयता के क्रम में व्यवस्थित दो व्यक्तियों के नाम जिन्हें आयोग द्वारा ऐसे पदों के लिए सबसे योग्य माना जाता था। जबकि इस न्यायालय में चुनौती लंबित थी, धारा 48 बी पेश की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया था कि 48-ए की उप-धारा (6) सहित कुछ प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एक संबद्ध कॉलेज का शासी निकाय नियुक्तियाँ, बर्खास्तगी, निष्कासन, सेवा की समाप्ति या शिक्षकों के पद में कमी या अन्य अनुशासनात्मक उपाय करने का हकदार होगा।

केवल आयोग और विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की मंजूरी के अधीन। इस प्रकार, आयोग द्वारा असंशोधित प्रावधानों के तहत सिफारिशें करने के बजाय, अब अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शासी निकाय ऐसी नियुक्तियां कर सकता है जो आयोग और विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा अनुमोदन के अधीन थीं। याचिका को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने कहा:

" विद्वान महान्यायवादी कला द्वारा दिए गए संरक्षण को पढ़ना चाहते हैं। 30 (1) कला से लिया गया एक उपसंहार। 29 (1) . वह स्वीकार करते हैं कि जेसुइट समुदाय धर्म पर आधारित एक अल्पसंख्यक समुदाय है और इसलिए, उसे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। लेकिन वह तर्क देते हैं कि कला में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के रूप में। 29 (1) यदि केवल अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, तो कॉलेज कला के संरक्षण के लिए योग्य नहीं है। 30 (1) क्योंकि यह उनके संरक्षण के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए सवाल यह है कि क्या कॉलेज केवल एस के संरक्षण का दावा कर सकता है। 48 - अधिनियम के बी को कला के साथ पढ़ा जाता है। 30 (1) संविधान का यदि यह साबित करता है कि कॉलेज है

कला में उल्लिखित अधिकारों को आगे बढ़ाना। 29 (1) .

हमारी राय में, अनुच्छेद 30 (1) की चौड़ाई को उन विचारों को शामिल करके कम नहीं किया जा सकता है जिन पर अनुच्छेद 29 (1) आधारित है। बाद वाला अनुच्छेद एक सामान्य संरक्षण है जो अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए दिया जाता है। पहला अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का विशेष अधिकार है। यह विकल्प भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण की मांग करने वाले संस्थान तक ही सीमित नहीं है और यदि अल्पसंख्यक समुदाय ने अपनी पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया है तो अन्य समुदायों के सदस्यों को भी स्वीकार करने का विकल्प नहीं लिया जाता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो अनुच्छेद के. एम. डी. के अनुप्रयोग के लिए अप्रासंगिक है।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

30 (1) क्योंकि ऐसी कोई सीमा व्यक्त नहीं की गई है और कोई भी निहित नहीं किया जा सकता है। दोनों अनुच्छेद दो अलग-अलग अधिकार पैदा करते हैं, हालांकि यह संभव है कि वे किसी दिए गए मामले में मिल सकते हैं। हमारी राय में कला की भाषा। 30 (1) व्यापक है और पूर्ण अर्थ प्राप्त करना चाहिए। हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से निपट रहे हैं और

सुरक्षा को कम करने के प्रयासों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हम.

सुरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम शब्दों से स्वाभाविक रूप से बहने वाले सुरक्षा को कम नहीं कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से सुरक्षा है

शब्दों से प्रवाहित होता है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर कला से सहायता ली जा सके। 29 (1) . ”20. केरल राज्य आदि बनाम। बहुत रेव. प्रांतीय माँ,

इस न्यायालय के छह न्यायाधीशों की एक पीठ ने कुछ को चुनौती दी

केरल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969। का दायरा

इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किए गए थे:

" 16. धारा 53, उप-धारा (1), (2) और (3) विश्वविद्यालय के सिंडिकेट को प्राचार्य के चयन में शासी निकाय या प्रबंध परिषद की कार्रवाई पर भी वीटो करने की शक्ति प्रदान करती है। इसी तरह, उप-धारा (4) शिक्षा से अलग करती है।

एजेंसी या कॉर्पोरेट प्रबंधन को चुनने का अधिकार

शिक्षक। उप-धारा (4) में योग्यता या वरिष्ठता पर आग्रहउप-धारा (1) में सह-स्वास्थ्य स्थिति को नहीं बचाता है। इस शक्ति का प्रयोग शैक्षिक एजेंसी या निगमित प्रबंधन द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के नियंत्रण में एक विशिष्ट और स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाता है। वास्तव में उप-धारा (9) किसी भी पीड़ित व्यक्ति को सिंडिकेट में अपील करने का अधिकार देती है।

शासी निकाय या प्रबंध परिषद की कार्रवाई से इस प्रकार सिंडिकेट को इनमें अंतिम और पूर्ण प्राधिकरण बनाना

विषय हैं। इसके साथ धारा 56 की उप-धारा (2) और (4) में कुलपति और सिंडिकेट की शक्ति है।

20.1 इसके बाद, इस न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों को हटा लिया जो शासी निकाय से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति को हटा देते हैं और इसे विश्वविद्यालय को प्रदान करते हैं। उच्च न्यायालय का आदेश जिसमें कहा गया था कि प्रावधान अतिवादी हैं

इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में पुष्टि की गई थी:

" 19. जिन प्रावधानों को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई है, उनके उपरोक्त विश्लेषण के परिणाम से पता चलता है कि उच्च न्यायालय

संविधान। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि धारा 48 और 49 की उप-धारा (2) और (4) अनुच्छेद 30 (1) के अधिकार से बाहर हैं। वास्तव में हम सोचते हैं कि इन दोनों खंडों की उप-धाराएँ (6) भी अधिकार से बाहर हैं। वे अन्य दो की तुलना में अधिक अपमान करते हैं जिनमें से वे एक अभिन्न अंग हैं।

हम इस बात से भी सहमत हैं कि धारा 53 की उप-धारा (1), (2), (3) और (9), धारा 56 की उप-धारा (2) और (4) अधिकार से बाहर हैं क्योंकि वे धारा 48 और 49 में विफल रहती हैं। हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैंअनुच्छेद 30 (1) की तुलना में इन उप-धाराओं के संबंध में। हम इस बात से भी सहमत हैं कि धारा 58 (जहां तक यह अयोग्यता को हटा देती है)

संस्थापक सहमत होना पसंद नहीं कर सकते हैं) और धारा 63 अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में अनुच्छेद 30 (1) के अधिकार से बाहर है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रावधान (धारा 63 को छोड़कर) भी

जहाँ तक याचिकाकर्ता बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों संस्थानों के संबंध में भारत के नागरिक हैं, अनुच्छेद 19 (1) (च) के लिए अपमानजनक है। कम से कम जहां तक बहुसंख्यक संस्थानों का संबंध है, शुरुआत में इस पर बहस हुई थी। बहुसंख्यक संस्थानों ने अनुच्छेद 14 को लागू किया और

भेदभाव की शिकायत की। लेकिन बाद के चरण में

कार्यवाही श्री मोहन कुमारमंगलम ने कहा कि उन्होंने

यह कहने के निर्देश कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होने वाला कोई भी प्रावधान बहुसंख्यक संस्थानों के खिलाफ भी लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए यह हमें न केवल अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में बल्कि बहुसंख्यक संस्थानों के संबंध में भी अनुच्छेद 19 (1) (च) के तहत मामले पर विचार करने के कार्य से मुक्त करता है। धारा के प्रावधान

63 दोनों प्रकार के संस्थानों को समान रूप से प्रभावित करता है और घोषित किया जाना चाहिए

दोनों के संबंध में अति अधिकार "।

21. डी. ए. वी. महाविद्यालय आदि में। पंजाब राज्य और अन्य, इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस चुनौती पर विचार किया

गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर अधिनियम, 1969 के प्रावधान और उसके अनुसार जारी अधिसूचनाएँ। अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) के तहत, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाला कॉलेज था

सीनेट द्वारा अनुमोदित 20 से अधिक व्यक्तियों से युक्त एक नियमित रूप से गठित शासी निकाय होने के लिए बाध्य है, जिस निकाय में विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए। धारा 17 में यह अपेक्षा की गई थी कि शुरू में नियुक्त कर्मचारियों को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और बाद के किसी भी परिवर्तन की सूचना विश्वविद्यालय को वाइस के. एम. डी. के लिए दी जानी चाहिए।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

सेलर की मंजूरी। इन धाराओं को इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को देखते हुए निरस्त कर दिया गया था। कोर्स के दौरान

इस न्यायालय ने निम्नलिखित चर्चा की:

“ 36. हम इसे रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट और ओआरएस में पहले ही देख चुके हैं। वी. बिहार राज्य और अन्य "। , धारा 48 (ए) के प्रावधानों में विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित कॉलेजों सहित सभी संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों का चयन करने की आवश्यकता थी।

उस मामले में याचिकाकर्ताओं के अधिकारों में हस्तक्षेप करना। उस मेंमामला, जबकि याचिका न्यायालय में लंबित थी, धारा 48 (बी)

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में जोड़ा गया था जिसके द्वारा

धारा 48 (ए) के प्रावधानों के बावजूद अल्पसंख्यक संस्थानों को आयोग और सिंडिकेट की मंजूरी से नियुक्तियां करने के लिए छूट दी गई थी।

धारा 48 (बी) के तहत छूट का दावा किया और प्रस्तुत किया कि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एक संबद्ध कॉलेज के रूप में उन्हें धारा 48 (ए) से छूट दी गई है और यदि इस याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है तो वे उस याचिका को वापस ले लेंगे जो अनावश्यक हो गई थी। यहां तक कि इस प्रार्थना को भी राज्य द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप यह माना गया था कि वे दावा की गई छूट के हकदार थे। इसलिए यह निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारियों को केवल विश्वविद्यालय या राज्य की मंजूरी से नियुक्त, बर्खास्त या हटाने की आवश्यकता भी उल्लंघन नहीं करती है।

अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत संस्था को प्रशासित करने का अधिकार।

37. हमारे विचार में कानूनों के अध्याय 5 के खंड 2 (1) (ए) और 17 में निहित प्रावधानों के लिए कोई संभावित औचित्य नहीं है जो निश्चित रूप से कानून के प्रबंधन के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं।

याचिकाकर्ता महाविद्यालय। इसलिए ये प्रावधान नहीं किए जा सकते हैं। संबद्धता की शर्तों के रूप में, जिनके गैर-अनुपालन में संबद्धता को समाप्त करना शामिल होगा और परिणामस्वरूप उन्हें रद्द करना होगा

अनुच्छेद 30 (1) के उल्लंघन के रूप में।

38. तथापि, हमारे विचार में खंड 18 खंड 17 के समान दोष से ग्रस्त नहीं है क्योंकि वह प्रावधान जहाँ तक लागू है

अल्पसंख्यक संस्थानों को विश्वविद्यालय को शिक्षकों की सेवा और संचालन को नियंत्रित करने वाले विनियमों द्वारा निर्धारित करने का अधिकार है जो संस्थानों की दक्षता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए उनके व्यापक हित में अधिनियमित किया गया है। उदाहरण के लिए यह एक अध्यादेश [2020] 1 एस. सी. आर. जारी कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में या न्यूनतम निर्धारित करें

ऐसे संस्थानों द्वारा आम तौर पर या विशेष विषयों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए योग्यता। में एकरूपता

सभी गैर-सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की सेवा और आचरण की शर्तों से सद्भाव बढ़ेगा और निराशा से बचा जा सकेगा। बेशक जबकि निर्दिष्ट मामलों के संबंध में अध्यादेश बनाने की शक्ति असाधारण है, के उल्लंघन की प्रकृति

अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार, यदि कोई हो, अध्यादेश के वास्तविक उद्देश्य और महत्व पर निर्भर करेगा जब बनाया जाता है और जिस तरह से यह शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके बारे में अब भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। 22. अहमदाबाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसायटी और एक अन्य

बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों को एक अल्पसंख्यक द्वारा संचालित कॉलेज पर लागू करने का मुद्दा इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष था। अनुच्छेद 30 के उल्लंघन के रूप में प्रावधानों के तीन सेटों पर महाभियोग चलाया गया।

कुलपति और महाविद्यालय के शिक्षकों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा नामित विश्वविद्यालय और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों और महाविद्यालय के छात्रों में से कम से कम एक प्रतिनिधि। इसके अलावा, धारा 33ए (1) (बी) के तहत, उद्देश्यों के लिए प्राचार्य और शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों की भर्ती के लिए, एक चयन समिति होगी, जिसमें प्राचार्य की भर्ती के मामले में, कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए और शिक्षण कर्मचारियों के सदस्य की भर्ती के मामले में, कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि और ऐसे शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित विभाग का प्रमुख; (iii) धारा 51 ए और 52 ए जिसके संदर्भ में किसी भी संबद्ध कॉलेज के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के किसी भी सदस्य को जांच के बाद के अलावा सेवा से बर्खास्त या हटाया या रैंक में कम नहीं किया जा सकता है; ऐसे किसी भी सदस्य की सेवा की समाप्ति वैध नहीं होगी।

एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

जब तक कि इस तरह की समाप्ति को कुलपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था; और कॉलेज के शासी निकाय और शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारियों के किसी भी सदस्य के बीच किसी भी विवाद को एक न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए

मध्यस्थता में महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नामित एक सदस्य, संबंधित सदस्य द्वारा नामित एक सदस्य और कुलपति द्वारा नामित एक अंपायर शामिल होता है।

22.1 . रे, सी. जे. द्वारा अपने और जे. पालेकर के लिए लिखे गए प्रमुख निर्णय में, संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत "प्रशासन के अधिकार" की सीमा और विनियामक उपायों का प्रभाव

उक्त अधिकार का सारांश इस प्रकार दिया गया है:

" 19. .... कहा जाता है कि प्रशासन के अधिकार में चार प्रमुख मामले शामिल हैं। सबसे पहले अपने प्रबंधन या शासी निकाय को चुनने का अधिकार है। ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक संस्थान के संस्थापकों को अपनी समिति या निकाय में विश्वास और विश्वास होता है जिसमें उनके द्वारा चुने गए व्यक्ति शामिल होते हैं। दूसरा अपने शिक्षकों को चुनने का अधिकार है। ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक संस्थान चाहते हैं कि शिक्षक

संस्थान के आदर्शों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं के साथ अनुकूलता।

तीसरा यह अधिकार है कि छात्रों को प्रवेश से इनकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में, अल्पसंख्यक संस्थान शैक्षणिक योग्यता के बारे में उचित नियमों के अधीन अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार चाहते हैं। चौथा अपनी संपत्तियों और परिसंपत्तियों का उपयोग अपनी संस्था के लाभ के लिए करने का अधिकार है।

20. धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है। यह अधिकार विनियमन से मुक्त नहीं है। जिस तरह अल्पसंख्यक संस्थानों के शैक्षिक चरित्र और विषय-वस्तु को बनाए रखने के लिए नियामक उपाय आवश्यक हैं, उसी तरह नियामक उपाय भी आवश्यक हैं।

सुव्यवस्थित, कुशल और सुदृढ़ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

प्रशासन। दास, सी. जे. ने केरल शिक्षा विधेयक मामले में प्रशासन के अधिकार के सही अर्थ को एक वाक्य में यह कहकर संक्षेपित किया कि प्रशासन का अधिकार कुशासन का अधिकार नहीं है।

22.1. 1 में शिक्षकों के महत्व पर विचार करते हुए

शैक्षणिक संस्थान, रे, सी. जे. ने कहा:

" 30. शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के मंदिर हैं। मानव बुद्धि के गुणों में शिक्षा द्वारा महारत हासिल की जाती है और उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाता है। जहाँ शिक्षक और [2020] 1 एस. सी. आर. के बीच पूर्ण सामंजस्य हो।

पढ़ाया जाता है, जहाँ शिक्षक पढ़ाता है और छात्र प्राप्त करता है, जहाँ शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले का पूर्ण समर्पण होता है।

जहाँ शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले के बीच अनुशासन होता है, जहाँ दोनों सीखने के उपासक होते हैं, वहाँ कोई कलह या चुनौती उत्पन्न नहीं होगी। एक शैक्षणिक संस्थान सुचारू रूप से चलता है जब शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले ज्ञान की खोज के सामान्य आदर्श में लगे होते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि शिक्षकों की नियुक्ति शैक्षणिक संस्थानों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द.

योग्यता और शिक्षकों का चरित्र वास्तव में महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रशासन का अधिकार हैसंस्थाएं। इस अधिकार का तात्पर्य छात्रों को सर्वोत्तम प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों के दायित्व और कर्तव्य से है। प्रशासन के अधिकार में, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपायों के रूप में नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता होती है। प्रशासन के अधिकार को सुचारू रूप से सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक उपायों के साथ संयमित किया जाना है।

प्रशासन। सबसे अच्छा प्रशासन अल्पसंख्यक का कोई निशान या रंग प्रकट नहीं करेगा। एक अल्पसंख्यक संस्थान को अनुकरणीय रूप से चमकना चाहिए।

संस्थान के प्रशासन में सारग्राहीवाद। अल्पसंख्यक संस्थान को सबसे अच्छी प्रशंसा यह दी जा सकती है कि वह अपने अल्पसंख्यक चरित्र पर निर्भर या घोषित नहीं करता है।31. नियम जो छात्रों के हितों की पूर्ति करेंगे, नियम जो शिक्षकों के हितों की पूर्ति करेंगे, अच्छे प्रशासन में सर्वोपरि हैं। शिक्षकों की दक्षता, अनुशासन और प्रशासन में निष्पक्षता के हित में विनियमन संबद्ध संस्थानों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

32. शिक्षा को विकास में एक महान सामंजस्यपूर्ण शक्ति होना चाहिए।

राष्ट्र की अखंडता। शिक्षा राष्ट्र के लोकाचार का विकास करती है। इसलिए, यह देखने के लिए नियम आवश्यक हैं कि प्रशासन में कोई विभाजनकारी या विघटनकारी ताकतें न हों।

(जोर दिया गया)

22.1. 2 विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया गया निष्कर्ष यह था:

41 , 33 - ए (1) (ए), 33-ए (1) (बी), 51-ए और 52-ए को अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।अल्पसंख्यक संस्थानों से।

के. एम. डी आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

46. एक अल्पसंख्यक संस्थान का अंतिम लक्षय भी सामान्य शिक्षा प्रदान करना है

धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सीखने की प्रगति है। इस अदालत ने

लगातार यह माना जाता है कि यह न केवल अनुमेय है बल्कि वांछनीय भी है शैक्षणिक और शैक्षणिक मामलों में सब कुछ विनियमित करने के लिए

शिक्षा के मानकों में उत्कृष्टता और एकरूपता प्राप्त करना।

47. प्रशासन के क्षेत्र में यह दावा करना उचित नहीं है कि

अल्पसंख्यक संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता होगी। इस पर जाँच करें

प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है किप्रशासन कुशल और सुदृढ़ है और शिक्षाविदों की सेवा करेगा

अच्छा प्रशासन। 48. शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं जहाँ

हर कोई सीखने का समर्थक है। उन्हें नहीं बनाया जाना चाहिए

किसी भी भेद को जानें। उनका सामंजस्य समर्पण और समर्पण पर टिका हुआ है। सीखने की अनुशासित खोज। प्रशासन के क्षेत्र

अल्पसंख्यकों को सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समायोजित किया जाना चाहिएसबसे उत्कृष्ट। यह तभी संभव है जब सभी संस्थान इसका पालन करें।

आदर्श वाक्य है कि संस्थान शिक्षा की पूजा के स्थान हैंचाहे कोई भी हो, छात्रों और शिक्षकों द्वारा एक साथ

संप्रदाय और भेद "।

(जोर दिया गया)

22.2 विद्वान प्रमुख द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होते हुए

वनाच्छादित प्रावधानों के संबंध में, जे. जगमोहन रेड्डी,

स्वयं के लिए राजा और जे. अलगिरिस्वामी ने भी इन प्रावधानों को जोड़ा

अमेरिकी कानून जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आए थे

समय-समय पर। री में राय के बारे में: केरल शिक्षा

1957 , यह देखा गया:

" अनुच्छेद 29 (1) और 30 (1) के तहत अधिकारों का दायरा और दायरा

सबसे पहले इस न्यायालय द्वारा विचार और विश्लेषण किया गया थासंविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ पर सलाह

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 में संविधान। यह रिपोर्ट

इस न्यायालय पर किसी भी बाद के मामले में बाध्यकारी नहीं है जिसमें -किसी भी अनुरूप के तहत अधिकारों के उल्लंघन का ठोस मामला

प्रावधान पर सवाल उठाया जा सकता है, हालांकि यह बड़े प्रावधान का हकदार है।

वजन। अनुच्छेद 143 के तहत यह न्यायालय अपनी राय व्यक्त करता है यदि वह ऐसा करता है [2020] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चुनता है और कुछ मामलों में यह इसे व्यक्त करने से भी इनकार कर सकता हैराय, इन री लेवी ऑफ एस्टेट ड्यूटी 1 2 के माध्यम से दास, सी. जे. द्वारा केरल शिक्षा विधेयक, 1957 में अनुमोदन के साथ उद्धृत। कुछ मामलों में राय कुछ कथित आकस्मिकताओं या कुछ कल्पित या काल्पनिक स्थितियों पर आधारित हो सकती है, जबकि

अनुच्छेद 133 के तहत अपील के माध्यम से या अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति या अनुच्छेद 32 के तहत याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष आने वाला ठोस मामला, अनुच्छेद 141 के आधार पर घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। फिर भी अनुच्छेद 29 (1) और अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकारों के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या दास, सी. जे. द्वारा बहुमत के लिए बोलते हुए, अत्यंत स्पष्टता, महान स्पष्टता और विवेक के साथ पाठ किया गया है।

जिनसे इस न्यायालय ने अपने बाद के निर्णयों में अपना समर्थन प्राप्त किया है। इस हद तक कि इस न्यायालय ने इन सिद्धांतों को लागू किया हैठोस मामलों के लिए दास, सी. जे. द्वारा जो टिप्पणी की गई है, उसके साथ कोई टकराव होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। इस मामले में चुनौती दिए गए समान प्रावधानों पर दिए गए निर्णय प्रथम दृष्टया इन मामलों को नियंत्रित करेंगे, जब तक कि यह बड़ी पीठ उनसे अलग न हो।

22.3 खन्ना, जे. ने अपनी सहमति वाली राय में माना कि विनियमों की सीमा निर्धारित की जा सकती है, जो इस प्रकार है:

" 90. अब हम अनुच्छेद 30 के खंड (1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार के दायरे और दायरे पर विचार कर सकते हैं। यह खंड सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षिक निर्देशों को स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार प्रदान करता है। खंड द्वारा प्रदत्त अधिकार पूर्ण रूप से है और प्रतिबंधों के अधीन नहीं है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के मामले में है। हालाँकि, शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार इसके निर्माण को नहीं रोकता है -

एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में संस्थान। उन्हें इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसे शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने का अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता हैइसमें कुशासन का अधिकार शामिल है। अस्वास्थ्यकर स्थिति में किसी शैक्षणिक संस्थान के आवास को रोकने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं।

4 एफसीआर 317 के. एम. डी.

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

योग्य शिक्षकों के बिना एक शैक्षणिक संस्थान। राज्यसंस्थान की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए नियम निर्धारित कर सकते हैं।

शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानकों का निर्धारण अल्पसंख्यकों के संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार के खिलाफ नहीं है। शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि की दक्षता के सही हित में बनाए गए विनियम निस्संदेह लागू किए जा सकते हैं। इस तरह के नियम प्रतिबंध नहीं हैंअधिकार का सार जिसकी गारंटी दी गई है: वे सुरक्षित करते हैं

शैक्षणिक मामलों में संस्थान का उचित कार्यकरण [रेव. सिद्धजभाई भाई में शाह, जे. की टिप्पणियाँ देखें। 850] .

इसके अलावा जैसा कि हदीसुल्लाह, सी. जे. ने बहुत रेव. मदर प्रोविंशियल के मामले में देखा, मानकों का संबंध राजनीतिक निकाय से है और

देश और उसके लोगों की प्रगति के विचारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए, यदि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम स्थापित करते हैं, तो उनका पालन किया जाना चाहिए, हालांकि, विशेष विषयों के अधीन, जिन्हें संस्थान पढ़ाना चाहते हैं, और कुछ हद तक राज्य शिक्षकों के रोजगार की शर्तों और छात्रों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी विनियमित कर सकता है। इस तरह के नियम सीधे प्रबंधन पर लागू नहीं होते हैं, हालांकि वे अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी शिक्षा, शैक्षिक

मानकों और संबद्ध मामलों को विनियमित करने के राज्य के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थानों को शैक्षणिक संस्थानों से अपेक्षित उत्कृष्टता के मानकों से नीचे गिरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, या प्रबंधन के अनन्य अधिकार की आड़ में, सामान्य पैटर्न का पालन करने से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जबकि प्रबंधन उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए, वे दूसरों के साथ कदम रखने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

91. मेरी राय में, किसी विशेष तिथि से पहले वेतन का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की अनुमति है।

महीना। विनियमों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि संस्थान के धन को शिक्षा के उद्देश्यों या संस्थान की बेहतरी के लिए खर्च किया जाना चाहिए, न कि बाहरी उद्देश्यों के लिए। विनियमों में संस्थानों के धन को प्रबंधन के प्रभारी या प्रबंधकों की जेबों में जाने से रोकने के प्रावधान भी हो सकते हैं।

किसी अन्य तरीके से उनका गबन। संस्थान के खातों के लेखापरीक्षा के प्रावधान अनुमेय विनियमन होंगे। इसी तरह, विनियमों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी और कर्मचारियों के सदस्यों के रूप में कार्यरत लोग [2020] 1 एस. सी. आर. के दोषी नहीं होने चाहिए थे।

राष्ट्रीय हित के खिलाफ कोई भी गतिविधि। अल्पसंख्यक भी राष्ट्र का उतना ही हिस्सा हैं जितना कि बहुसंख्यक, और जो कुछ भी राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता है, उसे अनिवार्य रूप से इसके अंतिम संचालन में उन सभी के हितों को प्रभावित करना चाहिए जो इस विशाल भूमि में रहते हैं, चाहे वे कुछ भी हों।

तथ्य चाहे वे जनसंख्या के बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित हों। इसलिए, यह सुनिश्चित करना अल्पसंख्यकों के हित में है जितना कि बहुसंख्यक के हित में है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को दी जाने वाली सुरक्षा का उपयोग कुछ ऐसा करने के लिए नहीं किया जाए जो राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक हो। इसलिए, शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए नियमों को उचित माना जा सकता है।

92. एक विनियमन जो कुप्रशासन को रोकने के लिए बनाया गया है

किसी शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 30 के खंड (1) का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है। उसी समय यह सुनिश्चित करना होगा कि विनियम बनाने की शक्ति के तहत ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए जिससे नुकसान हो।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में संस्थान के चरित्र से या जो अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकारों पर अतिक्रमण करेगा। अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का उद्देश्य वास्तविक और प्रभावी होना है न कि केवल एक पवित्र और अमूर्त भावना; यह वास्तविकता का एक वादा है न कि एक चिढ़ाने वाला भ्रम। इस तरह के अधिकार को किसी भी उपाय से कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

एक नियम। जैसा कि इस न्यायालय ने रेव. सिद्धजभाई भाई के मामले में कहा, अनुदान प्राप्त करने या मान्यता प्राप्त करने की शर्त के रूप में विधायी या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा कानूनी रूप से लागू किए जाने वाले विनियमों को संस्थान बनाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में प्रभावी अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपने चरित्र को बनाए रखते हुए। इस तरह के विनियमन को दोहरे परीक्षण को संतुष्ट करना चाहिए-तर्कसंगतता की परीक्षा, और यह परीक्षण कि यह संस्थान के शैक्षिक चरित्र का नियामक है और संस्थान को अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का एक प्रभावी वाहन बनाने के लिए अनुकूल है। समुदाय या अन्य व्यक्ति जो इसका सहारा लेते हैं।

94. यदि किसी शैक्षणिक संस्थान की संबद्धता या मान्यता के लिए अनुरोध किया जाता है, तो यह अनुरोध में निहित है कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेगा।

संबद्धता या मान्यता प्रदान करने वाला प्राधिकरण। उक्त प्राधिकारी हमेशा विनियम निर्धारित कर सकता है और इस बात पर जोर दे सकता है कि उनका पालन किया जाना चाहिए।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

इससे पहले यह किसी शैक्षणिक संस्थान को संबद्धता या मान्यता प्रदान करेगा। संबंधित प्राधिकारी को विनियम बनाने की शक्ति से वंचित करने के परिणामस्वरूप संबद्धता की अवधारणा को लूट लिया जाएगा या

इसके वास्तविक सार की मान्यता। कोई भी संस्थान तब तक संबद्धता या मान्यता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह किसी निश्चित मानक के अनुरूप न हो। तथ्य यह हैयह कि संस्था निर्धारित मानक की है, वास्तव में संबद्धता या मान्यता की अवधारणा में निहित है। इसलिए, संबंधित प्राधिकारी के लिए ऐसे विनियम निर्धारित करने की अनुमति है जिनका किसी संस्थान द्वारा संबद्धता और मान्यता प्राप्त करने और बनाए रखने से पहले पालन किया जाना चाहिए। तब सवाल उठता है कि क्या

संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए मौलिक अधिकार की गारंटी दी है। संबंधित प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विनियमों को उस अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए, दो उद्देश्यों के बीच संतुलन रखा जाना चाहिए, संस्थान के उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करना और अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के

अधिकार को संरक्षित करना। नियम-कानून जो दोनों उद्देश्यों को स्वीकार करते हैं और उनका मिलान करते हैं, उन्हें उचित माना जा सकता है।

103. एक अन्य निष्कर्ष जो ऊपर चर्चा की गई है, वह यह है कि एक कानून जो अल्पसंख्यक के योग्य शिक्षकों की पसंद या शिक्षकों और संस्थान के कर्मचारियों के अन्य सदस्यों पर इसके अनुशासनात्मक नियंत्रण में हस्तक्षेप करता है, अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करने के रूप में अमान्य है। बेशक, राज्य और उसके शैक्षणिक प्राधिकरणों के लिए योग्यता निर्धारित करने की अनुमति है -

शिक्षक, लेकिन एक बार आवश्यक योग्यता रखने वाले शिक्षकों का चयन अल्पसंख्यकों द्वारा उनकी शिक्षा के लिए किया जाता है संस्थान, राज्य को उन शिक्षकों के चयन पर वीटो करने का कोई अधिकार नहीं होगा। एक शैक्षणिक संस्थान के लिए शिक्षकों का चयन और नियुक्ति एक शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन के अधिकार के आवश्यक तत्वों में से एक है और अल्पसंख्यक कर सकते हैं।

अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन किए बिना चयन और नियुक्ति के ऐसे अधिकार से स्पष्ट रूप से वंचित नहीं किया जाएगा। रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट के मामले में यह न्यायालय बिहार [2020] 1 एस. सी. आर. की धारा 48-ए पर विचार करते हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विश्वविद्यालय अधिनियम ने पाया कि उक्त प्रावधान ने कॉलेज के शासी निकाय की स्वायत्तता को पूरी तरह से छीन लिया और

वस्तुतः महाविद्यालय का नियंत्रण विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सौंप दिया गया। इसलिए उस मामले में याचिकाकर्ताओं को अभिनिर्धारित किया गया था

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के संरक्षण का हकदार। उस धारा के प्रावधानों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस धारा के अनुसार, विश्वविद्यालय की नियुक्ति की मंजूरी के अधीन, राज्य सरकार से संबंधित नहीं होने वाले किसी संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों की बर्खास्तगी, निष्कासन, सेवा समाप्ति या रैंक में कमी विश्वविद्यालय सेवा की सिफारिश पर कॉलेज के शासी निकाय द्वारा की जानी चाहिए। आयोग। इस धारा में आगे यह प्रावधान किया गया कि उक्त आयोग से कॉलेज के शिक्षकों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों में कॉलेज के शासी निकाय द्वारा परामर्श किया जाएगा और आयोग के निष्कर्षों के अनुरूप होने के अलावा कॉलेज के शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई सजा नहीं की जाएगी।

104. डी. ए. वी. कॉलेज, जो गुरु नानक विश्वविद्यालय से संबद्ध था, के मामले में, गुरु नानक विश्वविद्यालय (अमृतसर) अधिनियम के तहत बनाए गए क़ानून 17 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि शुरू में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और बाद के सभी परिवर्तनों की सूचना विश्वविद्यालय को उप-कुलपति के लिए दी जाएगी।

कुलाधिपति की मंजूरी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क़ानून 17 याचिकाकर्ता कॉलेजों के प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप करता है और इस प्रकार, अनुच्छेद 30 (1) को आहत करता है।

105. यद्यपि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के शिक्षकों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण शासी परिषद के पास होगा।

मेरी राय में, शिक्षकों की सेवा की उचित शर्तों को सुनिश्चित करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं।

शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में प्रक्रिया। ऐसे प्रावधान जिनकी गणना शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है, उनके परिणामस्वरूप कार्यकाल की सुरक्षा होगी और इस प्रकार अनिवार्य रूप से शिक्षकों के पदों के लिए सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित किया जाएगा। इस तरह के प्रावधान से शिक्षकों में हताशा के संभावित कारण भी समाप्त हो जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए बनाए गए विनियमों को अल्पसंख्यक शिक्षा के हित में माना जाना चाहिए

संस्थान और इस तरह वे अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन नहीं करेंगे।

(जोर दिया गया)

के. एम. डी आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]22.4 मैथ्यू, जे. ने अपने और ड्राचूड़, जे. (विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तब) की ओर से बोलते हुए अपने सहमति वाले विचार में इस बात पर भी विचार किया कि विनियमों को किस हद तक निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

“ 174. हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करना असंभव पाते हैं कि राज्य की आवश्यकता यह तय करने के लिए मानदंड है कि क्या किसी शैक्षणिक संस्थान पर लगाया गया विनियमन इसे हटा देता है या कम कर देता है।अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार। यदि कोई विधायिका कोई भी विनियमन लागू कर सकती है जिसे वह अपने विचार में रक्षा करने के लिए आवश्यक समझती है

संविधान के भाग III में यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों के विपरीत पूर्ण रूप से इसे बहुमत की पहुंच से वापस लेना था। आज के अधिकार के अधीन करने के लिए राज्य की आवश्यकता की प्रोटियन अवधारणा द्वारा निर्धारित नियम, जैसा कि बहुमत द्वारा कल्पना की गई है, उसी उद्देश्य को नष्ट करने के लिए होंगे।

जिसके लिए अधिकार दिया गया था।

175. फिर कौन से अतिरिक्त नियम हैं जो वैध रूप से लागू हो सकते हैं?

स्थापित शैक्षणिक संस्थान पर अधिरोपित किया जाए और

एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासित जो सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करता है और मान्यता या संबद्धता चाहता है?

176. मान्यता या संबद्धता इस आधार पर दी जाती है कि

एक शैक्षणिक संस्थान की उत्कृष्टता, अर्थात्, कि यह विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित शैक्षिक मानक तक पहुँच गया है। मान्यता या

किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबद्धता मांगी जाती है। उस उद्देश्य के लिए, छात्रों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षा के स्तर को प्राप्त कर सकें। मान्यता या संबद्धता विश्वविद्यालय में यह सुनिश्चित करने के लिए रुचि पैदा करती है कि शैक्षणिक संस्थान को इच्छित उद्देश्य के लिए बनाए रखा जाए और कोई भी विनियमन जो उस उद्देश्य को पूरा करेगा या आगे बढ़ाएगा, उचित होगा और किसी धार्मिक या भाषाई द्वारा स्थापित और प्रशासित कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं होगा।अल्पसंख्यक उन नियमों को स्वीकार किए बिना मान्यता या संबद्धता का दावा कर सकते हैं। यह मान्यता या संबद्धता की कीमत है:

लेकिन [2020] 1 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसका मतलब यह नहीं है कि इसे संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार या स्वतंत्रता के समर्पण के लिए निर्धारित एक विनियमन के अधीन होना चाहिए, जो मान्यता या संबद्धता के उद्देश्य से असंबंधित है। दूसरे शब्दों में, मान्यता या संबद्धता एक ऐसी सुविधा है जिसे विश्वविद्यालय किसी शैक्षणिक संस्थान को प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य वहां के छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषयों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, और इसलिए, यह मानना उचित है कि कोई भी विनियमन जो उद्देश्य से असंबंधित है, लागू नहीं किया जा सकता है। यदि, मान्यता या संबद्धता के अलावा, एक शैक्षिक एक धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा संचालित संस्था को सहायता प्रदान की जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे दिया जाता है, आगे के नियमों की अनुमति होगी। इस मामले की जड़ यह है कि किसी धार्मिक या भाषाई संस्था द्वारा स्थापित कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं है

अल्पसंख्यक विधायिका या विश्वविद्यालय द्वारा विनियमों से पूर्ण प्रतिरक्षा का दावा कर सकते हैं यदि वे संबद्धता या मान्यता चाहते हैं; लेकिन अनुमेय विनियमों का चरित्र उनके नियमों पर निर्भर करना चाहिए।

उद्देश्य। जैसा कि हमने कहा, ऐसे विनियम अनुमत होंगे यदि वे मान्यता या संबद्धता के उद्देश्य को सुरक्षित करने या बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं। सीमा रेखा के ऐसे मामले होंगे जहां यह तय करना

मुश्किल है कि क्या कोई विनियमन वास्तव में मान्यता या संबद्धता के उद्देश्य को पूरा करता है। लेकिन यह सिद्धांत के सवाल को प्रभावित नहीं करता है। प्रत्येक मामले में, जब किसी विनियम की तर्कसंगतता न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आती है, तो

पूछे जाने वाले और उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न यह है कि क्या विनियमन की गणना मान्यता या संबद्धता के उद्देश्य, अर्थात् संस्थान की उत्कृष्टता को कम करने के लिए की जाती है या प्रभावी रूप से कम करेगी।

अल्पसंख्यकों के लिए सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के साधन के रूप में

समुदाय और अन्य व्यक्तियों के लिए जो इसका सहारा लेते हैं। यह प्रश्न कि क्या कोई विनियमन जनता के सामान्य हित में है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, यदि यह सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए एक वाहन के रूप में संस्थान की उत्कृष्टता को आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि केवल अनुमेय विनियम वे हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं

सुविधा के उद्देश्य की प्रभावशीलता, अर्थात्, उनकी शिक्षा के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्टतामानक। यही कारण है कि इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि यह सवाल कि क्या किसी विशेष विनियमन की गणना आम जनहित को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है, अगर वह के. एम. डी. है तो इसका कोई परिणाम नहीं है।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

अल्पसंख्यक समुदाय और उनके हितों के लिए अनुकूल नहीं

जो लोग इसका सहारा लेते हैं।

.....

182. यह कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों पर है कि स्वर

और एक शैक्षणिक संस्थान का स्वभाव निर्भर करता है। उन परइसकी प्रतिष्ठा, अनुशासन के रखरखाव और इसके आधार पर

शिक्षण में दक्षता। प्रधान चुनने का अधिकार और द्वारा नियुक्त शिक्षकों द्वारा शिक्षण का संचालन किया जाता है

उनके दृष्टिकोण के समग्र मूल्यांकन के बाद प्रबंधन और

दर्शन शायद अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है

एक शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करना। हम कोई कारण नहीं समझ सकते हैं

उप द्वारा नामित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि क्यों

कुलाधिपति को भर्ती के लिए चयन समिति में होना चाहिए

प्राचार्य या इसके अलावा विभाग के प्रमुख के आग्रह के लिए

चयन पर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि

शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों की भर्ती के लिए समिति। तो। जब तक चुने गए व्यक्तियों के पास निर्धारित योग्यताएँ हों

विश्वविद्यालय, चुनाव प्रबंधन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वह यह है किअल्पसंख्यकों के प्रशासन के मौलिक अधिकार का हिस्सा

उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान।

(जोर दिया गया)

22.5 अपनी सहमति में, जे. बेग (विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में)

था) हालांकि थोड़ा अलग तार मारा। शुरुआत में वह 1:

197. .... हालाँकि, मैं यह बताना चाहूँगा कि अधिकारों और

कर्तव्य इस व्यापक सीमा से सहसंबद्ध हैं। अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों को सामान्य या समान अधिकार प्रदान करने का अधिकार

उन लोगों के लिए गैर-सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा जो अनुसरण नहीं कर सकते हैं

इसकी संस्कृति या इसकी मान्यताओं की सदस्यता लें, कि, जब एक अल्पसंख्यक संस्थान

राष्ट्रीय शिक्षा के इस व्यापक शैक्षिक क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लेता है,

यह, इस स्वतंत्र विकल्प के कारण ही, इसे चुनने के लिए माना जा सकता है

इस तरह की शिक्षा के सामान्य पैटर्न की जरूरतों का पालन करना

देश, कम से कम जब भी वह विकल्प उसके अनुसार किया जाता है

वैधानिक प्रावधानों के साथ। यह एक ऐसी शिक्षा प्रदान करने का विकल्प है जिसका उद्देश्य है इसकी शिक्षा को एक धर्मनिरपेक्ष अभिविन्यास या चरित्र देना।

अनिवार्य रूप से पसंद की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए इसकी सहमति आवश्यक है

राज्य द्वारा "धर्मनिरपेक्ष" शिक्षा के बारे में जो [2020] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रीय एकता या हमारे संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को बढ़ाने और इसे देने के सर्वोत्तम तरीके को बढ़ावा देता है। यदि इस तरह का विकल्प चुनना अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हिस्सा है तो उसे भी ऐसा करना चाहिए।

इसके दायित्वों का हिस्सा बनें, जो आवश्यक रूप से पसंद से पालन करते हैं, सामान्य पैटर्न का पालन करने के लिए। इस तरह के विकल्प का तार्किक आधार यह है कि विशेष अल्पसंख्यक संस्थान, जो इस तरह की सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने का विकल्प चुनता है, इस उच्च श्रेणी को पसंद करता है। स्वतंत्रता जहाँ, कवि रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार, "संकीर्ण घरेलू दीवारें" जो विभिन्न बाधाओं का निर्माण करती हैं।

राष्ट्र के वर्ग टूटेंगे और गिरेंगे। ... .

22.5. 1 उनके विचार में, प्रावधानों का तीसरा सेट अर्थात् धारा 51 ए 2 ए संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकारों के सार पर कोई अनुचित अतिक्रमण नहीं करता है। यह देखा गया:

अधिनियम की धारा 51-ए का हिस्सा इस आधार पर कि यह संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अलावा किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यदि, जैसा कि मैंने ऊपर संकेत दिया है, एक बड़ी डिग्रीकिसी संस्थान के प्रशासन या प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप को इसके तार्किक परिणाम के रूप में अनुमेय माना जा सकता है -

ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कानून द्वारा शासित संस्था के लिए अल्पमत के विकल्प का प्रयोग, इसके सभी लाभों के साथ-साथ नुकसान के साथ,

कि धारा 51-क के प्रावधान एक का गठन नहीं करते हैं

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा संरक्षित संस्थान जिसमें चयन की स्वतंत्रता शामिल है। इसी तरह के कारणों से, मुझे नहीं लगता कि अधिनियम की धारा 52-ए संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत विशेष अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन करती है जबसंस्थान एक सांविधिक अधिकार का विकल्प चुनता है जिसमें आवश्यक रूप से सांविधिक प्रतिबंध शामिल होते हैं। बेशक, अगर इन प्रावधानों को सभी संबद्ध कॉलेजों के खिलाफ किसी भी आधार पर अमान्य माना जा सकता है, चाहे वे किसी राज्य में अल्पसंख्यकों या बहुमत द्वारा प्रशासित हों, तो उन्हें उन आधारों पर याचिका दायर करने वाले कॉलेज के खिलाफ भी अमान्य माना जा सकता है। लेकिन, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, हम नहीं हैं

यहाँ इस तरह के आधारों या प्रश्नों से संबंधित है। के. एम. डी

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

22.5. 2 बेग, जे. ने तब इस न्यायालय के सभी पिछले फैसलों पर विचार किया जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां थीं:

" 221. जाहिर है, इसका मतलब यह था कि अनन्यता का अधिकार

संस्थान का प्रबंधन अधिकार से अलग है

शिक्षा के स्वरूप और उसके मानकों का निर्धारण करना। यह समझा सकता है कि शिक्षा के "मानकों" को "प्रबंधन का हिस्सा नहीं" के रूप में क्यों कहा गया था। इसका मतलब था कि प्रबंधन करने का अधिकार,

पूर्ण शर्तों में प्रदान किया गया था, इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था, हालांकि उस प्रबंधन के उद्देश्य को राज्य द्वारा निर्धारित किए जाने वाले एक सामान्य पैटर्न द्वारा निर्धारित किया जा सकता था जो

शिक्षा के पाठ्यक्रम और मानक निर्धारित करें। अपने लिए बोलते हुए, मुझे शिक्षण के उद्देश्यों और मानकों को यह निर्धारित करने के अधिकार से अलग करना बहुत मुश्किल लगता है कि किसे पढ़ाना चाहिए और उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके अलावा, यदि "शिक्षा के मानक" प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं, तो यह देखना मुश्किल है कि वे नियंत्रण से प्रबंधन की स्वतंत्रता के सिद्धांत के अपवाद कैसे हैं। पुनः, यदि प्रत्यक्ष रूप से जिसका उद्देश्य है उसे इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से अलग करना है, तो शिक्षकों के कार्यकाल की सुरक्षा और किसी संस्थान के प्रबंधन द्वारा उनके लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य वाले प्रावधान भी सीधे इसके प्रबंधन में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से नहीं होंगे। वे और अधिक कर सकते हैं।

ठीक से सुधार और सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए के रूप में देखा जाए

संस्थान में उपलब्ध शिक्षकों की उत्कृष्टता, और इसलिए, शिक्षा के सामान्य मानक को ऊपर उठाना। मेरा मानना है कि हमारे लिए इस मामले को इस आधार पर अलग करना पर्याप्त है कि हमारे द्वारा व्याख्या किए जाने वाले प्रावधान अलग हैं, हालांकि, अपने लिए बोलते हुए, मैं बहुत सम्मान के साथ यह कहने के लिए बाध्य महसूस करता हूं कि मैं वहां दिए गए प्रत्येक प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। उस मामले में, 1969 के केरल विश्वविद्यालय अधिनियम 9 के प्रावधानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अपरिहार्य माना गया था जो दावा करते थे

उनके संचालन से मुक्त होने का अधिकार। जैसा कि मैं पहले भी कर चुका हूँ।

यह देखा गया है कि हमारे समक्ष मामले में, अधिनियम की धारा 38-बी हमारे समक्ष याचिका दायर करने वाले कॉलेज को इसके अलावा अन्य प्रावधानों की मजबूरी से बचने का व्यावहारिक रूप से एक निश्चित तरीका प्रदान करती है।

अधिनियम की धारा 5,40 और 41 यदि इसकी ओर से किए गए दावे हैं -

सही है।

:

[2020] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

229. यह हो सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों द्वारा महसूस की जाने वाली असुरक्षा की भावना का एक स्वाभाविक परिणाम है जिसे एक गारंटी द्वारा दूर किया जाना था जिसे "चिढ़ाने वाले भ्रम" तक कम नहीं किया जा सकता था। लेकिन, क्या यह एक भ्रम से अधिक कुछ है कि एक अल्पसंख्यक की पसंद को यह देखना कि वह अपने शैक्षणिक संस्थान के साथ क्या करता है, पूरे संगठित समाज के प्रति असावधानी और उदासीनता का विषय है जिसका राज्य प्रतिनिधित्व करता है?

232. भले ही संविधान के अनुच्छेद 30 (1) को अल्पसंख्यकों को प्रबंधन के पूर्ण और निरंकुश अधिकार प्रदान करने के लिए माना जाता है

संस्थान, स्वास्थ्य और कानून और व्यवस्था के हित में केवल बिल्कुल न्यूनतम और नकारात्मक नियंत्रणों के अधीन, इसका उद्देश्य अधिक मात्रा में विनियमन और नियंत्रण को बाहर करना नहीं हो सकता है जब

अल्पसंख्यक संस्थान सामान्य धर्मनिरपेक्ष और गैर-सांप्रदायिक शिक्षा के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, बड़े पैमाने पर ऐसे शिक्षकों को नियुक्त करते हैं जो संबंधित विशेष अल्पसंख्यक के सदस्य नहीं हैं, और जब यह अपनी आय का बड़ा हिस्सा उन लोगों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस से प्राप्त करता है जो विशेष अल्पसंख्यक के सदस्य नहीं हैं। इस तरह के नियंत्रण की अधिक डिग्री को सुरक्षित करने की आवश्यकता से उचित ठहराया जा सकता है

प्रबंधन से प्रभावित लोगों के हित

अल्पसंख्यक संस्थान और यह जो शिक्षा प्रदान करता है लेकिन जो प्रबंधन में अल्पसंख्यक के सदस्य नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, उचित रूप से अनुमेय नियंत्रण की मात्रा स्थिति से स्थिति में भिन्न होनी चाहिए। ऊपर दिए गए कारणों के लिए, मुझे लगता है कि अधिनियम की धारा 5,40 और 41 के अलावा, जो संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा संरक्षित याचिका दायर करने वाले अल्पसंख्यक प्रबंधित महाविद्यालयों के अधिकारों पर प्रत्यक्ष और अनुचित रूप से अतिक्रमण करती है।

यह मत सोचिए कि अन्य प्रावधानों का वह प्रभाव है। हमारे समक्ष विचाराधीन स्थिति पर, अधिनियम से प्रभावित अल्पसंख्यक संस्थान के पास, उसकी ओर से किए गए दावों पर, अन्य विवादित प्रावधानों से बचने का एक साधन है।अधिनियम की धारा 38-बी का सहारा लेकर अधिनियम की धारा 5,40 और 41 की तुलना में।

22.6 अपने असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण में, न्यायमूर्ति द्विवेदी ने विनियामक शक्ति के विस्तार के संबंध में निम्नानुसार व्यक्त किया:

" 266. के. एम. डी. द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के अनुसार राज्य की नियामक शक्ति का विस्तार अलग-अलग होगा।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

जैसे सैन्य अकादमी, समुद्री इंजीनियरिंग जिसमें राज्य विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण रूप से रुचि रखता है। 267. नियामक शक्ति की सीमा वर्ग से वर्ग के साथ-साथ एक वर्ग के भीतर भी भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, सहायता और मान्यता प्राप्त करने वाले संस्थान उन संस्थानों की तुलना में अधिक विनियमन के अधीन हो सकते हैं जो न तो प्राप्त करते हैं। इसी तरह, धर्मनिरपेक्ष सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान केवल धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की तुलना में अधिक विनियमन के अधीन हो सकते हैं।

268. एक शैक्षणिक संस्थान में निम्नलिखित शामिल होंगे: (1) प्रबंधक:

संस्थान का निकाय, (2) शिक्षण कर्मचारी, (3) गैर-शिक्षण कर्मचारी, (4) छात्र और (5) विभिन्न प्रकार की संपत्ति। यहाँ फिर से, नियामक शक्ति की सीमा एक घटक से दूसरे में भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, शिक्षण कर्मचारी और संपत्ति प्रबंधन निकाय की संरचना की तुलना में अधिक विनियमन के अधीन हो सकते हैं। साफ तौर पर, किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को बहुसंख्यक से अलग व्यवहार के लिए नहीं चुना जा सकता है

शैक्षणिक संस्थान। एक विनियमन इस तरह की बैठकभेदभावपूर्ण व्यवहार अनुच्छेद 30 (1) के लिए अप्रिय होगा।"

22.7 इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यात्मक भाग था: " 304. बहुमत से गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 33-ए, 40,41,51-ए (1) (बी), 51-ए (2) (बी) और 52-ए में संशोधन नहीं किया गया है।

भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थानों पर लागू होता है। .....

23. गांधी फैज़-ए-एम कॉलेज, शाहजहांपुर बनाम। आगरा का विश्वविद्यालय और इसके अलावा, इसके तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने विचार किया कि क्या आगरा विश्वविद्यालय द्वारा संविधि 14 ए बनाया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 30 ई के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पैरा 3 में दिए गए तथ्य इस प्रकार थे:

समुदाय देश में एक अल्पसंख्यक के रूप में रैंक करता है और इसके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 30 के संवैधानिक दायरे के भीतर "अल्पसंख्यक संस्थान" कहा जा सकता है। संस्थान के पहले के इतिहास को हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है और इसके विकास पर एक त्वरित नज़र डालना ही पर्याप्त है। ए. वी. मिडिल स्कूल मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों की संतान थी।शाहजहांपुर जिले का निवासी। यह बाद में एक उच्च विद्यालय बन गया और बाद में एक इंटरमीडिएट कॉलेज का दर्जा प्राप्त किया। अंततः यह आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध एक डिग्री कॉलेज में विकसित हुआ। 1948 में, के पिता की हत्या पर

राष्ट्र, इस कॉलेज का नाम स्मारक रूप से गांधी फैज़-ए-एम कॉलेज रखा गया था। अगस्त 1964 में, कॉलेज प्रबंधन की ओर से विश्वविद्यालय को समाजशास्त्र, संस्कृत, अरबी, सैन्य अध्ययन, ड्राइंग और पेंटिंग सहित अध्ययन के पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुरू करने की अनुमति के लिए एक आवेदन किया गया था। विश्वविद्यालय ने इस विचार का मनोरंजन किया कि संस्थान में एक नया संगठनात्मक अनुशासन लाया जाना चाहिए और एक शर्त के रूप में जोर दिया महाविद्यालय के प्रशासनिक निकाय में कुछ उत्परिवर्तनों पर अध्ययन के पाठ्यक्रम के रूप में इन अतिरिक्त विषयों की मान्यता। हमारे सामने, जैसा कि उच्च न्यायालय के समक्ष था, विवाद की जड़ यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया यह निर्देश, उसके द्वारा बनाए गए क़ानून 14 ए के अनुरूप, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को गारंटीकृत मौलिक अधिकार पर आक्रमण है। उच्च न्यायालय ने प्रबंधन की याचिका और अपील को खारिज कर दिया है

" 14 ए. प्रत्येक कॉलेज, जो पहले से ही संबद्ध है या जब संबद्ध है, जिसका रखरखाव विशेष रूप से सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, के तहत होना चाहिएएक नियमित रूप से गठित शासी निकाय का प्रबंधन (कौन सा कार्यकाल)

* 5) 2 एससीसी 283 के. एम. डी.

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

इसमें प्रबंधन समिति शामिल है) जिस पर कॉलेज के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कॉलेज के प्राचार्य द्वारा किया जाएगा और कॉलेज में सेवा की अवधि द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के क्रम में बारी-बारी से नियुक्त किए जाने वाले कॉलेज के शिक्षकों में से कम से कम एक प्रतिनिधि, जो एक शैक्षणिक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

23.2 कृष्ण अय्यर, जे. ने अपने और गुप्ता, जे. के लिए बोलते हुए पाया कि संस्थान की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए गणना की गई थी और इसलिए उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया। प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार थे:

" 16. चर्चा हमें क़ानून 14 ए के गहन अध्ययन की ओर ले जाती है ताकि यह देखा जा सके कि क्या यह प्रबंधन के अधिकार में कटौती करता है या नहीं। बस अपने स्वास्थ्य और आदतों को सुधारें। विश्वविद्यालय जिन दो आवश्यकताओं की मांग करता है, वे हैं कि प्रबंधन निकाय (उसका नाम जो भी हो) को (ए) कॉलेज के प्राचार्य; (बी) उसके वरिष्ठतम शिक्षक को लेना चाहिए। क्या यह इच्छा प्रबंधन की स्वायत्तता में कटौती के रूप में खारिज की जा सकती है या प्रबंधन की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के रूप में मान्य है?

अधिकार के सार को नुकसान पहुँचाए बिना संस्था? संवैधानिक दुविधा के बारे में सावधानीपूर्वक सोचने और जागरूक होने पर, हम हैं

इस दृष्टिकोण की ओर झुकाव है कि यह मामला नाजुक रेखा के वैध पक्ष पर पड़ता है। विनियमन जो प्रतिबंधित करता है वह बुरा है; लेकिन विनियमन जो सुविधा प्रदान करता है वह अच्छा है। यह अच्छा अंतर कहाँ निहित है? कोई कठोर सूत्र संभव नहीं है लेकिन एक लचीला परीक्षण संभव है। जहाँ उद्देश्य और प्रभाव किसी अजनबी को मजबूर किए बिना प्रशासन के लहजे और स्वभाव में सुधार करना है, उसके गुण चाहे कितने भी शानदार क्यों न हों, जहाँ निर्देश शासी निकाय का पुनर्गठन करने के लिए नहीं है, बल्कि एक सीमांत उत्प्रेरक प्रेरण द्वारा उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए है, जहाँ प्रबंधन बोर्ड को मान्य करने के लिए किसी भी बाहरी प्राधिकरण के आदेश या अनुमोदन या बाहरी नामांकित व्यक्ति को अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन

स्वायत्त द्वारा नियुक्त एक आंतरिक कुंजी पदाधिकारी

केवल प्रबंधन के लिए कहा जाता है, प्रावधान हितकारी और संरक्षित है, जो स्वतंत्रता की स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला फरमान नहीं है।

24. इन सभी मामलों में प्रशासनिक स्वायत्तता खतरे में है।

विशुद्ध रूप से विनियामक सीमाओं का उल्लंघन करना। हमारे मामले में स्वायत्तता है वस्तुतः अक्षुण्ण छोड़ दिया गया है और पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि नवीनीकरण निर्धारित किया गया है। अधिकार का मूल बिल्कुल

भी नहीं निकाला गया है और विनियमन एक बार में उचित है और संस्था की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए गणना की गई है-संवैधानिक स्थितियों का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण। "[2020] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23.3 . मैथ्यू, जे. ने एक असहमत राय लिखी। इस पर भरोसा करें

अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेजों में व्यक्त किए गए विचारों के साथ-साथ स्वयं विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को भी देखा गया:

" 41. धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन के लिए निकाय की संरचना का निर्धारण करना आवश्यक है।

इसे अल्पसंख्यकों पर छोड़ दिया जाए क्योंकि यह प्रशासन के अधिकार का मूल है।

उस निकाय द्वारा कुप्रशासन को रोकने के लिए नियम हैं -

अनुमति है। शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने वाले निकाय की संरचना को निर्धारित करने का अधिकार ही सार है।

अनुच्छेद 30 (1) के तहत धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को गारंटीकृत प्रशासन के अधिकार के लिए, किसी बाहरी प्राधिकारी द्वारा उस क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप उस अधिकार के संक्षिप्तकरण के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को उस एजेंसी का गठन करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिसके माध्यम से वे अपने द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने का प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि अनुच्छेद 30 (1) इसकी गारंटी देता है। इसकी रचना को आकार देने का अधिकार एक बात है: इसके अस्तित्व में आने के बाद इसके कार्य करने के तरीके को विनियमित करने का अधिकार दूसरा है। कुप्रशासन को रोकने के लिए विनियमों की अनुमति है लेकिन वे केवल तरीके से संबंधित हो सकते हैं

प्रशासन के बाद प्रशासन जो प्रशासन करना है में आ गया है

होना।42. संविधि 14 ए के प्रावधान इन बातों के समान हैं -

अधिनियम की धारा 33-ए (1) (ए) जो अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मामले (उपरोक्त) में विचार के लिए पड़ी थी, इसके अलावा केवल महाविद्यालय की प्रबंध समिति में अकेले प्राचार्य और कर्मचारियों के वरिष्ठतम सदस्य को शामिल किया जाना आवश्यक है। लेकिन, सिद्धांत रूप में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द.

सिद्धांत, जैसा कि मैंने कहा, यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय को कॉलेज के प्रशासन को अपनी पसंद के निकाय में निहित करने का विशेष अधिकार है, और किसी भी अन्य व्यक्ति को उस निकाय में शामिल करने

के लिए बाहरी प्राधिकरण की कोई भी मजबूरी इसके मूल सिद्धांत का संक्षिप्त रूप है।शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन का अधिकार।

23.4 बहुमत के निर्णय के संदर्भ में, चुनौती थी

एड और क़ानून 14 ए को असुरक्षित या अमान्य नहीं पाया गया।

24. लिली कुरियन बनाम। सीनियर लेविना और अन्य 1 4, इस न्यायालय के पांच ई. एस. की एक पीठ को इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या अपील

* 9) 2 एससीसी 124 के. एम. डी.

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]विश्वविद्यालय के कुलपतियों को प्रदान किया गया अधिकार किसी अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकारों पर निर्भर करेगा कि वह अपने शिक्षकों को लागू करे और उनका सम्मान सुनिश्चित करे।

इस न्यायालय द्वारा इस मामले पर निम्नानुसार विचार किया गया था:

" 51. सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज मामले में निर्णयों का विश्लेषण

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नौ में से सात न्यायाधीशों ने माना कि प्रावधानधारा 51 की उप-धारा (1) और (2) के खंड (बी) में निहित

अधिनियम का ए किसी शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं था।

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रबंधित किया जाता है क्योंकि वे इसके शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों पर प्रबंधन के अनुशासनात्मक नियंत्रण में हस्तक्षेप करते हैं। दिए गए कारण बहुमत यह था कि प्रबंधन को समाप्त करने की शक्ति

शिक्षण या अन्य शैक्षणिक के किसी भी सदस्य की सेवाएँ औरगैर-शैक्षणिक कर्मचारी एक के बीच संबंधों पर आधारित था

नियोक्ता और उसके कर्मचारी और रोजगार के अनुबंध के तहत उनकी सेवाओं को समाप्त करने के इस अधिकार पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता था, जो प्रशासन के अधिकार का एक अभिन्न अंग था, और ये प्रावधान कुलपति या उपकुलपति को प्रदान किए गए थे।

विश्वविद्यालय का कोई अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा अधिकृत, गैर-मान्यता प्राप्त हो,

के कार्यों को वीटो करने के लिए निर्देशित और असीमित शक्ति

प्रबंधन। बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार,कुलपति और उनके मनोनीत व्यक्ति पर ऐसी पूर्ण शक्ति थी

के तहत गारंटीकृत प्रशासन के अधिकार का उल्लंघन

अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यक संस्थाओं, धार्मिक और भाषाई के लिए।

तदनुसार बहुमत का विचार था कि प्रावधान अधिनियम की धारा 51 ए की उप-धाराओं (1) और (2) के खंड (बी) में निहित अल्पसङ्ख्यक संस्थानों को नष्ट करने का प्रभाव पड़ा।

महाविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण क्योंकि प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के किसी सदस्य को तब तक कोई सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि उसे कुलपति या उसके द्वारा अधिकृत विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी जैसे बाहरी प्राधिकारी से मंजूरी न मिल जाए। इसके विपरीत, दो असहमत न्यायाधीशों का विचार था कि ये प्रावधान अनुमेय नियामक थे

उपाय।

52. उपकुलपति को अपील करने की शक्ति अध्यादेश 33 (4) केवल एक गंभीर अतिक्रमण नहीं है

अनुशासन लेने वाले प्रबंधन द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अध्यादेश 33

एक शिक्षक के खिलाफ।

अपने क्षेत्र में अनुशासन को लागू करने और सुनिश्चित करने का संस्थान का अधिकार

प्रशासनिक मामले लेकिन यह इस अर्थ में गैर-अधिकृत और निर्देशित है कि शक्ति के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कुलपति की अपीलीय शक्ति की सीमा परिभाषित नहीं है, और वास्तव में, उनकी शक्तियाँ असीमित हैं। उन आधारों को भी परिभाषित नहीं किया गया है जिनके आधार पर कुलपति ऐसी अपीलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। वह न केवल एक शिक्षक को बर्खास्त करने के आदेश को दरकिनार कर सकता है और उसकी बहाली का आदेश दे सकता है, बल्कि इसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है।

अध्यादेश 33 (2) की मदें (ii) से (v) में उल्लिखित दंडों में से कोई भी, अर्थात, वह इसके अधिरोपण के विरुद्ध हस्तक्षेप भी कर सकता है -

छोटी सजाएँ। किसी भी मार्गदर्शक रेखा के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता है कि अध्यादेश के तहत कुलपति की शक्ति

33 (4) यह केवल कुप्रशासन पर एक रोक थी।

53. जैसा कि सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज मामले में बहुमत द्वारा निर्धारित किया गया है,

इस तरह की व्यापक शक्ति सीधे तौर पर अपने शिक्षकों पर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन निकाय के अनुशासनात्मक नियंत्रण में हस्तक्षेप करती है। सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज मामले में बहुमत का फैसला

वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है और तदनुसार यह माना जाना चाहिए कि केरल विश्वविद्यालय का विवादित अध्यादेश 33 (4) संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करता है। यदि ऐसी शक्ति उप जैसे बाहरी प्राधिकारी को प्रदान की जाती है

कुलाधिपति, जो एक अल्पसंख्यक संस्थान के औपचारिक चरित्र को बनाए रखते हुए प्रशासन की शक्ति, यानी इसके अनुशासनात्मक नियंत्रण को नष्ट कर देता है, को न्यायोचित माना जाता है क्योंकि यह सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित में है, हालांकि एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में इसके हित में नहीं है, अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार, एक प्रसिद्ध अभिव्यक्ति, एक "चिढ़ाने वाला भ्रम", एक "वादा" का उपयोग करना होगा।

अवास्तविक "।

25. ऑल सेंट्स हाई स्कूल, हैदराबाद और अन्य बनाम।

आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य ", इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा था, वह था

क्या आंध्र प्रदेश मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान (नियंत्रण) अधिनियम, 1975 के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 30 (1) द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को आहत करते हैं। धारा 3 (1) और 3 (2) के संदर्भ में, किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत किसी भी शिक्षक को पूर्व अनुमोदन के अलावा बर्खास्त या हटाया या रैंक में कम नहीं किया जा सकता है।

सक्षम प्राधिकारी का; और धारा 3 (2) के संदर्भ में ऐसा अनुमोदन

16 (1980) 2 एससीसी 478 एसके।

एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

पर्याप्त और उचित आधार थे। धारा 3 (3) (ए) में प्रावधान किया गया है कि किसी भी शिक्षक को पूछताछ के अलावा निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे शिक्षक के घोर दुराचार पर विचार किया गया था और इसके अनुसार

धारा 3 (3) (बी) की शर्तों के अनुसार, यदि उस अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं की गई तो कोई निलंबन दो महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता है।

25.1 . चंद्रचूड़, सी. जे. ने फज़ल अली, जे. से सहमति व्यक्त की कि अनुभाग

जहां तक धारा 3 (3) (ए) और 3 (3) (बी) का संबंध है, न्यायाधीश फैजल अली ने न्यायमूर्ति कैलासम से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वे प्रावधान अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन नहीं करते हैं। न्यायाधीश फैजल अली ने सभी प्रावधानों को अमान्य पाया था जबकि न्यायाधीश कैलासम ने संबंधित प्रावधानों को वैध पाया था और संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन नहीं किया था।

26. फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल के कर्मचारियों के संगठन में

वी. भारत संघ और अन्य की दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की वैधता, जिसके आधार पर उक्त अधिनियम के कुछ प्रावधान एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय पर लागू नहीं होंगे, को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि शिक्षक और अन्य कर्मचारी एक गैर-सहायता प्राप्त स्कूल में काम करने वाले लोग उसी वेतनमान, भत्ते और लाभों के हकदार थे जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित स्कूलों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गए थे और इस हद तक कि धारा 12 अधिनियम के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर करती है, कहा कि धारा संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित थी। संस्थान की ओर से जो तर्क दिया गया वह था:

" 14. .... कर्मचारियों के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्रबंधन का एक निस्संदेह अधिकार है और उनके वेतन को निर्धारित करने का अधिकार है

और भत्ते आदि नियुक्त करने के उनके अधिकार का हिस्सा होने के कारण, इस तरह के अधिकार को अल्पसंख्यक संस्थान के प्रबंधन से नहीं लिया जा सकता था।

26.1 याचिका को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने कहा:

" 16. किसी संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की उत्कृष्टता सीधे शिक्षण कर्मचारियों की उत्कृष्टता पर निर्भर करेगी, और बदले में, यह उनकी गुणवत्ता और संतुष्टि पर निर्भर करेगी।

शिक्षकों को। न्यूनतम से संबंधित सेवा की शर्तें

शिक्षकों की योग्यता, उनका वेतन, भत्ते और अन्य

सेवा की शर्तें जो शिक्षकों को सुरक्षा, संतुष्टि और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करती हैं और जो परिणामस्वरूप उन्हें संस्थान और छात्रों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाएंगी, उन्हें निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार की आड़ में अपने कर्मचारियों पर अत्याचार या शोषण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

किसी भी अन्य निजी कर्मचारी से अधिक। किसी शैक्षणिक संस्थान के शिक्षण कर्मचारियों के उत्पीड़न या शोषण से, अनिवार्य रूप से, संस्थान में दिए जाने वाले शिक्षा के स्तर में असंतोष और गिरावट आती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय या इसका सहारा लेने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम बनाने का उद्देश्य। अल्पसंख्यक संस्थान का प्रबंधन आक्रमण की शिकायत नहीं कर सकता है। संस्थान को प्रशासित करने का मौलिक अधिकार जब वह अपने कर्मचारियों के सदस्यों को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के अवसर से वंचित करता है।

अनुच्छेद 30 (1) जो संस्थान को शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम बनाना है।

(जोर दिया गया)

शिक्षकों की उत्कृष्टता पर और यह कहना शिक्षकों की उच्च वेतन की मांग का कोई जवाब नहीं है कि संस्थान द्वारा अपनी उत्कृष्टता के लिए प्राप्त उच्च प्रतिष्ठा को देखते हुए, धारा 10 जैसे प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम से फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल तक।

दूसरी ओर, हमें यह सोचना चाहिए कि संस्थान के लिए उच्च प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए शिक्षकों द्वारा किए गए योगदान से प्रबंधन को कम से कम अन्य संस्थानों के समान वेतनमान अपनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए, जिन पर धारा 10 लागू होती है। श्री फ्रैंक एंथनी द्वारा व्यक्त किए गए डर के बारे में कि संस्थान को बंद करना पड़ सकता है, हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि प्रबंधन चेहरे के बावजूद नाक पर कुछ नहीं करेगा, केवल के. एम. डी।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

"शिक्षकों को उनके उचित स्थान पर रखना"। यहाँ के प्रबंधन द्वारा व्यक्त डर का वही घेरा है जो हर उद्योग के प्रबंधन द्वारा हमेशा व्यक्त किया जाता है जो विनाशकारी होता है

परिणाम आने वाले हैं जो बंद होने का कारण भी बन सकते हैं

उद्योग यदि मजदूरी के पैमाने को संशोधित किया जाता है।

27. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना बनाम।

अरासा हनफिया अरबी कॉलेज, जमालिया और अन्य 1 8 उच्च न्यायालय द्वारा राशन कि धारा 7 (2) (एन) असंवैधानिक थी, बोर्ड को प्रबंध समिति को भंग करने की शक्ति प्रदान की।मदरसा, चुनौती के दायरे में था। इस फैसले को बरकरार रखा गया

टी नीचे के रूप में देख रहा है:

" 6. विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या धारा 7 (2) (एन) जो बोर्ड को बोर्ड को भंग करने की शक्ति प्रदान करती है।

सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसा की प्रबंध समिति

संस्थान अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के अनुसार अपने शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यह न्यायालय उन्होंने हमेशा यह माना है कि हालांकि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें कुशासन करने का कोई अधिकार नहीं है और राज्य को हित में ऐसे संस्थानों के प्रबंधन और प्रशासन को विनियमित करने की शक्ति है

संस्थान की शैक्षिक आवश्यकता और अनुशासन। इस तरह के विनियमन का अल्पसंख्यकों के पूर्ण अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन नहीं करेगा क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में दक्षता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। हालाँकि, राज्य के पास अल्पसंख्यक संस्थान के प्रबंधन को पूरी तरह से संभालने की कोई शक्ति नहीं है। संस्थान में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक मानकों को विनियमित करने की आड़ में, राज्य को प्रबंधन को प्रशासन के अपने अधिकार को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले नियम या विनियम बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य में

सरकार अल्पसंख्यक संस्थान का प्रबंधन अपने हाथ में लेगी राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने में अपनी चूक पर इस आधार पर अधिकार से बाहर घोषित किया गया था कि प्रावधान एक अल्पसंख्यक के अपने संस्थान को प्रशासित करने के संवैधानिक अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों को उनके प्रबंधन के अनन्य अधिकार के बहाने उत्कृष्टता के मानक से नीचे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

लेकिन साथ ही अपने संस्थानों को प्रशासित करने के उनके संवैधानिक अधिकार को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है।

प्रबंध समिति को भंग करना या तदर्थ नियुक्ति करना।

उनके स्थान पर समितियाँ। तत्काल मामले में धारा 7 (2) (एन) स्पष्ट रूप से अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

30 (1) संविधान के जहां तक यह विघटन के लिए प्रावधान करता है

उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया "।28. सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पीठ

इस न्यायालय के न्यायाधीशों को दो सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा अपनाए गए प्रवेश पर विचार करने का अवसर मिला। दिल्ली में सेंट स्टीफंस जी और नैनी में इलाहाबाद कृषि संस्थान। शेट्टी, जे., द्वारा लिखित बहुमत निर्णय में संक्षेपित तथ्यात्मक पाठ

इसके अंतर्गत है:

सरकार। सेंट स्टीफन कॉलेज ईसाई छात्रों को प्राथमिकता देता है। इलाहाबाद कृषि संस्थान ईसाई छात्रों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है। वरीयता या आरक्षित कोटे के विरुद्ध प्रवेश पाने वाले ईसाई छात्रों की योग्यता कम हैअन्य उम्मीदवारों की तुलना में योग्यता परीक्षा में। अधिक योग्यता वाले अन्य उम्मीदवारों को इस आधार पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है कि वे ईसाई नहीं हैं।

69. विश्वविद्यालय और छात्र संघ के लिए यह तर्क दिया गया कि चूंकि दोनों संस्थानों को राज्य सहायता मिल रही है, इसलिए धर्म के आधार पर प्रवेश के लिए संस्थागत वरीयता संविधान के अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन है। संस्थान धर्म के आधार पर उम्मीदवारों को पसंद या अस्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी ओर, संस्थानों के लिए, यह दावा किया गया था कि धार्मिक अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को उनके अपने संस्थानों में दी गई कोई भी वरीयता अनुच्छेद 29 (2) के तहत आने वाला भेदभाव नहीं हो सकता है। ये संस्थान हैं -

अपने समुदाय के लाभ के लिए स्थापित और यदि वे हैं

अपने समुदाय के उम्मीदवारों को प्रवेश देने से रोके जाने पर, संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अल्पसंख्यकों

अपने उम्मीदवारों को वरीयता द्वारा या द्वारा प्रवेश देने के हकदार हैं

आरक्षण। वे उन्हें बहिष्करण में शामिल करने के भी हकदार हैं।

2) 1 एससीसी 558 के. एम. डी.

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

अन्य सभी के लिए और वह अधिकार अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से आता है।" 28.1 बहुमत निर्णय द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों से निपटा गया

इस प्रकार की स्थिति:

" 80. समान रूप से, दूसरी प्रस्तुति को स्वीकार करना मुश्किल होगा।

शैक्षणिक संस्थान अपने विशेष लाभ के लिए। अनुच्छेद 30 (1) में दिए गए संस्थान के चयन का मतलब यह नहीं है कि अल्पसंख्यक अपने समुदाय के लोगों के लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। वास्तव में वे ऐसा नहीं कर सकते। केरल शिक्षा विधेयक में यह बताया गया था कि अल्पसंख्यक ऐसा नहीं कर सकते। केवल उनके लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान की स्थापना

समुदाय। यदि ऐसा उद्देश्य होता, तो अनुच्छेद 30 (1) को अलग तरीके से लिखा जाता और इसमें "अपने समुदाय के लिए" शब्द शामिल होते। इस तरह के शब्दों के अभाव में अनुच्छेद का यह अर्थ लगाना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है कि यह अल्पसंख्यकों को अपने लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है।

81. व्यवहार में भी, इस तरह के दावों को काफी शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है। एक अपेक्षाकृत सजातीय समाज का होना अनुकूल नहीं हो सकता है। यह धार्मिक कट्टरता का कारण बन सकता है जो कि

मानव जाति का अभिशाप। धर्मनिरपेक्ष चरित्र वाले राष्ट्र निर्माण में सांप्रदायिक स्कूल या कॉलेज, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग-अलग संकाय या विश्वविद्यालय अवांछनीय हैं और वे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं। वे असंगत होंगे।

धर्मनिरपेक्षता और समानता की केंद्रीय अवधारणा के साथ

संविधान। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान चाहे जो भी होजिस समुदाय से यह संबंधित है, वह हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक 'मेल्टिंग पॉट' है। छात्र और शिक्षक महत्वपूर्ण घटक हैं। यही वह जगह है जहाँ वे दूसरों की संस्कृतियों और मान्यताओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता विकसित करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न समुदायों के छात्रों का उचित मिश्रण हो।

संस्थाएं "।

28.2 सेंट स्टीफन कॉलेज द्वारा ईसाई समुदाय के लोगों को दी गई छूट के बारे में नीचे बताया गया है:

" 50. ईसाई छात्रों को 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जिनके न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हैं, उन्हें [2020] 1 एस. सी. आर. के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।

ऑनर्स पाठ्यक्रमों में चयन। बी. ए. पास पाठ्यक्रम के लिए, उन्हें एक और रियायत दी जाती है और योग्यता अंकों को 50 प्रतिशत से भी कम कर दिया जाता है। जहां तक खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों का संबंध है, राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खिलाड़ियों को आम तौर पर 10 प्रतिशत तक और असाधारण मामलों में 15 प्रतिशत या उससे भी अधिक रियायत दी जाती है। हालांकि, एक ईसाई छात्र, जो कट-ऑफ प्रतिशत से 10 प्रतिशत से कम है, उसे कभी भी साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता है।

51. महाविद्यालय द्वारा दी गई रियायत का वास्तविक कार्यकरण और कई वर्षों में उस पर प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं -

1980 की याचिका संख्या 1868 लिखने के लिए अनुलग्नक I। जिन ईसाई छात्रों को 10 प्रतिशत तक की रियायत मिलती है और इस तरह उन्हें वरीयता प्राप्त प्रवेश मिलता है, वे केवल 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत हैं। वे. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार भी प्रवेश दिया जाता है और जो भी मानक से नीचे आता है, उसने कभी भी ऐसा नहीं किया है

कॉलेज में भर्ती कराया गया। "28.3 बहुमत निर्णय, तब, से मामले पर विचार किया

"अल्पसंख्यकों के अधिकार और हितों का संतुलन" और

वेद:

" 101. हालाँकि, अनुच्छेद 30 (1) में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को निर्धारित करने वाले कानून मनमाने, दुर्भावनापूर्ण या अनुचित नहीं होने चाहिए; उनका उद्देश्य और साधनों के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए।नौकरी करते हैं। व्यक्तिगत अधिकारों को अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्धी अल्पसंख्यक हितों के साथ संतुलित करना होगा। सिद्धजभाई मामले 1 में

अल्पसंख्यक संचालित कॉलेज को सरकारी उम्मीदवारों के लिए 80 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने और अनुदान-सहायता और मान्यता को रोकने की धमकी के साथ प्रबंधन के लिए केवल 20 प्रतिशत सीटों की अनुमति देने के सरकारी आदेश को अदालत ने अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए खारिज कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 337 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जा सकता है जिसमें संविधान के प्रारंभ से दस वर्षों के लिए एंग्लो-इंडियन समुदाय को विशेष रियायत प्रदान की गई थी। इसके विपरीत

अनुच्छेद 30 (2) ने एंग्लो-इंडियन समुदाय को अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करने का सकारात्मक अधिकार प्रदान किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि वार्षिक प्रवेश का कम से कम 40 प्रतिशत अन्य संस्थानों के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए।समुदाय।

के. एम. डी आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

102. इन सभी सिद्धांतों और कारकों के आलोक में, और

संविधान जिस महत्व को संरक्षण से जोड़ता है अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों के लिए उपाय, अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त

निश्चित रूप से विश्वविद्यालय मानक के अनुरूप विषय। द.राज्य इस श्रेणी में सेवन को उचित ध्यान रखते हुए विनियमित कर सकता है -

उस क्षेत्र में समुदाय की आवश्यकता जो संस्था है

सेवा करने का इरादा। लेकिन किसी भी मामले में ऐसा सेवन प्रति व्यक्ति 50 से अधिक नहीं होगा।

वार्षिक प्रवेश का प्रतिशत। अल्पसंख्यक संस्थान करेंगे

सदस्यों के लिए वार्षिक प्रवेश का कम से कम 50 प्रतिशत उपलब्ध होना।

अन्य समुदाय के उम्मीदवारों को विशुद्ध रूप से आधार पर किया जाएगा गुण की "।

28.4 यह भी देखा गया कि नियम जो हितों की पूर्ति करते हैं

शिक्षकों की पहचान और संबद्ध संस्थानों के बीच शिक्षा के मानकों में एकरूपता को वैध रूप से बनाए रखा जा सकता है। पैरा 59 में चींटी की चर्चा इस प्रकार थी:

" 59. वास्तव में इस पहलू पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

शैक्षणिक संस्थानों और राज्य की शक्तियों का प्रशासन करना। शैक्षणिक मामलों और प्रबंधन को विनियमित करना अब काफी अच्छा है।

तय हो गया। प्रशासन के अधिकार में अधिकार शामिल नहीं है

कुशासन। नियंत्रक प्राधिकारी होने के नाते राज्य को अधिकार है

और सभी शैक्षणिक मामलों को विनियमित करने का कर्तव्य। नियम जो होंगे

छात्रों और शिक्षकों के हितों की सेवा करना, और संरक्षित करना

संबद्ध संस्थानों के बीच शिक्षा के मानकों में एकरूपता

बनाया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थान प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं।ऐसे सामान्य स्वरूप और मानक के विरुद्ध या सामान्य कानूनों के विरुद्ध

जैसे कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्वच्छता, श्रम से संबंधित कानून।

संबंध, समाज कल्याण कानून, अनुबंध, अपकृत्य आदि जो

राज्य विनियामक कानून बनाने में सक्षम है। नियम,हालाँकि, अधिकार से वंचित करने का प्रभाव नहीं होगा

अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपने स्वयं के संस्थान में शिक्षित करना। वह यह है कि

एक विशेषाधिकार जो अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार में निहित है।

(जोर दिया गया)

28.5 जे. कासलीवाल की असहमत राय ने इस मामले को छूते हुए अस्थायी विधानसभा बहस (सीएडी) के एक अंश का हवाला दिया।

निम्नानुसार:

" 137. ये एक ओर संविधान के प्रारूप में अनुच्छेद 23 (1) और दूसरी ओर 23 (3) (ए) और 23 (3) (बी) थे। सबसे पहले डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 23 (2) के मसौदे के संबंध में कहा

संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 28 के अनुरूप कि

अनुच्छेद 30 और 29 के संबंध में भी राज्य राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने या न देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था।धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक। उन्होंने कहा 20:

" अब, दूसरे खंड के संबंध में मुझे लगता है कि इसे पर्याप्त रूप से अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। हमने एक ऐसे समुदाय के दावे को समेटने की कोशिश की है जिसने शिक्षा या सांस्कृतिक मामलों में अपने बच्चों की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थान शुरू किए हैं, ताकि ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति दी जा सके; इस तथ्य के बावजूद कि उसे राज्य से कुछ सहायता मिलती है। राज्य, निश्चित रूप से, सहायता देने के लिए स्वतंत्र है, सहायता न देने के लिए स्वतंत्र है; हमने केवल एक सीमा रखी है, कि राज्य संस्थान को अपने अनुदान-सहायता संहिता के तहत सहायता का दावा करने से केवल इस आधार पर नहीं रोकेगा कि यह एक समुदाय द्वारा चलाया और बनाए रखा जाता है और जनता द्वारा बनाए नहीं रखा जाता है। शरीर। हमने वहाँ एक और योग्यता भी प्रदान की है, कि यद्यपि संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने के लिए यह स्वतंत्र है और राज्य द्वारा दिया गया अनुदान इस तरह के निर्देश देने के लिए बाधा नहीं होगा, लेकिन यह अन्य समुदायों के बच्चों को निर्देश नहीं देगा, या उन्हें अनिवार्य नहीं बनाएगा, जब तक कि वे इन समुदायों के माता-पिता की सहमति प्राप्त न कर लें।

बच्चे। मुझे लगता है कि यह एक हितकारी प्रावधान है। यह दो काम करता है।

कार्य।

अपने छात्रों के लिए एक समुदाय या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित संस्थान और स्कूल-ऐसा स्कूल नहीं जहां सभी समुदाय मिश्रित हों, बल्कि एकसमुदाय द्वारा अपने छात्रों के लिए चलाया जाने वाला विद्यालय?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: अगर मेरे दोस्त, श्री कामत करेंगे।

दूसरे लेख को पढ़ने के बाद वह देखेगा कि एक बार किसी संस्थान को, चाहे वह समुदाय द्वारा चलाया जाता हो या नहीं, अनुदान मिल जाता है, तो शर्त यह है

सीएडी 884 एसके।

एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

कि यह विद्यालय को सभी समुदायों के लिए खुला रखेगा। वह प्रावधान उसने नहीं पढ़ा है। "

138. उन्होंने देने या न देने की राज्य की स्वतंत्रता की पुष्टि की

अनुच्छेद 23 के मसौदे का सीधे उल्लेख करते समय इन विद्यालयों को सहायता

जो वर्तमान अनुच्छेद 29 और 30 का अग्रदूत है निम्नलिखित 2 1 21:

“ मुझे लगता है कि एक और बात जो लेख को पढ़ने में उठानी चाहिए।

23 यह है कि यह किसी भी दायित्व या बोझ को लागू नहीं करता है

राज्य। यह नहीं कहता कि, जब उदाहरण के लिए मद्रास के लोगबम्बई आओ, बम्बई सरकार की आवश्यकता होगी

तमिल में शिक्षा देने की किसी भी परियोजना के वित्तपोषण के लिए कानून द्वारा भाषा या आंध्र भाषा या किसी अन्य भाषा में। वहाँ

राज्य पर कोई बोझ नहीं है। एकमात्र सीमा यह है कि

अनुच्छेद 23 द्वारा लागू किया गया है कि यदि कोई सांस्कृतिक अल्पसंख्यक है जो

अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को संरक्षित करना चाहता है,राज्य कानून द्वारा उस पर कोई अन्य संस्कृति नहीं थोपेगा जो

या तो स्थानीय या अन्यथा हो सकता है।

और, यह देखने के लिए चला गया कि एक बार एक संस्थान प्राप्त कर रहा था

सहायता के लिए, "इसे कॉलेज में छात्रों के प्रवेश के मामले में अनुच्छेद 29 (2) की कठोरता का पालन करना चाहिए" और "जैसा कि पहले से ही मेरे द्वारा आयोजित किया गया है, सेंट स्टीफंस

महाविद्यालय और इलाहाबाद कृषि संस्थान दावा करने के हकदार नहीं हैं।

किसी भी

ईसाई समुदाय के छात्रों के पक्ष में तरजीही अधिकार या आरक्षण क्योंकि उन्हें सहायता अनुदान मिल रहा है और इस तरह मैं यह तय करने के सवाल पर और अधिक मेहनत करना आवश्यक नहीं समझता कि कितना प्रतिशत उचित माना जा सकता है।

29. हमें इस न्यायालय के दो फैसलों का भी उल्लेख करना चाहिए।

अहमदाबाद सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में निर्णय जहां एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था।

29.1 माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण बोर्ड में

वी. जे. टी. लोक निर्देश निदेशक, सागर और अन्य 22, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा:

" 3. इस न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि

प्रधानाचार्य की नियुक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रबंधन

शैक्षणिक संस्थान के पास एक विकल्प है। यह माना गया है कि एक

21 VII सीएडी 923 22 (1998) 8 एससीसी 555 [2020] 1 एस. सी. आर.

संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार के साथ। इसमें मामला, जूलियस प्रसाद दोनों प्रबंधन द्वारा चुने गए और

तीसरा उत्तरदाता योग्य हैं और नियुक्ति के लिए पात्र हैं

प्रिंसिपल नियमों के अनुसार। सवाल यह है कि क्या

प्रबंधन को अपनी पसंद के व्यक्ति का चयन करने का अधिकार नहीं है। द. केरल राज्य बनाम में निर्णय सहित इस न्यायालय के निर्णय।

बहुत रेव. मदर प्रोविंशियल और अहमदाबाद सेंट जेवियर्स

कॉलेज सोसाइटी बनाम। गुजरात राज्य यह स्पष्ट करता है कि यह अधिकार

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को छीन नहीं लिया जा सकता है

राज्य द्वारा बनाए गए किसी नियम या विनियम या किसी अधिनियम द्वारा।

इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय नहीं थाअन्यथा धारण करने का अधिकार। राज्य के पास निस्संदेह शक्ति है

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के मामलों को भी विनियमित करना।

अनुशासन और उत्कृष्टता के हित में। लेकिन उस प्रक्रिया में,प्रबंधनक उपरोक्त अधिकारकँ छीनल नहि जा सकैत अछि।

भले ही सरकार सौ प्रतिशत अनुदान दे रही हो। हमे जरूरत है।

इस अपील में किसी अन्य प्रश्न में न जाएँ।

(जोर दिया गया)

29.2 एन. अम्माद बनाम। प्रबंधक, एमजय हाई स्कूल और अन्य 2 3

इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों का च, इस मुद्दे पर विचार करते हुए "क्या

अल्पसंख्यक विद्यालय की नियुक्ति चुनने और नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र थी।

हेडमास्टर के रूप में अर्हता प्राप्त व्यक्ति को निम्नानुसार देखा गया:

" 18. किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का चयन और नियुक्ति (या

उस शैक्षणिक संस्थान से। प्रधानाध्यापक प्रमुख पद है। विद्यालय का संचालन। वह वह केंद्र है जिस पर सभी स्पोक हैं

स्कूल निर्धारित किए जाते हैं जिनके चारों ओर वे परिणाम उत्पन्न करने के लिए घूमते हैं। ए.

स्कूल को इसके प्रधानाध्यापक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है और वह केंद्र में है।

जिस पर बाहरी लोग स्कूल को देखते हैं। एक खराब प्रधानाध्यापक

पूरे संस्थान को खराब कर सकता है, एक कुशल और ईमानदार प्रधानाध्यापक

इसे छलांग और सीमा से सुधार सकते हैं। एक की कार्यात्मक प्रभावकारिता विद्यालय की दक्षता और समर्पण पर बहुत कुछ निर्भर करता है।

इसके हेडमास्टर। इसके बावजूद यह प्राचीन नियम अपरिवर्तित है।

8) 6 एससीसी 674 के. एम. डी.

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

शिक्षा के संरचनात्मक स्वरूपों में हो रहे कई बदलाववर्षों से।

19. केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एल्डो मारिया पेट्रोनी बनाम में कहा है कि एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद कितना महत्वपूर्ण है। ई. सी. केशवन, मुख्य न्यायाधीश एम. एस. मेनन ने एक ऐसी शैली में जो अद्वितीय है, इस प्रकार कहा है:

" प्रधानाध्यापक का पद विद्यालय के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। उनके इर्द-गिर्द संस्था का लहज़ा और स्वभाव चलता है; उन पर उसकी परंपराओं की निरंतरता, अनुशासन का रखरखाव और उसके शिक्षण की दक्षता निर्भर करती है। प्रधानाध्यापक चुनने का अधिकार शायद एक विद्यालय का प्रशासन करने के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और हमें यह मानना चाहिए कि आवश्यक योग्यता और अनुभव निर्धारित करने की सीमा को छोड़कर, उस पर किसी भी तरह की लापरवाही को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। अन्यथा धारण करना अधिकार को एक चिढ़ाने वाला भ्रम, एक वादा बनाना होगा।

अवास्तविकता "।

20. एक प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिका के महत्व को इससे बेहतर तरीके से चित्रित नहीं किया जा सकता है। अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने महाविद्यालय के प्राचार्य की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला। उस निर्णय में बहुमत के दृष्टिकोण के समर्थन में, जे. के. मैथ्यू ने इस प्रकार टिप्पणी की है: (एससीसी पीपी। 815-16 , पैरा 182)

" 182. यह एक कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों पर निर्भर करता है कि एक शैक्षणिक संस्थान का लहज़ा और स्वभाव क्या है। उन पर इसकी प्रतिष्ठा, अनुशासन का रखरखाव और शिक्षण में इसकी दक्षता निर्भर करेगी। प्रधानाचार्य चुनने और उनके दृष्टिकोण के समग्र मूल्यांकन के बाद प्रबंधन द्वारा नियुक्त शिक्षकों द्वारा शिक्षण का संचालन करने का अधिकार और दर्शन शायद अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है

एक शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करें।

21. एच. आर. खन्ना, जे. ने एक और भी व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है कि शिक्षकों का चयन भी एक स्कूल के प्रबंधन के अधिकार में बहुत महत्वपूर्ण है। विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा है: (एस. सी. सी पी. 789, पैरा 103)

संस्था अधिकार के आवश्यक अवयवों में से एक हैएक शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन करें और अल्पसंख्यक स्पष्ट रूप से कर सकते हैं

बिना चयन और नियुक्ति के ऐसे अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा

अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करना।"

22. कृष्ण अय्यर, जे. जो बहुमत के दृष्टिकोण से असहमत थे

फिर भी, प्रधानाचार्य के पद के महत्व पर जोर दिया निम्नलिखित शब्दों में: (एस. सी. सी पी. 293, पैरा 21)

" 21. एक सक्रिय प्राचार्य इन कर्तव्यों के निर्वहन में एक संपत्ति है।

चयन-कुलपति के प्रति जवाबदेह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं।वह प्रबंध समिति के काम में लाता है कि

शैक्षिक कार्यों के साथ घनिष्ठ परिचय और वह

छात्र-शिक्षक आकांक्षाओं की आवश्यक अभिव्यक्ति और

शिकायतें जो अल्पसंख्यक संस्थान के लिए बहुत आवश्यक हैं

व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के बीच एक खुशहाल विवाह प्राप्त करना।

उत्कृष्टता "।

23. प्रधानाचार्य पद के महत्व के बारे में जो कुछ भी कहा जाता हैसंस्थान के प्रशासन की तुलना में किसी महाविद्यालय का

समान बल के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर समान सामग्री लागू होती है।

24. यदि विद्यालय के प्रबंधन को बहुत व्यापक स्वतंत्रता नहीं दी जाती है

राज्य द्वारा, स्कूल को प्रशासित करने का अधिकार बहुत कुछ मिलेगाकम हो जाता है। "

(जोर दिया गया)

ख) टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में निर्णय 30. विचार करने के लिए ग्यारह न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों को छूते हुए

- संविधान के अनुच्छेद 29 और 30। इन कारणों से

उस शक्ति का एच का गठन पैराग्राफ में संक्षेप में किया गया था

कृपाल, सी. जे. द्वारा लिखित प्रमुख निर्णय इस प्रकार है:

के. एम. डी आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

फिर सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया। तैयार किए गए प्रश्नों को फिर से तैयार किया गया और न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को कम से कम ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाए, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि संविधान के बयालीसवें संशोधन को देखते हुए, जिसके तहत "शिक्षा" को सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 में शामिल किया गया था, इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता थी कि किसे "अल्पसंख्यक" माना जाएगा क्योंकि पहले का मामला कानून संशोधन से पहले के युग से संबंधित था, जब शिक्षा केवल राज्य सूची में थी। जब मामले ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आए, तो 19-3-1997 पर सुनवाई के दौरान, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

" चूंकि हमारी दलीलों के दौरान एक संदेह पैदा हुआ है कि क्या यह पीठ खुद को केरल शिक्षा विधेयक, 1957, इन रे और अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम में प्रस्तावित अनुपात से बंधी महसूस करेगी। गुजरात राज्य

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह बड़ी पीठ वर्तमान समय से उन मामलों में व्यक्त किए गए विचारों से खुद को बाधित महसूस नहीं करेगी।

प्रयास सही दायरे और व्याख्या को पहचानना है

संविधान का अनुच्छेद 30 (1), जो प्रमुख प्रश्न होने के कारण इसकी मूल शुद्धता में जांच की आवश्यकता होगी। तथ्य दर्ज किया गया है "।

31. पीठ ने 11 प्रश्न तैयार किए। वर्तमान चर्चा के लिए ई मुख्य रूप से प्रश्न Nos.4 5 से संबंधित चर्चा से संबंधित है। शीर्षक के तहत-" 3. यदि निजी संस्थान हो सकते हैंमानसिक विनियम और यदि हां, तो किस हद तक? , विभिन्न उपशीर्षकों के तहत चर्चा। पहला उपशीर्षक "निजी शिक्षा प्राप्त गैर-

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान" था। इस उपशीर्षक के तहत प्रमुख निर्णय के 50 उपशीर्षक में कहा गया है कि "मंत्री की स्थापना के अधिकार" में क्या शामिल है, जो नीचे दिया गया है:

[2020] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 50. स्थापना और प्रशासन के अधिकार में व्यापक रूप से शामिल हैं -

निम्नलिखित अधिकार:

(क) छात्रों को प्रवेश देना;

(ख) एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करना;

(घ) कर्मचारी (शिक्षण और गैर-शिक्षण) की नियुक्ति करना; और(ङ) यदि किसी कर्मचारी की ओर से कर्तव्य में लापरवाही की जाती है तो कार्रवाई करना। " "

अन्य उप-शीर्षकों में "निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालय", "निजी सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान (गैर-अल्पसंख्यक)" और "अन्य सहायता प्राप्त संस्थान" शामिल थे। चूँकि इन उप-शीर्षकों के साथ-साथ अगले शीर्षक के तहत चर्चा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में इस मामले को सख्ती से नहीं देखती है, इसलिए हम अगले शीर्षक की ओर रुख कर सकते हैं। 5. सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन के अधिकारों को किस हद तक विनियमित किया जा सकता है?

31.1 . संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार की सीमा के बारे में चर्चा करने के बाद, प्रमुख निर्णय ने सभी प्रासंगिक मामलों पर विचार किया

बिन्दु पर। निम्नलिखित परिच्छेद उल्लेखनीय हैं:

" 90. भाषा के संरक्षण के इस अधिकार का प्रयोग करते हुए लिपि

या संस्कृति, समाज का वह वर्ग शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है। अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार के लिए एक आवश्यक संगत है। अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अनुच्छेद 29 (2) में प्रावधान है कि जहां कोई भी शैक्षणिक संस्थान राज्य द्वारा चलाया जाता है या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता है, वहां किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 (2) में "कोई भी शैक्षणिक संस्थान" अभिव्यक्ति का उपयोग किसी के द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को संदर्भित नहीं करेगा, लेकिन जो है

राज्य द्वारा अनुरक्षित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, एक साधारण पाठ पर, राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, चाहे वे सरकार या बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित हों, केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं।

के. एम. डी आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

93. क्या अनुच्छेद 30 (1) को इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि इसका अर्थ यह हो कि इसमें अल्पसंख्यकों का पूर्ण अधिकार है, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो, वे किसी भी तरह से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना चाहते हैं, और किसी भी कानून के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं? क्या अनुच्छेद 30 (1) धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है जो लोगों के बीच धार्मिक या नस्लीय कट्टरता या दुर्भावना का प्रचार करता है? क्या अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार का इस तरह से प्रयोग किया जा सकता है कि यह सार्वजनिक नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ हो? अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए,

क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करते समय नगर नियोजन नियमों और विनियमों से बंधे नहीं होंगे? क्या वे भवन उप-कानूनों या स्वास्थ्य नियमों के प्रावधानों का पालन किए बिना किसी भी तरह से भवनों का निर्माण और रखरखाव कर सकते हैं?

105. रेव. सिद्धजभाई भाई बनाम। बॉम्बे राज्य इस न्यायालय को बॉम्बे सरकार द्वारा जारी एक आदेश की वैधता पर विचार करना पड़ा, जिसके तहत शैक्षणिक वर्ष से गैर-सरकारी प्रशिक्षण कॉलेजों में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कॉलेजों में 80 प्रतिशत सीटें नामित शिक्षकों के लिए आरक्षित की जानी थीं।

सरकार द्वारा। याचिकाकर्ता, जो अल्पसंख्यक समुदाय से थे, अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय और प्राथमिक विद्यालय भी चला रहे थे। उक्त प्राथमिक विद्यालय और महाविद्यालय

उत्तरी भारत के संयुक्त चर्च और आम तौर पर भारतीय ईसाइयों के धार्मिक संप्रदाय के लाभ के लिए आयोजित किए गए थे, हालांकि अन्य समुदायों से संबंधित छात्रों को प्रवेश से इनकार नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सरकार को चुनौती दी

सरकार ने उनके द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया अनुच्छेद 30 (1), 26 (ए), (बी), (सी) और (डी), और 19 (1) (एफ) और (जी)। अनुच्छेद 30 की व्याख्या करते समय, इस न्यायालय द्वारा एससीआर पीपी में इसका अवलोकन किया गया था।

849-50 निम्नानुसार:

" सभी अल्पसंख्यकों, भाषाई या धार्मिक को अनुच्छेद 30 (1) द्वारा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासित करने का पूर्ण अधिकार है और कोई भी कानून या कार्यकारी निर्देश जो अनुच्छेद 30 (1) के तहत उस अधिकार के सार का उल्लंघन करना चाहता है, उस हद तक अमान्य होगा। तथापि, इसका यह कहना नहीं है कि राज्य के लिए इन प्रयोगों पर विनियम लागू करने का अधिकार नहीं है -

यह अधिकार। मूलभूत स्वतंत्रता शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना है: वास्तव में जो शैक्षणिक संस्थान हैं, ऐसे संस्थान जो नागरिकों या उनके वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार है। शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और इसी तरह की दक्षता के सच्चे हित में बनाए गए विनियमन को निस्संदेह लागू किया जा सकता है। इस तरह के नियम

अधिकार के सार पर प्रतिबंध नहीं हैं जिसकी गारंटी दी गई है: वे शैक्षिक मामलों में संस्थान के उचित कामकाज को सुरक्षित करते हैं।

106. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों का अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार गंभीर रूप से प्रतिबंधित था, इस न्यायालय ने केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के मामले में राय का उल्लेख किया, लेकिन यह कहते हुए इसे अलग किया कि न्यायालय ने उस मामले में, विनियमन की तर्कसंगतता की कोई परीक्षा निर्धारित नहीं की थी। केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के मामले में ऐसा कोई सामान्य सिद्धांत नहीं था, जिसके आधार पर किसी विनियमन की तर्कसंगतता का परीक्षण किया जा सके और इसलिए, सिद्धजभाई भाई मामले में यह माना गया कि उस मामले में राय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं थी कि सभी विनियामक उपाय,

अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्था के चरित्र के विनाशकारी या विनाशकारी नहीं थे, बशर्ते कि नियम राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित में हों, वैध थे। इस संबंध में यह आगे एससीआर पीपी में आयोजित किया गया था। 856-57 , इस प्रकार है:

" अनुच्छेद 30 (1) द्वारा स्थापित अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे निरपेक्ष रूप से घोषित किया गया है। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रताओं के विपरीत, यह उचित स्वतंत्रता के अधीन नहीं है।प्रतिबंध। यह संरक्षण के लिए एक वास्तविक अधिकार होने का इरादा है

शिक्षा की स्थापना के मामले में अल्पसंख्यक

अपनी पसंद के संस्थान। अधिकार होने का इरादा हैप्रभावी है और तथाकथित नियामक द्वारा नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए

अल्पसंख्यक के. एम. डी. के हित में नहीं किए गए उपाय।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

यदि प्रत्येक आदेश जो औपचारिक चरित्र को बनाए रखते हुएएक अल्पसंख्यक संस्थान प्रशासन की शक्ति को नष्ट कर देता है

न्यायसंगत माना जाता है क्योंकि यह सार्वजनिक या राष्ट्रीय हित में है, यद्यपि एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में इसके हित में नहीं, अधिकार

अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटी एक 'चिढ़ाने वाला भ्रम' होगा,

अवास्तविकता का वादा। नियम जो कानूनी रूप से हो सकते हैं

एक शर्त के रूप में विधायी या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा लगाया गयाअनुदान या मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए

एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपने चरित्र को बनाए रखते हुए संस्था

एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में प्रभावी। इस तरह का विनियमन होना चाहिए

एक दोहरी परीक्षा को संतुष्ट करें-तर्कसंगतता की परीक्षा, और परीक्षण कि यह संस्थान के शैक्षिक चरित्र का नियामक है

और संस्थान को एक प्रभावी वाहन बनाने के लिए अनुकूल है।अल्पसंख्यक समुदाय या अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा की जो

इसका सहारा लीजिए "।

सरकार को नियम बनाने से रोका जा सकता है जो हैं - राष्ट्रीय हित में, जैसा कि परिच्छेद में संकेत दिया गया है

ऊपर उद्धृत किया गया है। राष्ट्रीय हित में बनाए गए किसी भी विनियमन को अनिवार्य रूप से सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होना चाहिए, चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित हों। इस तरह की सीमा को अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 30 में पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार ऐसा नहीं हो सकता है जो राष्ट्रीय हित को ओवरराइड करे या इसे रोकने के लिए हो।

सरकार उस ओर से नियम बनाने से। यह निश्चित रूप से सच है कि सरकारी नियम अल्पसंख्यकों को नष्ट नहीं कर सकते।संस्था का चरित्र या स्थापना का अधिकार बनाना और

केवल एक भ्रम पैदा करना; लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार इतना पूर्ण नहीं है कि कानून से ऊपर हो। यह आगे देखा जाएगा कि सिद्धजभाई भाई मामले में संविधान के अनुच्छेद 29 (2) का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। इसलिए यह निर्णय हमारे सामने प्रचार किए गए प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं हो सकता है।

(जोर दिया गया)

31.2 . इसके बाद प्रमुख निर्णय ने निर्णय पर विचार किया

अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज के न्यायालय में, और वहाँ के अंशों में उद्धृत करते हुए, यह देखा गया:

" 119. एक समवर्ती निर्णय में, नोट करते हुए (एस. सी. सी. पी. में। 770 ,

पैरा 73) कि "अनुच्छेद 29 का खंड (2) इनकार करने से मना करता है

किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नागरिकों का प्रवेश

राज्य द्वारा अनुरक्षित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने पर

केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर

", खन्ना, जे. ने तब अनुच्छेद 30 की जांच की, और एस. सी. आर. पी. में अवलोकन किया। 222 , इस प्रकार है: (एस. सी. सी पी. 770, पैरा 74)

" 74. अनुच्छेद 30 का खंड (1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है।

संस्था के मामले। प्रशासन का अर्थसंस्थान के मामलों का प्रबंधन। प्रबंधन को नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए ताकि संस्थापक या उनके नामांकित व्यक्ति संस्थान को अपने विचार के अनुसार और सामान्य रूप से समुदाय के हित के बारे में अपने विचारों के अनुसार ढाल सकें।

और विशेष रूप से संस्थान को सबसे अच्छी सेवा दी जाएगी। 'उनकी पसंद के' शब्द शैक्षणिक संस्थानों को योग्य बनाते हैं और यह दर्शाते हैं कि अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान किसी विशेष वर्ग के होने की आवश्यकता नहीं है। अल्पसंख्यकों को ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार और स्वतंत्रता है जो वे चाहें। अनुच्छेद 30 का खंड (2) राज्य को किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सहायता देने के मामले में इस आधार पर भेदभाव करने से रोकता है कि संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन में है।

चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।

120. अनुच्छेद 30 के पीछे के तर्क को समझाते हुए, यह देखा गया कि

एस. सी. आर पी. 224 , इस प्रकार है: (एस. सी. सी पी. 772, पैरा 77)

एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI MANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

" 77. अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार देने का विचार आबादी के एक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त या लाड़ले वर्ग को रखने के लिए नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की भावना और विश्वास की भावना देना है। समय के बाद से भारत के महान नेता

अनादिकाल से सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रचार किया था और

एक संतुलन लाएं, ताकि समानता के आदर्श को केवल एक अमूर्त विचार तक सीमित नहीं किया जा सके, बल्कि एक जीवित विचार बन जाएवास्तविकता और परिणाम में सच्ची, वास्तविक समानता, एक समानता न केवल

सिद्धांत रूप में, लेकिन वास्तव में भी।

1. खन्ना ने एस. सी. आर. पी. में कहा कि इस बात की वकालत करते हुए कि संविधान के प्रावधानों का अर्थ उदार, उदार और सहानुभूतिपूर्ण प्रोच के अनुसार किया जाना चाहिए, और उन सिद्धांतों पर विचार करने के बाद जिन्हें इस न्यायालय के पहले के फैसलों से अस्वीकार किया जा सकता है। 234 , इस प्रकार है: (एस. सी. सी पी. 781, पैरा 89)

" अल्पसंख्यक जितने बहुसंख्यक हैं, उतने ही धरती के बच्चे हैं और यह सुनिश्चित करने का दृष्टिकोण रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों में अपनापन की भावना, सुरक्षा की भावना, समानता की चेतना और उनके धर्म, संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण के साथ-साथ उनकी शिक्षा की सुरक्षा से वंचित हो।

संस्थान संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है। समान उदार, उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को अनुच्छेद 29 और 30 का अर्थ लगाने में अदालतों के साथ तौलना चाहिए

उन अनुच्छेदों का मसौदा तैयार करने और उन्हें मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाने में संविधान निर्माताओं के विचार-विमर्श को चिह्नित किया। जनसंख्या के वर्गों के बीच अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आयु से कम के व्यक्तियों के बीच हितों की रक्षा।

बहुसंख्यक हैं या अन्यथा किसी प्रकार से पीड़ित हैं

दुर्बलता। इसलिए, संविधान और सभ्य देशों द्वारा बनाए गए कानूनों में आम तौर पर सुरक्षा [2020] 1 एस. सी. आर. के प्रावधान होते हैं।

उन हितों के लिए। वास्तव में, इसे किसी राष्ट्र की सभ्यता और कैथोलिकता के स्तर का सूचकांक कहा जा सकता है कि यह कितनी दूर है। उनके अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करते हैं और किसी के अधीन नहीं हैं

भेदभाव या दमन "।

एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में चरित्र। विनियमन को "एक दोहरी परीक्षा को संतुष्ट करना चाहिए- तर्कसंगतता की परीक्षा, और यह परीक्षा कि यह संस्थान के शैक्षिक चरित्र का नियामक है औरसंस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय या अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का एक प्रभावी साधन बनाने के लिए अनुकूल है जो

इसका सहारा लें "। (एस. सी. सी पी. 783, पैरा 92) किसी अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा संबद्धता और मान्यता प्राप्त करने या बनाए रखने से पहले अधिकारियों को नियम निर्धारित करने की अनुमति थी, जिनका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन यह भी कहा गया कि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों को संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। इसलिए, दो उद्देश्यों के बीच एक संतुलन बनाए रखना होगा-संस्थान के उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करना और अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को संरक्षित करना। नियम-कानून

दोनों उद्देश्यों को अपनाना और उनका सामंजस्य स्थापित करना उचित माना जा सकता है। यह, हमारे विचार में, समस्या के लिए सही दृष्टिकोण है।

123. शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में पहले के मामलों का उल्लेख करने के बाद, न्यायमूर्ति खन्ना ने यह नोट किया कि इसके बाद जो निष्कर्ष निकला वह यह था कि एक कानून जो अल्पसंख्यक के योग्य शिक्षकों की पसंद, या शिक्षकों और संस्थान के कर्मचारियों के अन्य सदस्यों पर इसके अनुशासनात्मक नियंत्रण में हस्तक्षेप करता है, वह अमान्य था, क्योंकि यह अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन था। जबकि राज्य और उसके शैक्षणिक प्राधिकरणों के लिए शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने की अनुमति थी, यह माना गया था कि एक बार आवश्यक योग्यता रखने वाले शिक्षकों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

अल्पसंख्यकों को उनके शैक्षणिक संस्थानों के लिए, राज्य को उन शिक्षकों के चयन पर वीटो करने का कोई अधिकार नहीं होगा। चयन और के. एम. डी.

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

एक शैक्षणिक संस्थान के लिए शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार किया गया था

अनुच्छेद 30 (1) के तहत आवश्यक सामग्री में से एक के रूप में। अदालत का

इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि केरल शिक्षा विधेयक में,

1957 इस मामले में इस न्यायालय ने राय दी थी कि खंड 11 और 12 ने इसे बनाया था

सभी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एक पैनल से शिक्षकों का चयन करना अनिवार्य हैलोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक जिले से चुना गया और

अधिकृत की पूर्व मंजूरी के बिना रैंक में कमी अधिकारी। एस. सी. सी. पी. 792 , खन्ना, जे. ने पाया कि मामलों में

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 में राय के बाद

इस न्यायालय ने खंड 11 और खंड 12 के समान प्रावधान किए थे।अल्पसंख्यकों के अनुच्छेद 30 (1) (मामले में एस. आई. सी.) का उल्लंघन करने वाला होना

संस्थाएं। इसके बाद उन्होंने कहा: (एस. सी. सी पी. 792, पैरा 109)

" री केरल एजुकेशन में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त राय

बिल, 1957 एक सलाहकार चरित्र का था और हालांकि महान था।

इसके प्रेरक मूल्य के कारण इससे वजन जोड़ा जाना चाहिए,

उक्त राय बाद में राय को ओवरराइड नहीं कर सकती

इस न्यायालय द्वारा बाद के विवादित मामलों में जो एक बाध्यकारी प्रभाव है। शब्द 'जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है'

साथ ही पूर्ववर्ती वाक्य इंगित करता है कि व्यक्त किया गया दृष्टिकोण

इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में केरल शिक्षा विधेयक, 1957 में

संकोचपूर्ण और अस्थायी था और मामले में अंतिम दृष्टिकोण नहीं था।

(जोर दिया गया)

31.3 . सभी निर्णयों पर विचार करने के बाद, मामला था

नीचे की तरह ऊपर उठाएँ:

" 135. हम विद्वान महान्यायवादी के तर्क से सहमत हैं।

कि भाग III में संविधान में कोई निरपेक्षता नहीं है या नहीं है

कम से कम उक्त भाग के अन्य प्रावधानों के लिए। यह मुश्किल है समझें कि संविधान के निर्माताओं ने दिया होगा

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों का ऐसा पूर्ण अधिकार, जो

संस्थाएं इस तरह से कि अन्य भागों के साथ संघर्ष में हों संविधान से। हमें यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि

द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, देश का कोई कानून नहीं, यहां तक कि

संविधान, उन पर लागू होना है।

[2020] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

137. उपरोक्त निर्णयों से यह पता चलता है कि भले ही अनुच्छेद 30 (1) के शब्द अयोग्य हैं, इस न्यायालय ने माना है कि कम से कम देश के कुछ अन्य कानून स्वास्थ्य, नैतिकता से संबंधित हैं।और शिक्षा के मानक लागू होते हैं। इसलिए, अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार को पूर्ण या कानून के अन्य प्रावधानों से ऊपर नहीं माना गया है, और हम इसे दोहराते हैं। उसी सादृश्य से, नियमों या शर्तों का कोई कारण नहीं है

उचित शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रावधान किसी भी तरह से अनुच्छेद 30 (1) के तहत प्रशासन या प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। 138. जैसा कि हम इसे देखते हैं, अनुच्छेद 30 (1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक तरह की गारंटी या आश्वासन है।

उनकी पसंद। धर्मनिरपेक्षता और समानता संविधान की दो बुनियादी विशेषताएँ हैं, अनुच्छेद 30 (1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे देश की धर्मनिरपेक्षता का संरक्षण होता है। इसके अलावा, समानता के सिद्धांत अनिवार्य रूप से ऐसे अधिकारों के आनंद के लिए लागू होने चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जो ऐसे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करेअन्य शैक्षणिक संस्थानों की तुलना में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। कोई भी कानून या नियम या विनियम

जो अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को दूसरों द्वारा संचालित संस्थानों की तुलना में नुकसान में डाल देगा, उन्हें बंद करना होगा। साथ ही, कोई विपरीत भेदभाव भी नहीं हो सकता है। यह सेंट जेवियर्स में मनाया गया था।

एस. सी. आर. पी. में कॉलेज मामला 3। 192 कि - (एस. सी. सी पी. 743, पैरा 9)

" अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच समानता हो। यदि अल्पसंख्यकों को ऐसी विशेष सुरक्षा नहीं मिलती है तो उन्हें वंचित कर दिया जाएगा

समानता "।

दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 30 (1) का सार समानता सुनिश्चित करना है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच व्यवहार। किसी एक प्रकार या संस्था की श्रेणी को नापसंद नहीं किया जाना चाहिए या

उस मामले में, दूसरे की तुलना में अधिक अनुकूल उपचार प्राप्त करें। नियम और विनियमों सहित देश के कानून बहुसंख्यक संस्थानों के साथ-साथ अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए।

के. एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

अल्पसंख्यक संस्थानों को वही करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो गैर-अल्पसंख्यक करते हैं।

संस्थानों को ऐसा करने की अनुमति है।

139. किसी भी अन्य गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों की तरह, समान गैर-सहायता प्राप्त संस्थान

भाषाई या धार्मिक द्वारा प्रशासित शैक्षणिक संस्थान

अल्पसंख्यकों को उनके संबंध में अधिकतम स्वायत्तता का आश्वासन दिया जाता है; जैसे। शिक्षकों की भर्ती, शुल्क लेने और प्रवेश की विधि

छात्रों से। उन्हें शर्तों का पालन करना होगा

मान्यता, जो इस तरह से नहीं हो सकती है कि दाएं हिस्से को नीचे कर दिया जाए अनुच्छेद 30 के तहत "।

(जोर दिया गया)

31.4 . तब इस मामले पर इस संदर्भ में विचार किया गया था कि सहायता

संबंधित अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा प्राप्त किया जा रहा है और क्या

प्रशासन में इसकी स्वायत्तता में कटौती या विनियमन किया जा सकता है। यह.

देखा गया:

“ 144. यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है जबकिअल्पसंख्यक संस्थान को सहायता देना। चाहे वह एक संस्था संचालित हो

बहुमत या अल्पसंख्यक द्वारा, सभी शर्तें जिनकी प्रासंगिकता है शिक्षाविदों द्वारा अनुदान सहायता का उचित उपयोग करना।

संस्था थोपी जा सकती है। अनुच्छेद 30 (2) में केवल इतना ही कहा गया है कि

इस आधार पर कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है,चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो, उसे सहायता का अनुदान

शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यदि अन्य

शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान या सहायता न देने के लिए समान रूप से लागू किया जाता है, चाहे वह बहुमत द्वारा संचालित संस्थान हो या

अल्पसंख्यक संचालित संस्था। जैसा कि बहुसंख्यक संचालित संस्था के मामले में होता है,

जिस क्षण कोई अल्पसंख्यक संस्थान सहायता का अनुदान प्राप्त करता है, अनुच्छेद 28 संविधान लागू होता है। जब एक शैक्षणिक संस्थान

राज्य निधि से रखा जाता है, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है

शैक्षणिक संस्थान जो स्थापित या अनुरक्षित नहीं हैं धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक। इसके अलावा, की प्राप्ति पर

अनुच्छेद 28 (3) के प्रावधान सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होंगे।

संस्थान चाहे वे अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित हों या गैर-अल्पसंख्यकों द्वारा।

अनुच्छेद 28 (3) किसी मान्यता प्राप्त राज्य में अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अधिकार है।

संस्थान या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान में

धन, किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग नहीं लेना, यदि [2020] 1 एस. सी. आर. द्वारा प्रदान किया जाता है।

ऐसी संस्था, उसकी सहमति के बिना (या उसके अभिभावक की सहमति यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग है)। जैसे ही अनुच्छेद 28 (1) और (3) लागू होते हैं, वैसे ही किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भी लागू होते हैं। सहायता, इसी तरह, अनुच्छेद 29 (2) भी आकर्षित किया जाएगा और राज्य द्वारा बनाए गए या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान पर लागू होगा। यह दृढ़ता से तर्क दिया गया कि प्रवेश देने का अधिकार धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए प्रशासन के अधिकार के आवश्यक तत्वों में से एक है, और इस अधिकार को किसी भी तरह से कम नहीं किया जाना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है। यदि अनुच्छेद 28 (1) और (3) राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू होते हैं, तो अनुच्छेद 30 की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनुच्छेद 29 (2) के प्रावधानों को लागू नहीं करेगा। अनुच्छेद 28 (1) और अनुच्छेद 28 (3) की तरह, अनुच्छेद 29 (2) "राज्य द्वारा बनाए गए या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान" को संदर्भित करता है।

एक अल्पसंख्यक संस्थान अनुच्छेद 29 (2) के दायरे में आएगा।

जिस तरह से अनुच्छेद 28 (1) और अनुच्छेद 28 (3) सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू होंगे। यह सच है कि किसी शैक्षणिक संस्थान को प्रशासित करने का एक अधिकार अनुदान देना है।

अनुच्छेद 29 (2) कुछ हद तक प्रवेश देने के अधिकार को कम करता है। अनुच्छेद 29 (2) के आधार पर किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लेख 29 (2) अल्पसंख्यक संस्थान की शक्तियों में से एक को कम करता है, लेकिन सहायता प्राप्त करने पर, कुछ अधिकार जो एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक को मिलते हैं

संस्थान को अनुच्छेद 28 (1) और 28 (3) द्वारा भी सीमित किया गया है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है।

निर्देश-यह अधिकार अनुच्छेद 28 (1) द्वारा छीन लिया जाता है, यदि उस अल्पसंख्यक संस्थान को पूरी तरह से राज्य निधि से बाहर रखा जाता है। इसी तरह राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने पर या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर, एक अल्पसंख्यक संस्थान के पूर्ण अधिकार को अनुच्छेद 28 (3) द्वारा कम कर दिया जाता है जिसमें एक छात्र को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की आवश्यकता होती है। यदि के. एम. डी. पर अल्पसंख्यक संस्थान के प्रशासन के अधिकार में कटौती।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

अनुच्छेद 28 द्वारा प्रदान की गई सहायता प्राप्त करना या पूरी तरह से राज्य निधि से बनाए रखा जाना वैध है, इसका कोई कारण नहीं है कि अनुच्छेद 29 (2) इसे लागू नहीं माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 28 (1) और (3), अनुच्छेद 29 (2) और अनुच्छेद 30 की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि सहायता प्राप्त करने पर अनुच्छेद 28 (1) और (3) लागू होंगे, लेकिन अनुच्छेद 29 (2) लागू नहीं होगा। इसलिए, यह तर्क कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आने वाले संस्थान अनुच्छेद 29 (2) के निषेधाज्ञा के बाहर हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

.....

कॉलेज का मामला। छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने यह भी कहा कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपने सामुदायिक उम्मीदवारों को अधिमानतः प्रवेश देने के हकदार हैं ताकि संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखा जा सके, और यह कि राज्य इस श्रेणी में प्रवेश को उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विनियमित कर सकता है जिसे संस्थान सेवा देने का इरादा रखता था, लेकिन यह कि यह प्रवेश किसी भी मामले में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, सेंट स्टीफंस ने दोनों लेखों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। हालांकि हम सेंट स्टीफंस के अनुपात को स्वीकार करते हैं जो एक दशक से अधिक समय से इस क्षेत्र में है, लेकिन हमारे पास सम्मोहक है।

उसमें निर्धारित कठोर प्रतिशत को स्वीकार करने में आरक्षण। चूंकि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 न केवल उच्च शिक्षा संस्थानों पर बल्कि स्कूलों पर भी लागू होते हैं, इसलिए 50 प्रतिशत की सीमा उचित नहीं होगी। यह अधिक उचित होगा कि संस्थान के स्तर के आधार पर, चाहे वह प्राथमिक हो या माध्यमिक या उच्च विद्यालय या महाविद्यालय, पेशेवर हो या अन्यथा, और उस क्षेत्र की जनसंख्या और शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर जिसमें संस्थान स्थित होना है, राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के इतने प्रतिशत के लिए प्रावधान करके सभी के हितों को उचित रूप से संतुलित करता है।

प्रवेश दिया जाए, ताकि उस समुदाय के हित की पर्याप्त रूप से सेवा की जा सके जिसके लिए संस्था की स्थापना की गई थी।

152. साथ ही, सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश, चाहे वे अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक छात्रों को दिए गए हों, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन की पूर्ण इच्छा और खुशी पर नहीं हो सकते हैं। चूंकि अकादमिक उत्कृष्टता और मानकों को बढ़ावा देने के लिए नियम गारंटीकृत [2020] 1 एस. सी. आर. का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

पात्रों के बीच योग्यता का अवलोकन करने की आवश्यकता हो सकती है

व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक महाविद्यालय। अगर ऐसी कोई बात नहीं हैपरीक्षण, तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने का एक तर्कसंगत तरीका होना चाहिए

राज्य एजेंसी। जिन पाठ्यक्रमों के लिए इस तरह की परीक्षा और परामर्श दिया जाता है प्रचलन में नहीं हैं, प्रवेश प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर हो सकता है

समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लोग,गैर-अल्पसंख्यक सीटें "।

(जोर दिया गया)

31.5 . अंत में, प्रश्न संख्या 5 (सी) के संबंध में, प्रमुख निर्णय

इसका जवाब इस प्रकार है:

" प्र. 5. (ग) क्या वैधानिक प्रावधान जो विनियमित करते हैं

प्रशासन के पहलू जैसे शैक्षणिक एजेंसियों पर नियंत्रण,

कर्मचारियों, शिक्षकों और प्राचार्यों को उनकी सेवा शर्तों सहित और शुल्क आदि का विनियमन के अधिकार में हस्तक्षेप करेगा

अल्पसंख्यकों का प्रशासन?

ए. जहाँ तक के पहलुओं को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का संबंध है

प्रशासन एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक के मामले में चिंतित है शैक्षणिक संस्थान, नियंत्रण का नियामक उपाय होना चाहिए

न्यूनतम और मान्यता की शर्तों के साथ-साथ

विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबद्धता की शर्तों का पालन करना होगा।

के साथ, लेकिन दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के मामले में, जैसे

कर्मचारियों की नियुक्ति, शिक्षण और गैर-शिक्षण, और प्रशासनिक

उन पर नियंत्रण, प्रबंधन को स्वतंत्रता होनी चाहिए और

कोई बाहरी नियंत्रण एजेंसी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, ए.

शिक्षण कर्मचारियों के चयन के लिए और लेने के लिए तर्कसंगत प्रक्रिया

अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रबंधन द्वारा ही विकसित की जानी चाहिए। सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए

संस्थान जो के. एम. डी. से सजा या समाप्ति के अधीन हैं।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

सेवा के लिए, एक तंत्र विकसित करना होगा, और हमारी राय में, उपयुक्त न्यायाधिकरणों का गठन किया जा सकता है, और तब तक, ऐसे न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता निम्न स्तर के न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा सकती है -

जिला न्यायाधीश।

हालाँकि, राज्य या अन्य नियंत्रण प्राधिकरण हमेशा कर सकते हैं।

न्यूनतम योग्यता, अनुभव और अन्य निर्धारित करें।

" सेवा शर्तों के लिए विनियम बनाए जा सकते हैं शिक्षण और अन्य कर्मचारी जिनके लिए राज्य द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, कर्मचारियों पर प्रबंधन के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप किए बिना।

गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को विनियमित नहीं किया जा सकता है।

लेकिन किसी भी संस्थान को कैपिटेशन शुल्क नहीं लेना चाहिए।

ग) टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के बाद के निर्णय

32. ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट

अल 2 4, दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने उस मुद्दे से निपटा जो उत्पन्न हुआ

:

" 5. विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या महाविद्यालय सेवा के चयन के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

दूसरे शब्दों में, शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में राज्य की भूमिका को समझने के लिए आयोग की अनुमति है या नहीं। किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत आने वाला अधिकार माना जाता है। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम. कर्नाटक राज्य 3.

संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के अनुसार, एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और रखरखाव का अधिकार आम जनता के हित में राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। साथ ही, सार्वजनिक

व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई भी वर्ग स्थापित कर सकता है।

और संविधान के अनुच्छेद 26 (ए) के तहत शैक्षणिक संस्थानों का रखरखाव करना। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 26 (ए) को एक साथ पढ़कर, याचिकाकर्ताओं को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार है और इसलिए हमें नहीं लगता कि अल्पसंख्यक/सांप्रदायिक स्थिति के मुद्दे पर निर्णय लेना अनिवार्य है

हाथ में मुद्दे का फैसला करने के लिए ब्रह्म समाज। हमारे विचार में, यह मुद्दा वर्तमान मामले के संदर्भ में उत्पन्न नहीं होता है।

6. अब हमारे सामने सवाल यह तय करने का है कि कॉलेज सेवा द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए या नहीं।

संस्था। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं को सहायता मिल रही है, उनकी प्रशासन की स्वायत्तता को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है औरसंस्थानों को सरकारी स्वामित्व वाला नहीं माना जा सकता है। बेशक राज्य ऐसी शर्तें लगा सकता है जो शिक्षा के मानकों के उचित रखरखाव और कुप्रशासन की जांच के लिए आवश्यक हैं। टी. एम. ए. पाई 3 में कहा गया है कि:

" 71. पेशेवर संस्थानों को सहायता देते समय, सहायता देने वाले प्राधिकरण के लिए नियमों या विनियमों द्वारा निर्धारित करने की अनुमति होगी, जिन शर्तों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। राज्य की आरक्षण नीति के साथ योग्यता के आधार पर विभिन्न सहायता प्राप्त कॉलेजों को अनुदान दिया जाएगा। योग्यता का निर्धारण या तो विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके बाद परामर्श दिया जाता है, या व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा आयोजित एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर-जिस विधि का पालन किया जाना है वह विश्वविद्यालय या सरकार को तय करना है। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य साधन भी तैयार कर सकता है कि किसी सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान में योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाए। ऐसे संस्थानों के मामले में, सरकार या विश्वविद्यालय को यह प्रावधान करने की अनुमति होगी कि समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। (एस. सी. सी. पी. 550, पैरा 71)

72. एक बार जब किसी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान को सहायता प्रदान की जाती है, तो सरकार या राज्य एजेंसी, सहायता प्रदान करने की शर्त के रूप में, संस्थान के प्रशासन और प्रबंधन के मामले में स्वतंत्रता को बाधित कर सकती है। राज्य, जो किसी शैक्षणिक संस्थान को सहायता देता है, ऐसी शर्तें

लगा सकता है जो शिक्षा के उच्च मानकों के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वित्तीय बोझ राज्य द्वारा साझा किया जाता है। शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना भी राज्य का दायित्व होगा। कई राज्यों में एम. डी. को विनियमित करने के लिए विभिन्न वैधानिक प्रावधान हैं।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI MANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

ऐसे शैक्षणिक संस्थानों का कार्यकरण जहां राज्य अनुदान या सहायता के रूप में वेतन, वेतन और शिक्षण भत्ते सहित राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा देते हैं।और गैर-शिक्षण कर्मचारी। यह सुनिश्चित करना इसकी जिम्मेदारी होगी कि उन संस्थानों में काम करने वाले शिक्षक उचित सेवा शर्तों द्वारा शासित हों। राज्य के पास, ऐसे सहायता प्राप्त संस्थानों के मामले में, आवश्यकता निर्धारित करने के बाद शिक्षकों के चयन और नियुक्ति के तरीके को विनियमित करने की पर्याप्त शक्ति है।

उसी के लिए योग्यताएँ। तब से केरल शिक्षा में

विधेयक, 1957, रियो इस न्यायालय ने सहायता प्राप्त संस्थानों के मामले में उन विनियमों को बरकरार रखा है जो छात्रों और शिक्षकों के हितों की पूर्ति करते हैं। प्रशासन की जाँच आवश्यक हो सकती है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशासन कुशल और सशक्त है और संस्थानों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दूसरे शब्दों में, अच्छे प्रशासन को बढ़ावा देने और कुप्रशासन को रोकने वाले नियमों और विनियमों को तैयार किया जा सकता है ताकि शिक्षकों की दक्षता, अनुशासन और निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रशासन और संबद्ध संस्थानों के बीच सद्भाव बनाए रखना। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई सहायता प्राप्त संस्थान भी सरकारी स्वामित्व और स्वामित्व वाला न बने।

नियंत्रित संस्थान। आम तौर पर, जो सहायता दी जाती है, वह शिक्षण कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित होती है। इसके अलावा, निजी सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रबंधन को राजस्व और पूंजीगत खर्च वहन करना पड़ता है। ऐसे सहायता प्राप्त संस्थान प्रबंधन के संबंध में स्वायत्तता की उस सीमा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और

प्रशासन जो किसी निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन साथ ही, इसे सरकार द्वारा विभागीय रूप से संचालित शैक्षणिक संस्थान के रूप में भी नहीं माना जा सकता है या

एक पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रित सरकारी संस्थान के रूप में और शासी निकायों के गठन में हस्तक्षेप करता है या प्रबंधन के संदर्भ के बिना कर्मचारियों पर दबाव डालता है।

73. बड़ी संख्या में ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे स्कूल और गैर-व्यावसायिक कॉलेज, जो राज्य की सहायता के बिना काम नहीं कर सकते। हालाँकि इन संस्थानों की स्थापना परोपकारी लोगों द्वारा की गई हो सकती है या

अन्य जन-उत्साही व्यक्तियों के लिए, छात्रों को सस्ती शिक्षा प्रदान करने के लिए, राज्य से सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसे मामलों में, पेशेवर सहायता प्राप्त [2020] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऊपर उल्लिखित संस्थान, सरकार को जब भी शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के रोजगार के नियमों और शर्तों से संबंधित विनियम बनाने का अधिकार होगा।

पदों के लिए सहायता राज्य के साथ-साथ प्रवेश प्रक्रियाओं द्वारा दी जाती है। इस तरह के नियम और विनियम उन कारणों और तरीके का भी प्रावधान कर सकते हैं जिनमें एक शिक्षक या कर्मचारी के किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी निजी सहायता प्राप्त संस्थान की स्वायत्तता उससे कम होगी।

एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान।

.....

10. जब टी. एम. ए. पाई मामले में इस न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ ने घोषणा की है कि इस मामले में कानून क्या है, तो हम विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करके इसके प्रभाव को कम नहीं करना चाहते हैं।

उसमें दिए गए बयान या किसी भी विच्छेदन में शामिल होनाइसके अंतर्निहित सिद्धांत। हम बल्कि यह कहेंगे कि राज्य

सरकार इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा की गई कानून की घोषणाओं पर ध्यान देगी और उनके कानूनों, नियमों और विनियमों में उपयुक्त संशोधन करेगी ताकि उन्हें निम्नलिखित के अनुरूप बनाया जा सके - उसमें निर्धारित सिद्धांत "।

33. पी. ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और

$ 25 इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित मुद्दों को अपने विचार के लिए सूचीबद्ध किया:

हमारे सामने फिर से एक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात, गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थान जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं। द. हमारे सामने निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे केवल तीन हैं:

(i) गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों के संबंध में प्रवेश/छात्रों के "कोटा" का निर्धारण;((ख) ऐसे महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं का आयोजन,

अर्थात्, प्रवेश परीक्षा कौन आयोजित करेगा; और

5) 6 एस. सी. सी. 537

4) 8 एस. सी. सी 139

14) 8 एससीसी 135 के. एम. डी.

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

((ग) शुल्क संरचना।

संदर्भ के आदेश द्वारा लिखे गए प्रश्न

27. संदर्भ के दो आदेशों के आलोक में, संदर्भित

इसके अलावा, हम अपनी चर्चा को यहां दिए गए उन प्रश्नों तक सीमित रखने का प्रस्ताव करते हैं जो हमारे अनुसार निर्णय के लिए उत्पन्न होते हैं:

(1) राज्य किस हद तक गैर-सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक) शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए गए प्रवेश को विनियमित कर सकता है? क्या राज्य आरक्षण की अपनी नीति को लागू कर सकता है और/या इसके लिए उपयुक्त हो सकता है

स्वयं ऐसे संस्थानों में प्रवेश में कोई कोटा?

(3) क्या इस्लामी अकादमी छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को देय शुल्क को विनियमित करने के मामले में दिशा-निर्देश जारी कर सकती थी? (4) क्या इस्लामी अकादमी द्वारा गठित की जाने वाली समितियों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है?

33.1 . अनुच्छेद 30 के वास्तविक उद्देश्य से निपटते हुए

शीर्षक, यह कहा गया था:

" 70. अनुच्छेद 30 का वास्तविक उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव को रोकना और उन्हें गैर-अल्पसंख्यक के बराबर रखना है। विपरीत भेदभाव अनुच्छेद 30 का उद्देश्य नहीं था। यदि शैक्षणिक संस्थानों के संचालन को जारी रखने के अधिकार से उच्च स्तर पर नहीं कहा जा सकता है

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर किसी भी अन्य व्यवसाय, व्यवसाय करने के अधिकार के समान उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इन प्रतिबंधों के उद्देश्य के लिए

अल्पसंख्यकों और गैर-अल्पसंख्यकों दोनों के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है और अनुच्छेद 30 (1) का कोई उल्लंघन नहीं होगा, जो

03) 6 एससीसी 697 [2020] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है बहुमत से अल्पसंख्यक। शिक्षा की गतिविधियाँ

अनिवार्य रूप से प्रकृति में धर्मार्थ, दोनों शैक्षणिक संस्थानएक गैर-अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक चरित्र को विनियमित किया जा सकता है और

संस्थान को चलाने के लिए और इसके आगे के लिए उचित रूप से आवश्यक होगा। वृद्धि "।

(जोर दिया गया)

33.2 चर्चा से पता चलता है कि इस मामले पर विचार किया गया था

गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के अधिकारों का संदर्भ और "राज्य सहायता प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों" के संबंध में नहीं, जैसा कि पैरा No.123 से स्पष्ट है।

निर्णय से। निर्णय के पैरा No.103 से पता चलता है कि अल्पमत

शैक्षणिक संस्थानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था और पैरा No.104

पेशेवर और गैर-पेशेवर के बीच अंतर

शैक्षणिक संस्थान। पैराग्राफ संख्या। 104 107 निम्नानुसार थे:

" पेशेवर और गैर-पेशेवर के बीच अंतर

शैक्षणिक संस्थान

104. अनुच्छेद 30 (1) आम तौर पर "शैक्षणिक संस्थानों" की बात करता है।

और अनुच्छेद 29 (2) भी ऐसा ही करता है। इन लेखों में कोई अंतर नहीं है।

धर्मशास्त्रीय शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान के बीच

या व्यावसायिक या गैर-व्यावसायिक शिक्षा। हालांकि, क्षेत्र विचार जो क्रमिक न्यायपालिका के माध्यम से विकसित हुआ है

संविधान की पृष्ठभूमि में शिक्षा की अवधारणाप्रावधान, पेशेवर शैक्षणिक संस्थान एक वर्ग का गठन करते हैं

स्वयं के रूप में शैक्षणिक संस्थानों से अलग गैर-व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। यह आवश्यक नहीं है कि हम

हमारे सामने पेश किए गए मुद्दे के इस पहलू में गहराई से जाएं क्योंकिपाई फाउंडेशन ने स्पष्ट किया है कि योग्यता और उत्कृष्टता मान ली जाती है

व्यावसायिक अध्ययन के संदर्भ में विशेष महत्व। हालांकि योग्यता और उत्कृष्टता गैर-पेशेवरों के लिए अभिशाप नहीं हैं।

शिक्षा, फिर भी उस स्तर पर और शिक्षा की प्रकृति के कारण

डिग्री की नहीं है जैसा कि पेशेवर के संदर्भ में कहा जाता है शिक्षा.

के. एम. डी आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

105. गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से निपटने के लिए पाई फाउंडेशन का मानना है कि अनुच्छेद 30 पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के कदम उठाने के रास्ते में नहीं आता है

और प्रवेश के मामले में योग्यता की मान्यता। शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने और उनकी उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए विनियामक उपाय अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त संरक्षण के लिए कोई अभिशाप नहीं हैं। हालांकि, एक तरफ स्कूलों और स्नातक कॉलेजों के स्तर के गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों और दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के संस्थानों, विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के बीच अंतर किया जाना चाहिए। पूर्व में, योग्यता आधारित चयन की गुंजाइश व्यावहारिक रूप से शून्य है और इसलिए विनियमन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। लेकिन बाद के मामले में, पारदर्शिता और योग्यता का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और इससे समझौता नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि

शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने और उनकी उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए विनियामक उपाय। (पाई फाउंडेशन में प्रश्न 4 का उत्तर, पैरा 161 देखें।) इस भेद का स्रोत

ऊपर उल्लिखित दो प्रकार के शैक्षणिक संस्थान इस सिद्धांत में पाए जाते हैं कि प्रशासन के अधिकार में कुशासन का अधिकार शामिल नहीं है।

106. एस. बी. सिन्हा, जे. ने इस्लामी अकादमी में अपनी अलग राय में (पैरा 199 में) स्थिति को एक पिरामिड जैसी स्थिति के रूप में वर्णित किया है और मौलिक कर्तव्य के साथ अल्पसंख्यकों के अधिकार को पढ़ने का सुझाव दिया है। शिक्षा का स्तर जितना अधिक होगा, सीटें उतनी ही कम होंगी और योग्यता का भार उतना ही अधिक होगा। यह, अनिवार्य रूप से, अधिक राज्य हस्तक्षेप की मांग करेगा और अल्पसंख्यकों के लिए कम कहेगा।

107. उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान अर्थात स्नातक स्तर और उससे ऊपर और विशेष रूप से विशेष शिक्षा जैसे तकनीकी या व्यावसायिक, एक अलग वर्ग का गठन करते हैं। संवैधानिक महत्व के मुद्दों को हल करने की शुरुआत करते हुए,

जहां संविधान का पत्र स्पष्ट नहीं है, हमें संविधान की भावना को ध्यान में रखना होगा, जैसा कि इसकी पूरी योजना में कहा गया है। व्यावसायिक या तकनीकी योग्यता प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा अन्य शैक्षिक योग्यताओं से अलग है।निर्देश देते हैं। अन्य प्रावधानों के अलावा, अनुच्छेद 19 (6) एक स्पष्ट संकेतक है और इसी तरह अनुच्छेद 51-ए के खंड (एच) और (जे) हैं। स्नातक स्तर तक शिक्षा का उद्देश्य केवल [2020] 1 एस. सी. आर. को ज्ञान प्रदान करना है।

मन को समृद्ध करें और एक छात्र के व्यक्तित्व को आकार दें। स्नातक स्तर का अध्ययन शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए एक द्वार है

पेशेवर या तकनीकी या अन्य उच्च शिक्षा प्रदान करना और इसलिए, उस स्तर पर, पेशेवर या तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रासंगिक विचारों के समान विचार कदम उठाते हैं और प्रासंगिक हो जाते हैं। यह राष्ट्रीय हित में है और शिक्षा सहित राष्ट्रीय संपत्ति को मजबूत करने के लिए है। शिक्षा तक

एक ओर स्नातक स्तर और दूसरी ओर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर और व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों में शिक्षा।दूसरी ओर विभिन्न स्तरों पर व्यवहार किया जाना चाहिए जो समान विचारों को आमंत्रित नहीं करते हैं, एक प्रस्ताव है जो पाई फाउंडेशन के बाद किसी और बहस के लिए खुला नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कई विधान हैं जिनकी संवैधानिक वैधता का परीक्षण किया गया है और जिन्हें स्वीकार किया गया है, उनका सुझाव है कि स्नातक स्तर तक की शिक्षा के लिए मान्यता या संबद्धता आवश्यक नहीं हो सकती है या, यदि आवश्यक हो, तो नियमित, मान्यता या संबद्धता के रूप में दी जा सकती है।

जब डिग्री, स्नातक या स्नातकोत्तर प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की बात आती है तो यह अनिवार्य और कठोर जांच के अधीन है।

तकनीकी या व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डिग्री। इस तरह के कुछ विधान इस्लामिक अकादमी में एस. बी. सिन्हा, जे. की राय के पैरा 81 और 82 में संदर्भित पाए जाते हैं।

34. कन्या जूनियर हाई स्कूल, बाल विद्या मंदिर, एटा, यू. पी. बनाम। यू. पी. बेसिक शिक्षा परिषद, अल्लाहाबाद, यू. पी. और अन्य 29

उत्पन्न होने वाले मुद्दों में से एक यह था कि क्या जैन धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित और प्रशासित स्कूल को उत्तर प्रदेश राज्य में एक धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान कहा जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि चूंकि स्कूल को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी।

इलाहाबाद में न्यायपालिका, इस स्थिति से इनकार नहीं कर सकती थी और इस तरह एक शिक्षक की सेवाओं को समाप्त करने से पहले, जिला बुनियादी शिक्षा अधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं थी।

35. सचिव में, मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज बनाम। टी. जोस और अन्य प्रमुख प्रश्न जो विचार के लिए उठा वह यह था कि क्या प्राचार्य चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकार का हिस्सा है। इस न्यायालय ने इस बिंदु पर प्रासंगिक निर्णयों पर विचार किया और फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल मामले 1 7 में इस न्यायालय के निर्णय के पैरा No.16 को भी उद्धृत किया। द. 29 (2006) 11 एस. सी. सी. 92 के. एम. डी.

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

की स्थापना और प्रशासन के लिए प्रासंगिक सभी सिद्धांत अल्पसंख्यकों द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों का सारांश इस प्रकार दिया गया है:

संक्षेप में इस प्रकार है:(i) शिक्षा की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार

अपनी पसंद की संस्थाओं में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:

संस्थान के मामले; (ख) शिक्षण कर्मचारियों (शिक्षकों/व्याख्याताओं) की नियुक्ति करना और

प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यों) के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी, और यदि इनमें से किसी की ओर से कर्तव्य की अवहेलना होती है तो कार्रवाई करना।कर्मचारी;

(ग) अपनी पसंद के योग्य छात्रों को प्रवेश देने और एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने के लिए;

(घ) अपनी संपत्तियों और परिसंपत्तियों का उपयोग लोगों के लाभ के लिए करना।

संस्था।

((ii) अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकार केवल बहुमत के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए है और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को समान अधिकार प्रदान करना नहीं है।

बहुसंख्यक की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों के पक्ष में कोई विपरीत भेदभाव नहीं है। द.

राष्ट्रीय हित से संबंधित देश के सामान्य कानून,सभी पर लागू सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान आदि अल्पसंख्यकों पर समान रूप से लागू होंगे।

संस्थान भी।

((iii) शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। न ही इसमें कुशासन का अधिकार शामिल है।

शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपाय किए जा सकते हैं।

चरित्र और मानक और अकादमिक उत्कृष्टता बनाए रखना। प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रशासन कुशल और मजबूत है, ताकि संस्थान की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। आम तौर पर छात्रों और शिक्षकों के कल्याण से संबंधित राज्य द्वारा बनाए गए विनियम,

[2020] 1 एस. सी. आर. के लिए पात्रता मानदंड और योग्यता निर्धारित करने वाले विनियम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियुक्ति, साथ ही कर्मचारियों की सेवा की शर्तें (दोनों)

शिक्षण और गैर-शिक्षण), कर्मचारियों के शोषण या उत्पीड़न को रोकने के लिए नियम और अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाले नियम इस श्रेणी में आते हैं। इस तरह के हैं नियम

अनुच्छेद 30 (1) के तहत किसी भी तरह से अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है।

(iv) राज्य द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों/योग्यताओं को पूरा करने के अधीन, गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को चयन की किसी भी तर्कसंगत प्रक्रिया को अपनाकर शिक्षकों/व्याख्याताओं की नियुक्ति करने की स्वतंत्रता होगी।

(v) राज्य द्वारा सहायता का विस्तार प्रकृति को नहीं बदलता है और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का चरित्र। शर्तें हो सकती हैं

सहायता का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा अधिरोपित किया जाए,हालांकि अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार को कमजोर या संक्षिप्त किए बिना।

21. हम अल्पसंख्यक शिक्षा के कर्मचारियों के संबंध में राज्य द्वारा अनुमत विनियमन की सीमा को भी दोहरा सकते हैं।

राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान, जैसा कि टी. एम. ए. पाई में स्पष्ट और स्पष्ट किया गया है, राज्य निर्धारित कर सकता है:

((i) नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित न्यूनतम योग्यता, अनुभव और अन्य मानदंड,

((ii) प्रबंधन द्वारा समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप किए बिना कर्मचारियों की सेवा शर्तें।

कर्मचारी,

((iv) शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सहायता के उचित उपयोग के लिए शर्तें, इसके अधिकार को कम या कमजोर किए बिना।शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन।

दूसरे शब्दों में, राज्य द्वारा बनाए गए सभी कानून शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन और सहायता अनुदान लागू होगा।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को भी। लेकिन अगर ऐसे कोई नियम प्रबंधन द्वारा समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप करते हैं

किसी अन्य तरीके से, के. एम. डी. का अधिकार, कर्मचारी पर, या कम करने वाले/कमजोर करने वाले पर।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन, ऐसे नियम, उस हद तक, अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे।

35.1 जहां तक प्रधानाचार्य चुनने की स्वतंत्रता का संबंध है, यह देखा गया:

22. किसी शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक संस्थान की कार्यात्मक दक्षता के साथ-साथ संस्थान में शिक्षा और अनुशासन की गुणवत्ता के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। वह दर्शन और वस्तुओं को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है

संस्था।

35.2 इसने इस अदालत के फैसले के अंश पर भी भरोसा किया अम्माद 23, जैसा कि नीचे दिया गया है:

25. एन. अम्माद में अपीलार्थी ने तर्क दिया कि वह एक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के सबसे वरिष्ठ स्नातक शिक्षक होने के नाते, उन्हें हेडमास्टर के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए और किसी और को नहीं। उन्होंने नियम पर भरोसा किया

44 - केरल शिक्षा नियमों में से ए जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि

इसके तहत तैयार और बनाए रखी गई वरिष्ठता सूची से वरिष्ठतानियम 34 के खंड (ए) और (बी)। इस न्यायालय ने कहाः (एस. सी. सी पी. 680 ,

पैरा 18-19)

" 18. किसी विद्यालय (या महाविद्यालय के प्राचार्य) में प्रधानाध्यापक का चयन और नियुक्ति उस शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन में प्रमुख महत्व की होती है। प्रधानाध्यापक प्रमुख पद है।

विद्यालय का संचालन। वह वह केंद्र है जिस पर स्कूल के सभी प्रवक्ताओं को स्थापित किया जाता है जिनके चारों ओर वे परिणाम उत्पन्न करने के लिए घूमते हैं। एक स्कूल को उसके हेडमास्टर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है और वह केंद्र बिंदु है जिस पर बाहरी लोग स्कूल को देखते हैं। एक खराब हेडमास्टर पूरे संस्थान को खराब कर सकता है, एक कुशल और ईमानदार हेडमास्टर इसमें तेजी से सुधार कर सकता है। एक विद्यालय की कार्यात्मक प्रभावशीलता बहुत हद तक उसके प्रधानाध्यापक की दक्षता और समर्पण पर निर्भर करती है। वर्षों से शिक्षा के संरचनात्मक स्वरूपों में हो रहे कई बदलावों के बावजूद यह प्राचीन सिद्धांत अपरिवर्तित बना हुआ है।

19. केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा है कि एक स्कूल के प्रधानाध्यापक का पद कितना महत्वपूर्ण है।

एल्डो मारिया पैट्रोनी बनाम। ई. सी. केशवन 3 0. मुख्य न्यायाधीश एम. एस

मेनन ने एक अनोखी शैली में इस प्रकार कहा हैः

1965 केर 75: 1964 के. एल. टी. 791 (एफ. बी)

[2020] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

' प्रधानाध्यापक का पद विद्यालय के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। उनके इर्द-गिर्द संस्था का लहज़ा और स्वभाव चलता है; उन पर उसकी परंपराओं की निरंतरता, अनुशासन का रखरखाव और उसके शिक्षण की दक्षता निर्भर करती है। प्रधानाध्यापक चुनने का अधिकार शायद एक विद्यालय का प्रशासन करने के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और हमें यह मानना चाहिए कि आवश्यक योग्यताओं और अनुभव को निर्धारित करने की सीमा को छोड़कर उस पर किसी भी तरह की लापरवाही को लागू करना संविधान के

अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। अन्यथा धारण करना अधिकार को एक चिढ़ाने वाला भ्रम, एक वादा बनाना होगा।अवास्तविकता "।

इसके बाद, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अल्पसंख्यक समुदाय का प्रबंधन

संस्थान रिक्ति को भरने के लिए एक ही संस्थान के कर्मचारियों से या बाहर से एक योग्य व्यक्ति का पता लगाने के लिए स्वतंत्र है; और यह कि स्कूल के हेडमास्टर के रूप में एक योग्य व्यक्ति को चुनने का प्रबंधन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के सुरक्षात्मक आवरण द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित है और इसे पद के लिए योग्यता और सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के अलावा किसी भी विधायी अधिनियम या कार्यकारी नियम के माध्यम से नहीं चुना जा सकता है; और यह कि ऐसा कोई भी वैधानिक या कार्यकारी आदेश का उल्लंघन होगा।

अनुच्छेद 30 (1) में निहित मौलिक अधिकार और इसलिए अमान्य होगा। इस न्यायालय ने आगे कहा कि यदि प्रबंधनस्कूल को प्रधान विषय के प्रमुख पद पर रहने के लिए व्यक्ति चुनने की व्यापक स्वतंत्रता नहीं दी गई है, निश्चित रूप से, राज्य द्वारा निर्धारित योग्यताओं के संबंध में प्रतिबंध, स्कूल को प्रशासित करने का अधिकार बहुत कम हो जाएगा।

" 27. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यक्ति को चुनने की स्वतंत्रता प्राचार्य के रूप में नियुक्त किए जाने को हमेशा एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता दी गई है

शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन का अधिकार। इसे किसी भी तरह से टी. एम. ए. पाई द्वारा पतला या परिवर्तित नहीं किया गया है। प्रबंधन में प्राचार्य द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका को ध्यान में रखते हुए और शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्राचार्य चुनने का अधिकार इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है

प्रशासन का अधिकार और भले ही संस्थान को सहायता प्राप्त हो, उक्त अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तथ्य यह है कि पोस्ट एसके।

एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

प्रिंसिपल/हेडमास्टर को भी राज्य सहायता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

36. सिंधी एजुकेशन सोसाइटी में और एक अन्य वी। मुख्य सचिव,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य की इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर विचार किया कि क्या दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के नियम 64 (1) (बी) के तहत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में शिक्षकों के पदों को भरने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

उम्मीदवारों द्वारा आरक्षण की नीति के अनुसार

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियाँ। इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपातः केरल शिक्षा विधेयक, 1957 9 और अहमदाबाद सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में निम्नानुसार विचार किया गया थाः

" 46. उक्त मामले में, न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों का अधिकार कुछ हद तक इस अर्थ में प्रतिबंधित था कि सामान्य नियंत्रण का उपयोग अभी भी संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन कानून के अनुसार। इस प्रकार विधेयक का खंड 11, जिस पर हमारे समक्ष उत्तरदाताओं द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया है, अपनी पसंद के शिक्षकों की नियुक्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है और शिक्षकों की नियुक्ति केवल लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए पैनल से ही की जा सकती है। इस खंड को संविधान का उल्लंघन नहीं माना गया था, बल्कि खंड 14 और 15 का उल्लंघन माना गया था, जो किसी सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने से संबंधित था।उसमें निर्धारित शर्तों को असंवैधानिक और खराब माना गया था। यह विधेयक के तहत बताए गए कानून और इसकी योजना को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जिसमें अदालत ने निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए विचार किया था

सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का दायरा और ऐसे संस्थानों में संबद्धता की अवधारणा की प्रयोज्यता। बेशक, अदालत ने माना कि विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने का अल्पसंख्यक संस्थान का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जब कोई अल्पसंख्यक संस्थान किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के लिए आवेदन करता है, तो यह व्यक्त करता है कि सामान्य शिक्षा प्रणाली और उस विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निर्देशों के पाठ्यक्रमों में भाग लेने का विकल्प, और यह अध्ययन के समान पाठ्यक्रमों का पालन करने के लिए सहमत है। इसलिए, ऐसे उपाय जो अध्ययन के पाठ्यक्रमों, शिक्षकों की योग्यता और नियुक्ति, शिक्षकों के रोजगार की शर्तों, स्वास्थ्य, [2020] को विनियमित करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

छात्रों की स्वच्छता और अन्य सुविधाएं अल्पसंख्यक संस्थानों की संबद्धता के अनुरूप हैं।36.1 टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में निर्णय के संदर्भ में, यह

देखा गयाः

" 55. प्रतिवादियों ने पीठ द्वारा बताए गए कानून पर भरोसा जताया है कि राष्ट्रीय हित में बनाए गए किसी भी विनियमन को अनिवार्य रूप से सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होना चाहिए, चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित हों। इस तरह की सीमा को अनुच्छेद 30 में पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 30 (1) के तहत नियम ऐसा नहीं हो सकता है जो राष्ट्रीय हित पर हावी हो या सरकार को उस संबंध में

नियम बनाने से रोक सके। यह निश्चित रूप से सच है कि सरकारी नियम अल्पसंख्यकों के चरित्र को नष्ट नहीं कर सकते हैं।संस्था या केवल एक भ्रम स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार; लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार इतना निरपेक्ष नहीं है कि कानून से ऊपर हो।

56. अपीलार्थी इस दृष्टिकोण से भी लाभ प्राप्त करना चाहता है कि अदालतों ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि प्रशासन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है।

जब दूसरों द्वारा संचालित संस्थानों की तुलना की जाएगी, तो उन्हें ध्वस्त करना होगा। उसी समय, कोई उल्टा नहीं हो सकता हैभेदभाव।

91. टी. एम. ए. पाई मामलों में एक संस्था स्थापित करने का अधिकार है

प्रदान किया गया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक संस्था की स्थापना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) में प्रदान किया गया है। हालाँकि, ऐसा अधिकार उचित प्रतिबंध के अधीन है, जिसे इसके खंड (6) के संदर्भ में लाया जा सकता है। इसके अलावा, उस अल्पसंख्यक, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, के. एम. डी. का मौलिक अधिकार है।

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI HAMANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]

अनुच्छेद 30 (1) के तहत अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करना।

92. अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं है, लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य के सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बनाए जा सकते हैं।

देश। कुप्रशासन को रोकने के साथ-साथ शिक्षा, शिक्षण, अनुशासन के रखरखाव, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता आदि के मानकों को निर्धारित करने के लिए भी विनियमन तैयार किया जा सकता है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक अल्पसंख्यक संस्थान ऐसा होना बंद नहीं करता है, जिस क्षण संस्थान द्वारा अनुदान-सहायता प्राप्त की जाती है। अतः सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक समूह के छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा।

और, साथ ही, गैर-अल्पसंख्यक छात्रों की एक उचित सीमा को इस हद तक स्वीकार करने की आवश्यकता होगी कि अनुच्छेद 30 (1) में अधिकार काफी हद तक बाधित नहीं है और इसके अलावा, नागरिक का अधिकार

अनुच्छेद 29 (2) के तहत अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

36.2 विचाराधीन नियम के आयाम पर विचार करते हुए, इसने कहा:

" 101. एक शिक्षक की नियुक्ति विद्यालय के नियमित प्रशासन और प्रबंधन का हिस्सा है। बेशक, एक शिक्षक की नियुक्ति के लिए योग्यता या पात्रता मानदंड क्या होना चाहिए, इसे परिभाषित किया जा सकता है और वास्तव में, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है और उन निर्दिष्ट मापदंडों के भीतर,

एक शिक्षक नियुक्त करने के लिए एक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है

हस्तक्षेप किया। उपरोक्त कानूनों की सर्वोपरि विशेषता स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में दक्षता और उत्कृष्टता लाना था।और इसलिए, अल्पसंख्यक संस्थानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संकाय के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का चयन करें। किसी को प्रदान करने और लागू करने के लिए

विनियमन, जो व्यावहारिक रूप से इस उद्देश्य को विफल कर देगा, से बचना होगा। एक भाषाई अल्पसंख्यक को संवैधानिक जनादेश द्वारा अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। इस प्रकार, इसे ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो निर्धारित मानदंड, योग्यता और पात्रता को पूरा करते हैं और साथ ही बेहतर सांस्कृतिक और भाषाई सुनिश्चित करते हैं

अल्पसंख्यक संस्थान के लिए अनुकूलता।

112. प्रत्येक भाषाई अल्पसंख्यक की अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सीमाएँ हो सकती हैं। इसे संरक्षित करने का संवैधानिक अधिकार है।

ऐसी संस्कृति और भाषा। इस प्रकार, इसे [2020] 1 एस. सी. आर. चुनने का अधिकार होगा।

शिक्षक, जिनके पास योग्यता और योग्यताएँ हैं, जैसा कि प्रदान किया गया है, वास्तव में अपने धर्म के तथ्य से प्रभावित हुए बिना और

समुदाय। इसकी अपनी सीमाएँ सांस्कृतिक रूप से इसकी अनुमति नहीं दे सकती हैं।

से शिक्षकों को शामिल करने के लिए आर्थिक या अन्य अच्छे कारण

विशेष वर्ग या समुदाय। यह निर्देश, जैसा कि नियम 64 (1) (बी) के तहत विचार किया गया है, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की सामान्य या बहुसंख्यक श्रेणी के खिलाफ लागू किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता हैभाषाई अल्पसंख्यक विद्यालयों के खिलाफ ऐसी शर्त को लागू करना उचित है। यह उनकी पसंद के अधिकार में हस्तक्षेप हो सकता है और साथ ही, भाषाई अल्पसंख्यक के उनके चरित्र को कमजोर कर सकता है। कानून में ऐसी कार्रवाइयों को समानता की आड़ में लाना अनुज्ञेय नहीं होगा जो वास्तव में समानता के अधिकार को कम कर देगा।

उनके चरित्र या स्थिति का सार। भाषाई और सांस्कृतिक

अनुकूलता को वैध रूप से वांछनीय में से एक के रूप में दावा किया जा सकता है

योग्य और योग्य शिक्षकों के चयन के संबंध में भाषाई अल्पसंख्यक की विशेषताएं।

36.3 यह भी देखा गया कि नियम 64 (1) (बी) के बावजूद, अल्पसंख्यक संस्थानों को उक्त नियम की आवश्यकताओं का पालन करने से छूट देने के लिए 21.03.1986 पर एक परिपत्र दायर किया गया था और इसके बाद सितंबर 1989 के आग्रहपूर्ण जी. एच. परिपत्र में इसके लिए किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया था।

प्रकृति और इसलिए, यह देखा गया:

" 117. इस प्रकार, आरक्षण नीति की रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए, जो हमारे लोकतंत्र की संवैधानिक योजना के भीतर फिट हो। जैसे-जैसे सरकार अपने नीतिगत निर्णय को बदलती है, उससे उम्मीद की जाती है कि वह वैध कारण बताएगी और पूरे देश के व्यापक हित में कार्य करेगी।

इसके एक वर्ग के बजाय समुदाय। अपने विवेक में और

जाहिरा तौर पर कानून के अनुसार सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया था और अल्पसंख्यक संस्थानों को डी. एस. ई. नियमों के नियम 64 (1) (बी) की आवश्यकताओं का पालन करने से छूट देते हुए एक परिपत्र जारी किया था। इसके बावजूद और उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद राज्य द्वारा मन में बदलाव आया किइसके परिणामस्वरूप सितंबर 1989 का अगला परिपत्र जारी किया गया। हमारे सामने के रिकॉर्ड से, कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है

दिनांकित 21-3-1986 परिपत्र का स्थान लेने वाले निर्णय का समर्थन।

36.4 उपरोक्त परिस्थितियों में, अपील की अनुमति दी गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियम 64 (1) (बी) और 1989 का परिपत्र

दिल्ली के एन. सी. टी. में भाषाई अल्पसंख्यक स्कूलों के खिलाफ सी. ई. बी.

एस. के. एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

37. चंदन दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 3 1 में जो प्रश्न उठा वह पैरा 6 में नीचे दिया गया है:

6. .... क्या शिक्षकों के चयन और नियुक्ति का संस्थान का अधिकार किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल के प्रावधानों के तहत बनाए गए मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों (सहायता प्राप्त

और सहायता प्राप्त), 1969 के प्रबंधन नियमों के प्रावधानों से प्रभावित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1963? ”

नियम 28 के अनुसार स्थायी या अस्थायी आधार पर स्थायी या अस्थायी रिक्तियों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जब

पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय विद्यालय सेवा आयोग की सिफारिश 3 2. हालांकि, नियम 33 के अनुसार, किसी भी संस्थान द्वारा आवेदन पर, जिस पर संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के प्रावधान लागू होते हैं, नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जा सकते हैं। राज्य के अनुसार, संबंधित संस्थान ने कभी भी अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं किया था और इसे कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। रिलायंस को मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त), 1969 के प्रबंधन नियमों के नियम 8 (3) पर भी रखा गया था, जिसके तहत संस्थान को विशेष संविधान की अनुमति दी गई थी और इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि विशेष संविधान को स्वीकार करने के बाद, यह पलट नहीं सकता था और यह तर्क नहीं दे सकता था कि यह नियम 33 के संदर्भ में बनाए गए विशेष नियमों के अनुसार एक अल्पसंख्यक संस्थान था।37.1 पीठ का गठन करने वाले न्यायाधीशों के बीच असहमति थी। ठाकुर, जे के अनुसार, उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में, चूंकि संस्थान की स्थापना राज्य में एक भाषाई अल्पसंख्यक पंजाबी भाषी सिख समुदाय द्वारा की गई थी, नियम 28 के तहत नियुक्तियां करने के लिए प्रदान की गई व्यवस्था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं थी, जिनके लिए नियम 33 के तहत विशेष व्यवस्था हो सकती थी। अपने निर्णय के दौरान, जे. ठाकुर ने कहा:

" 21. इस विषय पर निर्णयों को गुणा करना अनावश्यक है क्योंकि कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है। भाषाई संस्थान और धार्मिक अपने संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के हकदार हैं। प्रशासन के ऐसे अधिकार में अपनी पसंद के शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार शामिल है, लेकिन यह राज्य को ऐसे नियम बनाने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं करता है जो ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं। नियम भी उपायों को निर्धारित कर सकते हैं

31 (2015) 12 एस. सी. सी. 140 32 का गठन 1997 के अधिनियम के रूप में किया गया-जैसा कि ऊपर पैरा 6 में बताया गया है।

[2020] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह सुनिश्चित करें कि संस्थान को प्रशासन के अधिकार के लिए कुशलता से चलाया जाए

इसमें कुप्रशासन का अधिकार शामिल नहीं है। सहायता प्रदान करते समय संविधान में निहित गारंटी में शामिल नहीं है

भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थापना और संचालन के लिए

या धार्मिक अल्पसंख्यक। हालाँकि, सहायता का अनुदान नहीं दिया जा सकता है। उन शर्तों के अधीन जो संस्था को उनके अधिकार से वंचित करती हैं

ऐसे संस्थानों को प्रशासित करने का मूल अधिकार। इसके लिए पर्याप्त है।कहते हैं कि एक बार उत्तरदाता 4 संस्थान को अल्पसंख्यक माना जाता है

संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के संरक्षण की हकदार संस्था भारत का संविधान अपनी पसंद के शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार

जो इस तरह के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं

संबंधित नियमों के तहत नियुक्तियां उनके अधिकारों में निहित हैं

ऐसे संस्थानों का प्रशासन करना। ऐसे अधिकारों को तब कमजोर नहीं किया जा सकता है

राज्य या उसके पदाधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नियुक्ति होनी चाहिए

केवल निदेशक की मंजूरी से या निम्नलिखित द्वारा किया जाए:

उन संस्थानों के लिए आमतौर पर निर्धारित तंत्र जो नहीं करते हैं

अल्पसंख्यक दर्जे का आनंद लें "।

(जोर दिया गया)

37.2 तथापि, जे. भानुमति ने पाया कि संबंधित संस्थान

उन्होंने कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं किया था और वास्तव में नियम 8 (3) के संदर्भ में विशेष संविधान को स्वीकार किया था। इसलिए यह देखा गया:

" 52. चौथे उत्तरदाता विद्यालय ने विशेष स्वीकार किया है

संविधान और इसने इसे चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना है। जैसा कि सही है।

उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित, जब चौथे प्रतिवादी स्कूल ने

विशेष संविधान को स्वीकार किया और एक होने का दावा नहीं किया है

अल्पसंख्यक संस्थान, अपीलार्थी जो केवल कर्मचारी हैं

ऐसी संस्था, यह तर्क नहीं दे सकती कि संस्था एक थी

अल्पसंख्यक संस्थान अपने स्वयं के शिक्षकों को नियुक्त करने के हकदार हैं।

37.3 असहमति के कारण, मामले को निर्देशित किया गया था

इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया, जिसने तब से 25.09.201933 पर अपना निर्णय दिया है। यह उल्लेख किया गया कि नियम 32 में विशेष रूप से घोषणा की गई है कि संबंधित नियमों में कुछ भी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा

33 2019 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1253 [चंदना दास (मालाकार) बनाम राज्य

पश्चिम बंगाल और अन्य] एस. के.

एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यकों की धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट

आयोग अधिनियम, 1996, जिसने बदले में, "अल्पसंख्यक" अभिव्यक्ति को मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध या ज़ोरास्ट्रियान (पारसी) जैसे धर्म पर आधारित समुदाय के रूप में परिभाषित किया था। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, इसलिए पैराग्राफ 17 से 20 में यह देखा गया कि संस्थान एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान था। इस पर भी विचार किया गया कि

संस्था के दर्जे का दावा करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान की स्थिति के बारे में घोषणा आवश्यक थी

एक अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते। जिन दोनों मुद्दों के कारण दो न्यायाधीशों के बीच असहमति हुई थी, उनका इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दिया गया और न्यायमूर्ति ठाकुर के निर्णय को दोनों मामलों में सही दृष्टिकोण माना गया।37.4 अपनी चर्चा के दौरान, इस न्यायालय ने अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मामले में भी निर्णय पर विचार किया और कहा:

" 30. उपरोक्त निर्णय को पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं होगा कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 4 एक अल्पसंख्यक संस्थान है, तो मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त) 1969 के प्रबंधन के नियमों का नियम 28 संभवतः लागू नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 4 के अपनी पसंद के शिक्षकों के साथ संस्थान का प्रशासन करने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा।

चर्चा और निष्कर्ष

38. ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के निर्णयों की पृष्ठभूमि में, हमें अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आयोग अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या उक्त प्रावधानों को अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकार के सार को नुकसान पहुंचाए

बिना संस्थान की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के रूप में मान्य कहा जा सकता है। सही से रे: केरल शिक्षा विधेयक का मुद्दा

इस न्यायालय का ध्यान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के अधिकारों की सामग्री और विनियमों की प्रयोज्यता की सीमा और चौड़ाई के बारे में है और जिसे अनुमेय विनियम कहा जा सकता है। यदि पहले खंड के मामलों यानी टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में निर्णय तक पर विचार किया जाता है, तो निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

ए) रे में: केरल शिक्षा विधेयक मामला, खंड 11 (2) जिसके संदर्भ में राज्य लोक सेवा आयोग को अधिकार दिया गया था

सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करना एक अनुमेय विनियमन पाया गया। यह देखा गया

34 गांधी फैज़-ए-एम कॉलेज केस 1 3 [2020] 1 एस. सी. आर. में जे. कृष्ण अय्यर द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और इसी तरह की चीज़ों को निस्संदेह थोपा जा सकता है। इसने निर्णय को री में पढ़ा: केरल शिक्षा बिल्लो मामला "अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि सभी नियामक उपाय जो हैं अल्पसङ्ख्यक द्वारा स्थापित संस्था के चरित्र का विनाशकारी या विनाशकारी नहीं, बशर्ते कि नियम में हों

राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित मान्य हैं। " हालाँकि इसने एक परीक्षा निर्धारित की "इस तरह के विनियमन को एक दोहरी परीक्षा को संतुष्ट करना चाहिए-तर्कसंगतता की परीक्षा, और यह परीक्षा कि यह संस्थान के शैक्षिक चरित्र का नियामक है और संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय या अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का एक प्रभावी वाहन बनाने के लिए अनुकूल है।जो इसका सहारा लेते हैं। "

ग) (i) अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज के मामले में, एक शैक्षणिक संस्थान में शिक्षकों के महत्व पर विचार करते हुए, रे सी. जे. ने अपने प्रमुख निर्णय में कहा, "अल्पसंख्यक संस्थानों को संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार है। इस अधिकार का तात्पर्य छात्रों को सर्वोत्तम प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों के दायित्व और कर्तव्य से है। प्रशासन के अधिकार में, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपायों के रूप में नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता होती है। यह आगे कहा गया कि "नियम जो शिक्षकों के हितों की पूर्ति करेंगे, अच्छे प्रशासन में सर्वोपरि हैं।" ((ii) खन्ना, जे. के अनुसार, "विनियमन अनिवार्य रूप से एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में संस्थान के हित में बनाए जाने चाहिए।

संस्था। उन्हें इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसे शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। ; और "शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और इसी तरह की दक्षता के सच्चे हित में बनाए गए विनियम निस्संदेह लागू किए जा सकते हैं।"

ए एस. के. एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

यह देखते हुए सावधानी भी व्यक्त की गई, "अल्पसंख्यक संस्थानों को मानकों से नीचे नहीं जाने दिया जा सकता है।

शैक्षणिक संस्थानों से अपेक्षित उत्कृष्टता, या प्रबंधन के अनन्य अधिकार की आड़ में, सामान्य पैटर्न का पालन करने से इनकार करना। जबकि प्रबंधन उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए, वे दूसरों के साथ कदम रखने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

खन्ना, जे. ने तब निर्धारित किया, "इसलिए, दो उद्देश्यों के बीच संतुलन रखा जाना चाहिए, जो कि मानक सुनिश्चित करना है।संस्थान की उत्कृष्टता और अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को संरक्षित करना। जिन विनियमों में दोनों उद्देश्यों को शामिल किया गया है और उनका मिलान किया गया है, उन्हें उचित माना जा सकता है। ;

(iii) मैथ्यू, जे. ने हालांकि कहा, "यह सवाल कि क्या कोई विनियमन जनता के सामान्य हित में है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

यदि यह सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए एक वाहन के रूप में संस्थान की उत्कृष्टता को आगे नहीं बढ़ाता है, तो केवल अनुमेय नियम वे हैं जो सुविधा के उद्देश्य की प्रभावशीलता को सुरक्षित करते हैं, अर्थात्, उनके शैक्षिक मानकों के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्टता। यही कारण है कि इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि इस सवाल का कोई परिणाम नहीं है कि क्या किसी विशेष विनियमन की गणना आम जनहित को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है, यदि यह लोगों के हितों के लिए अनुकूल नहीं है।

डी) गांधी फैज़-ए-एम कॉलेज में, जे. कृष्णा अय्यर ने पाया कि "हमारे मामले में स्वायत्तता को वस्तुतः अक्षुण्ण और नवीनीकृत छोड़ दिया गया है, नहीं। पुनर्गठन, निर्धारित है। अधिकार का मूल बिल्कुल भी नहीं निकाला गया है और विनियमन तुरंत उचित है और इसकी गणना की गई है

संस्थान की उत्कृष्टता को बढ़ावा देना-एक पाठ्य पुस्तक उदाहरण

संवैधानिक शर्तें "। तथापि, मैथ्यू, जे. द्वारा विनियमन को अनुज्ञेय नहीं पाया गया।

ई) फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल के मामले में, इस बात पर जोर दिया गया था, "एक संस्थान द्वारा प्रदान किए गए निर्देश की उत्कृष्टता होगी

सीधे शिक्षण कर्मचारियों की उत्कृष्टता पर निर्भर करता है, और बदले में, यह उनकी गुणवत्ता और संतुष्टि पर निर्भर करेगा। शिक्षक "।

39. अब हम टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन 3 मामले की ओर रुख करते हैं और उन सिद्धांतों पर विचार करते हैं जो इसने निर्धारित किए थे और क्या [2020] 1 एस. सी. आर. की पुनरावृत्ति हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूर्ववर्ती खंड में इस न्यायालय के निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत या क्या जोर देने में कोई परिवर्तन या बदलाव हुआ था। ए) पैरा 50 में, पाँच घटनाओं को "स्थापना और प्रशासन का अधिकार" शामिल करने के लिए कहा गया था और उनमें से तीन को कहा गया था:

(ग) कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार। प्रमुख निर्णय में चर्चा विभिन्न शीर्षकों के तहत हुई थी।

और सबसे महत्वपूर्ण है "। सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन के अधिकारों को किस हद तक विनियमित किया जा सकता है?

ख) न्यायालय के पहले के फैसलों पर विचार किया गया था और सिद्धजभाई भाई मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए यह कहा गया था -

यह देखा गया:

" यदि ऐसा है, तो यह समझना मुश्किल है कि सरकार को राष्ट्रीय हित में नियम बनाने से कैसे रोका जा सकता है, जैसा कि परिच्छेद में संकेत दिया गया है।

ऊपर उद्धृत किया गया है। राष्ट्रीय हित में बनाए गए किसी भी विनियमन को अनिवार्य रूप से सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होना चाहिए, चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित हों। इस तरह की सीमा को अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 30 में पढ़ा जाना चाहिए। नीचे का अधिकारअनुच्छेद 30 (1) ऐसा नहीं हो सकता है जो राष्ट्रीय हित पर हावी हो या सरकार को उस संबंध में विनियम बनाने से रोक सके। यह निश्चित रूप से सच है कि सरकारी नियम संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट नहीं कर सकते हैं या

केवल एक भ्रम स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार दें; लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार इतना निरपेक्ष नहीं है जितना कि ऊपर दिया गया है।

कानून "।

संस्था, लेकिन जनता या पूरे राष्ट्र को टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में स्वीकार नहीं किया गया था। जोर स्पष्ट था कि कोई भी विनियमनराष्ट्रीय हित में बनाए गए सभी शैक्षणिक संस्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित हों और मामले को किसी भी संदेह से परे रखें। हालांकि एक चेतावनी दर्ज की गई थी और यह कहा गया था कि एम. डी.

आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, CONTAI MANIA HIGH MADRASAH [उदय उमेश ललित, जे।]संस्कार के नियम अल्पमत के चरित्र को नष्ट नहीं कर सकते हैं।

प्रमुख निर्णय ने तब कहा कि सही दृष्टिकोण-जो खन्ना, जे. द्वारा अहमदाबाद सेंट जेवियर्स में निर्धारित किया गया था।

मामला:" दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।

उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करने के लिए

संस्था, और अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को संरक्षित करने के लिए। नियम जिन्होंने दोनों को अपनाया और सामंजस्य स्थापित किया

उद्देश्यों को उचित माना जा सकता है। इसमे

हमारा दृष्टिकोण, समस्या के लिए सही दृष्टिकोण है।

बहुमत के फैसले ने तब मामले का सारांश दिया और कहा:

" यह समझना मुश्किल है कि के फ्रेमर्स

संविधान ने धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को ऐसा पूर्ण अधिकार दिया होगा, जो उन्हें इस तरह से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने में सक्षम बनाएगा ताकि वे संविधान के अन्य भागों के साथ संघर्ष कर सकें। 137. ..... इसलिए, अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार को पूर्ण या कानून के अन्य प्रावधानों से ऊपर नहीं माना गया है, और हम इसे दोहराते हैं। उसी सादृश्य से, कोई कारण नहीं है कि नियम या शर्तें संबंधित हैं,

आम तौर पर, छात्रों और शिक्षकों के कल्याण को उचित शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रावधान किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करते हैं।प्रशासन या प्रबंधन के अधिकार के तहत

अनुच्छेद 30 (1) "।

आगे बताया गया:

संस्थान. देश के कानून, नियम और विनियमों सहित, बहुसंख्यक संस्थानों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों को भी। "[2020] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में इस न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय ने इस मामले को किसी भी संदेह से परे रखा और स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार पूर्ण या कानून से ऊपर नहीं है और छात्रों और शिक्षकों के कल्याण से संबंधित शर्तें उचित शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए लागू होनी चाहिए, जब तक कि शर्तें प्रशासन या प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। जिसे सही दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया गया वह था खन्ना, जे. द्वारा अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज 3 मामले में निर्धारित परीक्षण कि दो उद्देश्यों के बीच संतुलन रखा जाए-एक संस्थान के उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करना और दूसरा अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को संरक्षित करना। अनुच्छेद 30 (1) का सार भी कहा गया था-"बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए" और वह नियम

और विनियम बहुसंख्यक संस्थानों के साथ-साथ अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

41. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन 3 मामले के बाद दिए गए इस न्यायालय के फैसलों पर अब विचार किया जा सकता है।

क) ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी 24 में, यह तर्क कि कॉलेज सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति से पूरे राज्य में सभी के लिए शिक्षा का समान स्तर बना रहेगा, स्वीकार नहीं किया गया था और यह देखा गया था कि सभी के लिए शिक्षा का समान मानक होगा।

योग्यता परीक्षण या परीक्षाओं पर जोर देकर बनाए रखा जाता है। हालाँकि, इस न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या विचाराधीन नियम वैध थे या नहीं और टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप नियम और विनियम लाने के लिए इसे अधिकारियों पर छोड़ दिया। यह.

यहाँ यह कहा जा सकता है कि तब से एक समीक्षा याचिका की अनुमति दी गई है और मामला अब एक संविधान पीठ को भेजा गया है। 35

ख) पी. ए. इनामदार 2 5 में इस न्यायालय का निर्णय सीधे तौर पर सहायता प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों से संबंधित नहीं था। हालाँकि, इसने गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के मामले पर विचार किया और कहा कि

संस्थानों को योग्यता के आधार पर भी संचालित किया जाना चाहिए। इस प्रकार इसने छात्रों को अल्पसंख्यक व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान में विरासत में प्राप्त एक अयोग्य अधिकार के रूप में प्रवेश

देने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। उस मामले में चर्चा से पता चलता है कि व्यावसायिक शिक्षा में योग्यता के आधार पर प्रवेश 35 जैसा कि चंदना दास-(2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1253 एस. के. के पैरा 41 में देखा गया है।

एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

संस्थानों को राष्ट्रीय हित में और राष्ट्रीय कल्याण को मजबूत करने के लिए पाया गया। (ग) मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में प्राचार्य के चयन और नियुक्ति से संबंधित था। पैरा 19 में कहा गया था कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकार केवल बहुमत के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए था और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को बहुमत की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में रखना नहीं था और अल्पसंख्यकों के पक्ष में कोई विपरीत भेदभाव नहीं था और राष्ट्रीय हित से संबंधित देश के सामान्य कानून, अल्पसंख्यक संस्थानों पर समान रूप से लागू होंगे। यह भी देखा गया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक होंगे -

प्रधानाध्यापक के चयन को हमेशा शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता दी गई थी।(घ) 'सिंधी एजुकेशन सोसाइटी' इस मुद्दे से चिंतित थी कि क्या किसी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान में शिक्षकों के पदों को आरक्षण के सिद्धांतों और नीति के अनुसार भरने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। संबंधित नियमों ने प्राधिकरण को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार दिया। हालांकि, 21.03.1986 पर एक परिपत्र जारी किया गया था।

अल्पसंख्यक संस्थानों को उक्त नियम का पालन करने से छूट देना। सितंबर, 1989 के परिपत्र के माध्यम से बाद के आग्रह, जिसमें प्रस्थान के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया था, को लागू करने योग्य नहीं माना गया था। इस मामले में चर्चा निस्संदेह इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को चुनने का अधिकार है और क्या कोई नियम हो सकते हैं और क्या वह अधिकार किसी भी तरह से नियमों से प्रभावित हो सकता है। हालांकि, के संदर्भ में

भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालयों में यह देखा गया कि ऐसे संस्थानों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का चयन करने का अधिकार होना चाहिए जो न केवल निर्धारित मानदंडों, योग्यता और पात्रता को पूरा करते हैं बल्कि बेहतर सांस्कृतिक और भाषाई अनुकूलता भी सुनिश्चित करते हैं। चूंकि, के संदर्भ में नामित उम्मीदवारनियम 64 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ और परिपत्र में जारी किए गए निर्देश

सितंबर, 1989 की अपील ऐसी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी और अनुकूलता सुनिश्चित करेगी, अपील को अनुमति दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ई) चंदन दास 3 1 में, प्रमुख मुद्दा यह था कि संबंधित संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान था या नहीं। उस मुद्दे पर, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों के बीच असहमति थी और मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था जिसने स्वीकार किया

ठाकुर, जे. के विचार और उनका मानना था कि यह संस्थान एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान था। यह मुद्दा इस संदर्भ में उठा कि क्या स्थायी या अस्थायी रिक्तियों पर शिक्षकों की नियुक्तियों के संबंध में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के संबंध में वैध रूप से जारी की जा सकती हैं। यह कहा जा सकता है कि 1997 के अधिनियम की धारा 15 के संदर्भ में, उस अधिनियम में कुछ भी "धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित स्कूल" पर लागू नहीं होगा और इस तरह -

पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग की सिफारिशें

कभी भी अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। एक बार जब जे. ठाकुर द्वारा लिए गए विचार को स्वीकार कर लिया गया और यह माना गया कि संस्थान एक अल्पसंख्यक संस्थान है, तो उक्त धारा 15 के आधार पर, पश्चिम बंगाल स्कूल आयोग कोई निर्देश जारी करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

45. इस प्रकार, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में इस न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों के निर्णय के अनुसार, जब तक कि उसमें निर्धारित सिद्धांत (जैसे -

पैरा 40) संतुष्ट हैं, यह अनुमत है यदि कोई नियम अल्पसंख्यकों के स्थापना और प्रशासन के अधिकार को संरक्षित करते हुए संस्थानों के उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

उनके शैक्षणिक संस्थान।

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में प्रमुख निर्णय के पैरा 50 में उल्लिखित पांच घटनाओं में से, जो एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का गठन करती हैं, छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार को एक पूर्ण और अयोग्य अधिकार नहीं माना गया है। पी. ए. इनामदार 25 में लिए गए निर्णय से पता चलता है कि पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों या उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में योग्यता आधारित चयन राष्ट्र के हित में और राष्ट्रीय कल्याण को मजबूत करने के लिए किया गया है। मेधावी छात्रों का चयन स्वीकार कर लिया गया है।

राष्ट्रीय हित में होना। एक अल्पसंख्यक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार के नाम पर पेशेवर और उच्च शिक्षा के संबंध में छात्रों के योग्यता या योग्यता आधारित चयन की अवहेलना नहीं कर सकता है। कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अधिकार को भी अयोग्य

अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन 3 स्वयं यह निर्धारित करता है कि एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में भी एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए और शिकायतों पर विचार करने के लिए उपयुक्त न्यायाधिकरण का गठन किया जाना चाहिए और तब तक न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता एक एस. के. द्वारा की जा सकती है।

एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

जिला न्यायाधीश के पद का न्यायिक अधिकारी। उस हद तक, अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मामले में निर्धारित कानून से एक निश्चित विचलन था, जिसने गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 51-ए और 52-ए को निरस्त कर दिया था।

46. जब शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार की बात आती है, तो टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन 3 में निर्धारित कानून के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर एक विनियमन बनाया गया है।

हित अनिवार्य रूप से सभी संस्थानों पर लागू होना चाहिए, भले ही वे बहुमत या अल्पसंख्यक द्वारा चलाए जाते हों क्योंकि अनुच्छेद 30 (1) का सार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। यदि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया जाता है तो निश्चित रूप से आपत्ति उठाई जा सकती है। लेकिन अगर शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना एक नियामक व्यवस्था और तंत्र के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत है

शिक्षकों का चयन संस्थानों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए इस तरह से तैयार किया गया है, यह मामला पूरी तरह से अलग हो सकता है।

47. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में स्वीकार किए गए परीक्षण और दो उद्देश्यों के बीच संतुलन को दो के संदर्भ में अच्छी तरह से माना जा सकता है।

संस्थानों की श्रेणियां; एक ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाली जो सीधे तौर पर किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक की विरासत, संस्कृति, लिपि और विशेष विशेषताओं के संरक्षण और संरक्षण के उद्देश्य से हो; जबकि दूसरी श्रेणी के संस्थान वे हो सकते हैं जो -

जिसे आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के रूप में जाना जाता है, प्रदान करना। जब पहली श्रेणी के संस्थानों की बात आती है, तो जो शिक्षक धार्मिक विचारधारा या संबंधित अल्पसंख्यकों की विशेष विशेषताओं में विश्वास करते हैं, वे अकेले ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों में आत्मसात करने में सक्षम होंगे, जिन्हें अल्पसंख्यक संरक्षित करना, स्वीकार करना और प्रचार करना चाहते हैं। लेकिन, अगर पाठ्यक्रम में विषय विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं

चरित्र, अर्थात अंकगणित, बीजगणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान या भूगोल जैसे विषयों का उद्देश्य सर्वोत्तम संभव शिक्षकों का लाभ उठाते हुए शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए। पहली श्रेणी में, संबंधित अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंधन को अधिकतम अक्षांश दिया जा सकता है -

उन्हें आम तौर पर संबंधित अल्पसंख्यकों की विरासत, संस्कृति, लिपि या ऐसी विशिष्ट विशेषताओं या विशेषताओं की रक्षा और संरक्षण में मदद करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश माना जाएगा। हालांकि, जब संस्थानों की दूसरी श्रेणी की बात आती है, तो

शासी मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए कि सबसे अनुकूल वातावरण स्थापित किया जाए जहां संस्थान उत्कृष्टता प्राप्त करे और सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्रदान करे।

48. जैसा कि अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मामले में प्रमुख निर्णय में निर्धारित किया गया है, नियम जो छात्रों के हित में काम करेंगे, साथ ही नियम जो शिक्षकों के हित में काम करेंगे, अच्छे प्रशासन में सर्वोपरि हैं; कि शिक्षकों की दक्षता के हित में नियम संरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं।

संस्थानों के बीच सामंजस्य; और यह कि शिक्षकों की नियुक्ति शैक्षणिक संस्थानों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्वाभाविक है कि

गुणात्मक रूप से बेहतर शिक्षक उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे और उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करेंगे। जैसा कि फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल के मामले में स्वीकार किया गया है, किसी संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की उत्कृष्टता सीधे शिक्षण कर्मचारियों की उत्कृष्टता पर निर्भर करेगी और बदले में शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

49. इस प्रकार, यदि उद्देश्य शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना है, तो क्या यह पर्याप्त होगा यदि संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को रोजगार दिया जाए।

संस्थान जैसा कि यहाँ ऊपर बताया गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी शिक्षक की नियुक्ति के लिए उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए योग्यता प्रतिशत सूचकांक 50 होना आवश्यक है, और यदि इस मूल सूचकांक से कहीं अधिक और उससे अधिक योग्यता रखने वाले शिक्षक उपलब्ध हैं, तो क्या एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के लिए कम सूचकांक वाले शिक्षकों का चयन करना उचित होगा, जो बेहतर योग्य हैं? क्या यह शिक्षा में उत्कृष्टता की खोज को कम करेगा? यह समझा जा सकता है कि नियामक व्यवस्था के तहत जो उम्मीदवार अन्यथा कम योग्य हैं, उन्हें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में नामित किया जा रहा है और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बेहतर योग्य उम्मीदवारों की वरीयता में ऐसे कम मेधावी उम्मीदवारों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे मामलों में, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान निश्चित रूप से इस मुद्दे पर आंदोलन करने और

बेहतर शिक्षक चुनने के अधिकार का दावा करने के अपने अधिकार के भीतर हो सकता है। लेकिन अगर विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए नियामक व्यवस्था के तहत चुने गए और नामित किए गए उम्मीदवार बेहतर योग्य हैं, तो क्या अल्पसंख्यक संस्थान को केवल पसंद के अधिकार के प्रयोग के नाम पर इस तरह के नामांकन को अस्वीकार करने का अधिकार होगा? इस तरह से किया गया चुनाव उत्कृष्टता की खोज में नहीं होगा। क्या इस तरह के विकल्प को स्वीकार किया जा सकता है?

यदि अधिकार को निरपेक्ष और अयोग्य माना जाता है, तो निश्चित रूप से इस तरह के विकल्प को मान्यता दी जानी चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन, अगर अधिकार एस. के. का नहीं है।

एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

पूर्ण और अयोग्य होने के लिए स्वीकार किया जाता है और राष्ट्रीय हित हमेशा व्याप्त और लागू होना चाहिए, उत्कृष्टता और योग्यता शासी मानदंड होना चाहिए। योग्यता और उत्कृष्टता की अवधारणा से कोई भी विचलन इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में जो विचार किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को एक प्रभावी वाहन नहीं बनाएगा। इसके अलावा, यदि योग्यता एकमात्र और शासी मानदंड नहीं है, तो अल्पसंख्यक संस्थान उनके साथ कदम मिलाने के बजाय गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों से पीछे रह सकते हैं।

ऊपर दिए गए उदाहरण पर वापस जाते हुए, 50 के सूचकांक यानी न्यूनतम योग्यता सूचकांक की तुलना में, यदि कोई उम्मीदवार

विनियामक व्यवस्था 85 के सूचकांक पर है, एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान द्वारा सूचकांक 55 पर एक उम्मीदवार का चयन निश्चित रूप से ऊपर हो सकता हैन्यूनतम योग्यता अंक, लेकिन 85 के सूचकांक पर जो अन्यथा उपलब्ध है, उसकी वरीयता में 55 के सूचकांक स्तर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कभी भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन नहीं देगी। उपरोक्त उदाहरण में 85 के सूचकांक स्तर पर एक मेधावी उम्मीदवार को यदि आवश्यक नियुक्ति दी जाती है, तो यह न केवल योग्यता के सिद्धांत को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि बदले में गुणात्मक प्रगति का वातावरण भी पैदा करेगा।

सामाजिक उद्देश्यों और विचारधारा के अनुरूप उपलब्धि की भावना और इस तरह की नियुक्ति, इसलिए, सच्चे राष्ट्रीय हित में होगी।

50. दोहराने की कीमत पर, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि यदि अल्पसंख्यक संस्थान के पास एक नियामक व्यवस्था के तहत नामित उम्मीदवार की तुलना में बेहतर उम्मीदवार उपलब्ध है, तो संस्थान निश्चित रूप से अधिकारियों द्वारा किए गए नामांकन को अस्वीकार करने के अपने अधिकारों के भीतर होगा, लेकिन यदि शिक्षा प्रदान करने के लिए नामित व्यक्ति अन्यथा बेहतर योग्य और उपयुक्त है, तो अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा इस तरह के नामांकन की कोई भी अस्वीकृति कभी भी ऐसे संस्थान को उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद नहीं करेगी और इस तरह से, किसी भी संस्थान को उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद

नहीं करेगी।अस्वीकृति संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत संरक्षित अधिकार के सही दायरे में नहीं होगी।

51. इन बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम उन वैधानिक प्रावधानों पर विचार कर सकते हैं जिनके तहत शिक्षकों को नामित किया जा सकता है।

आयोग अधिनियम और देखें कि क्या संबंधित विनियम उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करते हैं या क्या वे प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

52. आयोग अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। के अध्यक्ष आयोग को इस्लामी संस्कृति में गहन ज्ञान रखने वाला एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होना चाहिए और किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में या [2020] 1 एस. सी. आर. के प्राचार्य के रूप में शिक्षण अनुभव के साथ शिक्षा में अच्छी तरह से पारंगत होना चाहिए।

संस्कृति. अध्यक्ष के अलावा, चार सदस्य हैं जिन्हें आयोग अधिनियम की धारा 4 (iii) के अनुसार नियुक्त किया जाना है। इन चार सदस्यों में से एक को इस्लामी धर्मशास्त्र और संस्कृति में गहन ज्ञान रखने वाला एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होना चाहिए, जबकि दूसरे को दो सदस्यों को अन्य बातों के साथ-साथ किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। चौथा सदस्य एक गैर-शिक्षाविद् हो सकता है, लेकिन वह सार्वजनिक जीवन में या कानूनी या प्रशासनिक सेवा में प्रतिष्ठित पद पर रहा होगा। आयोग की प्रमुख संरचना इस प्रकार है -

शिक्षाविदों और उनमें से दो को गहरे ज्ञान वाले व्यक्ति होने चाहिए।

इस्लामी संस्कृति और इस्लामी धर्मशास्त्र में ज्ञान। इस प्रकार आयोग अधिनियम के प्रावधान विशेष रूप से राज्य में मदरसों और मदरसा शिक्षा प्रणाली के लिए तैयार किए गए हैं। 2010 के नियमों के नियम 8 में योग्यता आधारित चयन की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है और वैधानिक तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि केवल उन्हीं शिक्षकों का चयन किया जाएगा जो मदरसा शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त होंगे। राज्य विधानमंडल ने इस बात का ध्यान रखा है कि आयोग की संरचना आयोग की संगतता सुनिश्चित करेगी। जिन शिक्षकों का चयन मदरसा शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जिस पर उद्देश्यों और कारणों के विवरण में भी जोर दिया गया है।

संबंधित मदरसों की समितियाँ, लेकिन, आयोग अधिनियम की धारा 10 के दूसरे परंतुक के संदर्भ में, यदि कोई त्रुटि है, तो यह इसके लिए खुला हैसंबंधित मदरसे की प्रबंध समिति इस तरह की त्रुटि को हटाने

के लिए इसे आयोग के संज्ञान में लाएगी। जैसा कि विचार किया गया है 'त्रुटि' की अवधारणा में ऐसे मामले भी शामिल होने चाहिए जहां संबंधित मदरसा

आयोग द्वारा नामित शिक्षक की तुलना में बेहतर योग्य शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई त्रुटि इंगित की जाती है, तो आयोग निश्चित रूप से त्रुटि को सुधारना और हटाना होगा। आयोग अधिनियम की धारा 12 द्वारा आगे की सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसके तहत

संबंधित मदरसा एस. के. जारी करने से इनकार करने के अपने अधिकारों के भीतर हो सकता है।

एम. डी. आरएएफआईक्यू वी। समिति का प्रबंधन, कोंटाई रहमानिया हाई मद्रास [उदय उमेश ललित, जे।]

आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र यदि कोई बेहतर योग्य उम्मीदवार अन्यथा संबंधित मदरसे की प्रबंधन समिति के पास उपलब्ध है। इस तरह का इनकार भी आ सकता है

अधिनियम की धारा 12 (i) में यथा अनुध्यात 'कोई भी उचित आधार' अभिव्यक्ति के भीतर।

55. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामलों में निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार हमारे विचार में, संबंधित प्रावधानइसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन है। आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित आयोग द्वारा शिक्षकों का चयन और उनका नामांकन राष्ट्रीय हित के साथ-साथ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हित को संतुष्ट करेगा और कहा कि प्रावधान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

56. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।मामला।हम जानते हैं कि ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी 24, सिंधी एजुकेशन सोसाइटी और चंदना दास (मालाकार) 3 3 में, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के बाद निर्णय लिया गया था, इस अदालत ने इस सवाल पर भी विचार किया था कि क्या संबंधित अधिकारी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्त किए जाने के लिए शिक्षकों को वैध रूप से नामित कर सकते हैं। ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी 2 4 ने विशेष रूप से इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया कि क्या नियम वैध है या नहीं और टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन 3 मामले में सिद्धांतों के अनुरूप नियम और विनियम लाने के लिए इसे अधिकारियों पर छोड़ दिया। सिंधी एजुकेशन सोसाइटी ने आरक्षण के संदर्भ में इस मुद्दे को उठाया। इसने यह भी पाया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा नामित शिक्षक भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। चंदन दास (मालाकार) 3 3 33 में मूल मुद्दा यह था कि संबंधित संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान था या नहीं। सिंधी एजुकेशन सोसाइटी और चंदना दास (मालाकार) 3 3 3 उन वैधानिक शासनों से संबंधित थे जिनमें शिक्षकों की अनुकूलता से संबंधित कोई विशेष विशेषताएं या मामले नहीं थे जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की विशेष विशेषताओं को देखते हुए आवश्यक हो सकते थे।

अधिनियम अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। किसी भी हिसाब से।

57. परिसर में, इन अपीलों को स्वीकार करते हुए, हम एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए विचार को दरकिनार करते हैं।न्यायालय और 2013 की रिट याचिका No.20650 (W) और अन्य संबंधित मामलों को खारिज करें। हम आयोग अधिनियम की धारा 8,10,11 और 12 को भी वैध और संवैधानिक मानते हैं।

58. अंत में, हम आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में आयोग द्वारा किए गए सभी नामांकनों को वैध घोषित करते हैं और ऑपरेटिव। तथापि, यदि उच्च न्यायालय द्वारा मामलों के निपटारे के बाद संबंधित मदरसों द्वारा कोई नियुक्ति की जाती है, तो शिक्षकों की ऐसी नियुक्तियों को सभी उद्देश्यों के लिए वैध माना जाएगा। लेकिन आयोग इसके बाद आयोग अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न मदरसों में शिक्षकों का चयन और नामांकन करने में सक्षम होगा।

59. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ इन अपीलों की अनुमति दी जाती है। रिट याचिकाओं और अवमानना याचिकाओं के संबंध में कोई अलग आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है जो उपरोक्त घोषणा के संदर्भ में निपटाए जाते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील का निपटारा किया गया।